अभिलेख
ARCHIVES

भारतीय मानक ब्यूरो पुस्तकालय
BUREAU OF INDIAN STANDARDS LIBRARY
MISC 4040
दिनांक Date 15-6-2007
नई दिल्ली NEW DELHI

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report 2005-06

मानकः पथप्रदर्शकः

भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

ब्यूरो के प्रधान अधिकारी, कार्यकारिणी समिति और महानिदेशालय (31 मार्च 2006 के अनुसार)

PRINCIPAL OFFICERS OF BUREAU, EXECUTIVE COMMITTEE AND THE DIRECTORATE GENERAL (as on 31 March 2006)

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

अध्यक्ष	**President**	**श्री शरद पवार** केंद्रीय कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री	**Shri Sharad Pawar** Union Minister for Agriculture, Consum[e] Affairs, Food and Public Distribution
उपाध्यक्ष	**Vice President**	**श्री तस्लीमुद्दीन** राज्य उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री	**Shri Taslimuddin** Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution
अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति	**Chairperson, Executive Committee**	**श्री स्वयं प्रकाश शर्मा** **महानिदेशक, भा मा ब्यूरो**	**Shri Svayam Prakash Sharma** **Director General, BIS**

भा मा ब्यूरो महानिदेशालय BIS DIRECTORATE GENERAL

मुख्यालय	**Headquarters**		
महानिदेशक	**Director General**	श्री स्वयं प्रकाश शर्मा	Shri Svayam Prakash Sharma
अपर महानिदेशक	**Additional Director General**	श्री राकेश वर्मा	Shri Rakesh Verma
अपर महानिदेशक	**Additional Director General**	श्री यशपाल सिंह	Shri Yash Pal Singh
मुख्य सतर्कता अधिकारी	**Chief Vigilance Officer**	श्री अनन्त ढुल	Shri Anant Dhul
उप महानिदेशक प्रशासन	**Deputy Director General** Administration	श्री दीपक के. सिंह	Shri Deepak K. Singh
वैज्ञानिक 'एफ' **(उप महानिदेशक)**	**Scientist F** **(Deputy Directors General)**		
तकनीकी	Technical	श्री एस. के. चौधरी	Shri S. K. Chaudhary
मुहर	Marks	श्री एस. एम. भाटिया	Shri S.M. Bhatia
हॉलमार्किंग	Hallmarking	श्री ए. के. तलवार	Shri A. K. Talwar
परियोजना, योजना और समन्वय	Project, Planning & Co-ordination	श्री एल. आर. सिंह	Shri L. R. Singh
प्रयोगशाला	Laboratory	श्री बलवंत राय	Shri Balwant Rai

क्षेत्रीय कार्यालय	**Regional Offices**		
वैज्ञानिक 'एफ' **(उप महानिदेशक)**	**Scientist F** **(Deputy Directors General)**		
पूर्वी क्षेत्र	Eastern Region	श्री एम. के. रे	Shri M. K. Ray
पश्चिमी क्षेत्र	Western Region	श्री एस. दासगुप्ता	Shri S. Dasgupta
मध्य क्षेत्र	Central Region	श्री वाई. एस. आर्या	Shri Y. S. Arya
दक्षिणी क्षेत्र	Southern Region	श्री वी. कल्याणसुन्द्रम	Shri V. Kalyanasundram
उत्तरी क्षेत्र	Northern Region	श्री चंदर शेखर	Shri Chander Shekhar

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2005-06

4025 (मा)
3.5.2007
नई दिल्ली NEW DELHI

मानकः पथप्रदर्शकः

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

विषय सूची
CONTENTS

1. सिंहावलोकन
Overview 1

2. नीतिगत कार्यप्रणालियाँ और आयोजना
Policy Strategies and Planning 4

3. मानक
Standards 4

4. प्रमाणन
Certification 17

5. प्रयोगशाला सेवाएँ
Laboratory Services 26

6. सतर्कता गतिविधियाँ
Vigilance Activities 29

7. तकनीकी सूचना सेवाएँ
Technical Information Services 32

8. प्रशिक्षण सेवाएँ
Training Services 35

9. उपभोक्ता संबंधित गतिविधियाँ
Consumer Related Activities 36

10. अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ
International Activities 37

11. कम्प्यूटरीकरण और कार्यालय यंत्रीकरण
Computerization and Office Automation 42

12. परियोजना प्रबंध
Project Management 43

13. मानव संसाधन विकास
Human Resource Development 45

14. वित्त, लेखा और लेखा परीक्षण
Finance, Accounts and Audit 46

सिंहावलोकन
OVERVIEW

भारतीय मानक ब्यूरो पूर्व भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) के कर्मचारियों, परिसम्पत्तियों, देयताओं और प्रकार्यों को लेते हुए एक व्यापक विषयक्षेत्र तथा अधिक अधिकारों सहित संसद के एक अधिनियम, दिनाँक 26 नवम्बर 1986 के माध्यम से दिनाँक 1 अप्रैल 1987 को अस्तित्व में आया। इस परिवर्तन के माध्यम से सरकार ने राष्ट्रीय मानकों के निर्धारण और कार्यान्वियन में गुणता संस्कृति और सचेतता तथा उपभोक्ताओं की अधिक भागीदारी का माहोल निर्मित करने की संकल्पना की।

ब्यूरो केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री अध्यक्ष और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष के रूप में तथा केन्द्रीय एवं राज्य, दोनों सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों, संसद, उद्योग, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों और व्यावसायिक निकायों के सदस्यों का एक निकाय कॉर्पोरेट है।

भा मा ब्यूरो की संरचना पिछले कवर पृष्ठ के अंदरुनी भाग पर दी गई है।

संगठनात्मक नेटवर्क

नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के साथ कोलकता (पूर्वी), चेन्नई (दक्षिणी), मुम्बई (पश्चिमी), चंडीगढ़ (उत्तरी) और दिल्ली (मध्य) में 5 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अहमदाबाद, बैंगलौर, भुवनेश्वर, भोपाल, कोयम्बटूर, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, परवानू, पटना, पुणे, राजकोट, तिरूवनन्तपुरम और विशाखापटनम स्थित शाखा कार्यालयों (पिछले कवर पृष्ठ के बाहरी भाग पर दिया गया है।) के एक नेटवर्क सहित क्षेत्र की राज्य सरकारों, उद्योगों, तकनीकी संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों आदि के बीच प्रभावी कड़ी के रूप में कार्य करता है।

गतिविधियाँ

भा मा ब्यूरो की गतिविधियाँ स्थूल रूप से निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत समूहित की जा सकती हैं:

क) मानक निर्धारण
ख) प्रमाणन: उत्पाद/पद्धतियाँ
ग) प्रयोगशाला सेवाएँ
घ) भारतीय मानकों/अन्य प्रकाशनों की बिक्री
ङ.) अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ
च) उपभोक्ता संबंधी गतिविधियाँ
छ) प्रवर्तन गतिविधियाँ
ज) प्रशिक्षण सेवाएँ

Bureau of Indian Standards (BIS) came into existence, through an Act of Parliament dated 26 November 1986, on 1 April 1987, with a broadened scope and more powers taking over the staff, assets, liabilities and functions of erstwhile Indian Standards Institution (ISI). Through this change over, the Government envisaged building a climate for quality culture and consciousness and greater participation of consumers in formulation and implementation of National Standards.

The Bureau is a Body Corporate consisting of members representing both Central and State governments, Members of Parliament, industry, scientific and research institutions, consumer organizations and professional bodies with Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution as its President and with Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution as its Vice-President.

The structure of BIS is given on the inside back cover page.

Organizational Network

With BIS Headquarters at New Delhi, a network of 5 Regional Offices at Kolkata (Eastern), Chennai (Southern), Mumbai (Western), Chandigarh (Northern) and Delhi (Central) and Branch Offices at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneshwar, Bhopal, Coimbatore, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Rajkot, Thiruvananthapuram and Vishakhapatnam (depicted on the back cover page) serve as effective links among State Governments, industries, technical institutions, consumer organizations, etc of the region.

Activities

The activities of BIS can be broadly grouped under the following heads:

a) Standards Formulation
b) Certification : Product/Systems
c) Laboratory Services
d) Sales of Indian Standards/ other publications
e) International Activities
f) Consumer Related Activities
g) Promotional Activities
h) Training Services

झ) सूचना सेवाएँ

ञ) वित्तीय, संसाधन-कार्यान्वयन और उपयोगिता आदि

भारतीय मानक ब्यूरो ने इस बदलते समग्र वैश्विक परिदृश्य में विस्तार और गतिशीलता बनाए रखी है तथा वर्ष 2005-06 के दौरान चहुँमुखी प्रगति की है। ब्यूरो में 1 396.76 मिलियन रु. की कुल आय दर्ज की गई और पिछले वर्ष की आय में 8.7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। लगातार सत्रहवें वर्ष, भा मा ब्यूरो ने अपने आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय स्वयं अपने संसाधनों से पूरे किए।

वर्ष 2005-06 के दौरान कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

- विषयों की व्यापक परास को शामिल करते हुए 351 राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण। जनहित के कुछ महत्वपूर्ण मानक खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धतियों पर है - खाद्य श्रृंखला में किसी संगठन की आवश्यकताएँ, स्टेशनरी वॉल्व विनियमित लैड-एसिड बैटरियाँ, विद्युत से चलने वाले खिलौनों की निरापदता, प्राकृतिक मिनरल जल और पैकेजबंद पेय जल की पैकिंग के लिए पॉलीएथिलीन के बने लचीले पाउच (थैलियाँ), सूचना प्रौद्योगिकी-सुरक्षा तकनीकें-सूचना सुरक्षा प्रबंध पद्धतियाँ-आवश्यकताएँ, परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं की सक्षमता हेतु सामान्य अपेक्षाएँ, सार्वजनिक सेवा संगठनों की सेवा गुणता की अपेक्षाएँ, तेल और गैस पाइप लाइनों के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण और आँकड़ा अधिग्रहण (स्काडा) पद्धति।
- अब तक 3 757 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया गया है।
- 2 536 उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस प्रदान करना।
- वर्ष के दौरान पहली बार 31 उत्पादों को प्रमाणन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। ये उत्पाद है क्राफ्ट कागज़, तप्त समापन (बंद करने) के लिए तप्त गढ़े हुए इस्पात के रिवेट, ब्यूरेट, जिप्सम भवन प्लास्टर, जूते काले करने के ब्रश, जूते पॉलिश करने के ब्रश, घरेलू लॉन्ड्री के लिए डिटरजेंट पाउडर, स्लाइड प्रकार I के लिए स्टिल प्रोजेक्टर, हाइड्रॉलिक पावर स्प्रेयर, पॉलिएस्टर इनैमलित गोलाकार ताम्बे के तार (वर्ग 130), धातु आवरण वाली प्लाइवुड, तैयार चमड़े के लिए ईको मानदण्ड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड पाउडर, पॉलिमर और रबर रूपान्तरित बिटुमेन, एलपीजी के साथ उपयोग के लिए पानी का छोटा घरेलू हीटर, फॉस्फोरिक एसिड (खाद्य ग्रेड), व्यावसायिक उपयोग के निरापद सुरक्षात्मक एवं व्यावसायिक जूते, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, संकरी गर्दन वाली बॉइलिंग फ्लास्क, काँच के बीकर, इस्पाती पहिए के बैरो (दो पहियों सहित), इलैक्ट्रॉनिक भार मापन पद्धति, सामान्य प्रयोजनों के लिए जूट वेनीर बोर्ड, स्वचालित वाहनों के लिए ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस को ऑन-बोर्ड भंडारित करने के लिए सिलिंडर, पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड, सीमेंट पैक करने के लिए बुने हुए थैले, एस्बेस्टस धागे, शीत वेल्लित गैर-उन्मुख वैद्युत इस्पात शीट और पट्टियाँ (अर्ध प्रक्रमित प्रकार), हार्ड-ड्रॉन इस्पात के तार का धागा, श्वसन सुरक्षात्मक उपकरण में प्रयुक्त गैस फिल्टर, तप्त समापन (बंद करने) के लिए शीत गढ़ाई वाले ठोस इस्पाती रिवेट।
- भा मा ब्यूरो की मानक मुहर का दुरुपयोग करने वाली फर्मों पर भारत भर में 241 प्रवर्तन छापे डाले गए और 12 अभियोजन किए गए।

i) Information Services

j) Financial Resources – Mobilization and Utilization etc.

In the changing overall global scenario, Bureau of Indian Standards maintained the thrust and dynamism and exhibited an all round progress during the year 2005-06. It recorded a total income of Rs 1 396.76 million, and a growth of over 8.7 percent over the income in the previous year. For the seventeenth consecutive year, BIS met its recurring and non-plan expenditure from its own resources.

The highlights of achievements during 2005-06 are:

- Formulation of 351 national standards covering wide range of subjects. Some important standards of public interest are on Food Safety Management Systems – Requirements for any Organization in the Food Chain, Stationary valve regulated lead-acid batteries, Safety of electric toys, Polyethylene flexible pouches for the packing of natural mineral water and packaged drinking water, Information Technology – Security Techniques – Information Security Management Systems – Requirements, General Requirement for the Competence of Testing and Calibration Laboratories, Requirements for Service Quality by Public Service Organization, Supervising Control and Data Acquisition (SCADA) System for oil and gas pipeline.
- 3 757 Indian Standards have been harmonized with International Standards so far.
- Grant of 2 536 Product Certification licences.
- During the year 31 products were covered for the first time under the certification scheme. These products are Kraft Paper, Hot Forged Steel Rivets for Hot Closing, Burettes, Gypsum Building Plaster, Shoe Blacking Brushes, Shoe Polishing Brushes, Household Laundry Detergent Powder, Still Projector for Slide Type I, Hydraulic Power Sprayer, Polyester Enamelled Round Copper Wire (Class 130), Metal Faced Plywood, Eco Criteria for Finished Leather, Aluminum Phosphide Powder, Polymer and Rubber Modified Bitumen, Mini Domestic Water Heater for Use with LPG, Phosphoric Acid(Food Grade), Safety Protective and Occupational Footwear for Professional Use, Anhydrous Sodium Carbonate, Narrow-necked Boiling Flask, Glass Beakers, Steel Wheel Barrow (with two wheels), Electronic Weighing System, Coir Veneer Board for General Purposes, Cylinder for On-board Storage of Compressed Natural Gas as Fuel for Automotive Vehicles, Poly Aluminium Chloride, Woven Sack for Packing Cement, Asbestos Yarn, Cold Rolled Non-oriented Electrical Steel Sheet and Strip (Semi-processed Type), Hard-drawn Steel Wire Fabric, Gas Filter Used in Respiratory Protective Equipment, Cold Forged Solid Steel Rivets for Hot Closing.
- 241 enforcement raids were carried out all over India on firms misusing the BIS Standard Mark and 12 convictions took place.

- दिसम्बर 2005 में प्रमाणन निकायों के राष्ट्रीय प्रत्यायन मण्डल-भारतीय गुणता परिषद् द्वारा गुणता प्रबंध पद्धति (क्यूएमएस) प्रमाणन योजना का प्रत्यायन। वर्ष 2005-06 के दौरान 83 क्यूएमएस प्रमाणन लाइसेंस, 12 पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस और 9 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए।
- स्वर्ण/रजत की हॉलमार्किंग योजना के सरलीकरण और यौक्तीकरण के फलस्वरूप लाइसेंसों की संख्या बढ़कर 1 410 हो गई है। स्वर्ण मूल्यांकन की एक संदर्भ प्रयोगशाला दक्षिणी क्षेत्रीय प्रयोगशाला, चेन्नई में विकासाधीन है।
- भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों की संख्या 26 725 रही।
- वर्ष 2005-06 अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) परिषद् के सदस्य के रूप में भा मा ब्यूरो द्वारा वचनबद्धताओं की पूर्ति। आईएसओ परिषद आइएसओ का शीर्षस्थ शासीनिकाय है।
- विकासशील देशों के लिए मानकीकरण और गुणता आश्वासन पर अड़तीसवाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और विकासशील देशों के लिए प्रबंध पद्धतियों पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
- अक्तूबर 2005 में नई दिल्ली में सार्क के अंतर्गत सबसे कम विकसित देशों द्वारा निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी विषेशज्ञों की एक कार्यशाला का आयोजन।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) की स्थापना को मनाने के लिए अक्तूबर 2005 में विश्व मानक दिवस का आयोजन।
- दिनाँक 1 से 15 सितम्बर 2005 के दौरान हिन्दी पखवाड़े का आयोजन, जहाँ अनेक हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- दिनाँक 7 से 11 नवम्बर 2005 के दौरान 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया।
- दिनाँक 31 मार्च 2006 तक भा मा ब्यूरो में लगभग 1 825 व्यक्ति कार्यरत थे।

(महानिदेशक)

- Accreditation of Quality Management Systems (QMS) Certification Scheme by National Accreditation Board for Certification Bodies, Quality Council of India in December 2005. During 2005-06, 83 QMS certification licences, 12 Environmental Management Systems certification licences and 9 Occupational Health and Safety Management Systems certification licences were granted.
- Simplification and rationalization of Hallmarking scheme for Gold/Silver jewellery resulting in an increase of number of licences to 1 410. A referral Laboratory for Gold assaying is under development at Southern Regional Laboratory, Chennai.
- Number of Test Reports issued by BIS Laboratories was 26 725.
- Fulfillment of obligations by BIS as a member of International Organization for Standardization (ISO) Council for the 2005-06 term. ISO Council is the highest governing body of ISO.
- Holding of the thirty-eighth International Training Programme on Standardization and Quality Assurance for developing countries, and the second International Training Programme on Management Systems for developing countries.
- Organizing a workshop of Technical Experts to promote exports by the least developed countries under SAARC, during October 2005 at New Delhi.
- Celebration of World Standards Day in October 2005 to commemorate the establishment of the International Organization for Standardization (ISO).
- Celebration of Hindi Pakhwara during 1st to 15th September 2005 where a lot of different competitions in Hindi were organized.
- Observance of the 'Vigilance Awareness Week' during 7th to 11th November 2005.
- As on 31 March 2006, a total of around 1 825 persons were on roll in BIS.

(Director General)

नीतिगत कार्यप्रणालियाँ और आयोजना

भारतीय मानक ब्यूरो वर्ष 1947 से भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में देश में मानकीकरण अभियान का प्रवर्तन और पोषण करने के लिए सफलतापूर्वक कार्य करता रहा है। भा मा ब्यूरो ने अपने प्रचालन को और अधिक उन्नत बनाने के लिए सेवाओं की दक्षता बढ़ाने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं।

नई नीतियों/निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन में भा मा ब्यूरो को सलाह देने के लिए वर्ष के दौरान कार्यकारिणी समिति की पाँच बैठकें की गईं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहलें की गई:

1. राष्ट्रीय मानक नीति को अंतिम रूप देना।
2. राष्ट्रीय भवन संहिता को अंतिम रूप देना और जारी करना।
3. हॉलमार्किंग प्रमाणन योजना का सरलीकरण और यौक्तीकरण।
4. लाइसेंस प्रदान करने की विधि को सरल बनाना।
5. उत्पाद प्रमाणन और प्रवर्तन गतिविधियों की आउटसोर्सिंग।
6. लोक सेवा संगठनों द्वारा सेवा गुणता की आवश्यकताओं पर मानक निर्धारण - आई एस 15700 : 2005 और भा मा ब्यूरो में इसका कार्यान्वयन।
7. खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति मानक, आईएस/आईएसओ 22000 का प्रकाशन और इसके प्रमाणन की पहल।

मानक

मानक निर्धारण

मानकों के निर्धारण के लिए भा मा ब्यूरो संबद्ध विभाग परिषदों द्वारा गठित विषय समितियों विषयों के विशिष्ट समूहों पर कार्य करने के लिए विषय समितियों द्वारा गठित उप-समितियों और मानक निर्धारण के लिए एक केंद्रित मद के लिए गठित पैनलों के संदर्भ में एक सहयोगात्मक तंत्र के माध्यम से कार्य करता है। विषय समितियों, उप-समितियों और पैनलों में उद्योग, सरकार, अनुसंधान और विकास संगठनों, उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि तथा वैयक्तिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

किसी केंद्रीय सरकार के मंत्रालय, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, उपभोक्ता संगठन, औद्योगिक इकाई आदि द्वारा भारतीय मानक(कों) के निर्धारण का प्रस्ताव दिया जा सकता है। विभाग परिषद द्वारा अनुमोदन हो जाने पर प्रस्ताव को भारतीय मानकों के निर्धारण के लिए एक उपयुक्त विषय समिति को अग्रेषित किया जाता है।

अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित 14 तकनीकी विभाग परिषदों द्वारा मानक तैयार किए जाते है। वर्ष के दौरान मानक निर्धारण गतिविधि का जायज़ा लेने के लिए खाद्य एवं कृषि, पेट्रोलियम एवं कोयला संबंधी उत्पादों, सिविल इंजीनियरी,

आकृति 1 प्रभावी मानक (31 मार्च के अनुसार)

Fig. 1 **Standards in Force (as on 31 March)**

POLICY STRATEGIES AND PLANNING

The Bureau of Indian Standards (BIS) as the National Standards Body of India has been successfully promoting and nurturing the standardization movement in the country since 1947. BIS has initiated several steps towards enhancing the efficiency of its operations and upgrading of services.

The Executive Committee had five meetings during the year to advise BIS in implementation of new policy/directives while the financial committee met four times during the year. The important initiatives were taken in the following areas during the year:

1. Finalization of National Standards Policy.
2. Finalization and release of National Building Code.
3. Simplification and Rationalization of Hallmarking Certification Scheme.
4. Simplification of Grant of Licence procedure.
5. Outsourcing of Product Certification and Enforcement Activities.
6. Formulation of standard on Requirements for Service Quality by Public Service Organizations–IS 15700 : 2005 and its implementation in BIS.
7. Publishing of Food Safety Management Systems Standard, IS/ISO 22000 and initiatives for its certification.

STANDARDS

STANDARDS FORMULATION

For formulation of standards, BIS functions through a cooperative mechanism in terms of Sectional Committees set up by respective Division Council, Subcommittees set up by Sectional Committees for dealing with specific group of subjects and Panels set up for undertaking a focused item towards formulation of standard. The Sectional Committees, Subcommittees and Panels comprise of representatives from the industry, government, research and development organizations, consumers and individual experts.

A proposal for formulation of Indian Standard(s) can be submitted by any Ministry of the Central Government, State Government, Union Territory Administration, Consumer Organization, Industrial Unit etc. The proposal when approved by Division Council is forwarded to an appropriate Sectional Committee for formulation of Indian Standard(s).

Standards are made by 14 Technical Division Council pertaining to separate fields. To take stock of standards formulation activity, Division Councils of Food and Agriculture,

उत्पादन और सामान्य इंजीनियरी, चिकित्सा उपकरण और अस्पताल आयोजना, जल संसाधनों, परिवहन इंजीनियरी, धातु कर्म इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, वस्त्रोद्योग प्रबंध पद्धतियों और विद्युत-तकनीकी विभाग की बैठकें हुईं। 162 विषय समितियों की बैठक के साथ बड़ी संख्या में उप-समितियों पैनलों और कार्यकारी समूहों की बैठकों का भी आयोजन किया गया, जिनमें मानकों के मसौदों और तकनीकी दस्तावेज़ों पर विस्तार से विचार किया गया। भा मा ब्यूरो की नीति उभरती प्रौद्योगिकियों पर मानक निर्धारण करने और पुराने मानकों को वापस लेने की है।

वर्ष 2005-06 के दौरान, भा मा ब्यूरो ने 351 (नए और पुनरीक्षित) मानकों का निर्धारण किया जिससे दिनांक 31 मार्च 2006 को लागू मानकों की संख्या 18 219 तक हो गई। (देखें आकृति 1)

महत्वपूर्ण मानक

कुछ महत्वपूर्ण विषय, जिन पर नए या पुनरीक्षित मानक वर्ष के दौरान निर्धारित किए गए, निम्नानुसार है:

- **गेल परियोजना के अंतर्गत निर्धारित मानक** - भा मा ब्यूरो को गैस के प्रसारण के लिए प्राकृतिक गैस पाइप लाइन पद्धति के लिए राष्ट्रीय मानकों के निर्धारण का कार्य सौंपा गया। प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु पाइप लाइन, पाइप लाइन कोटिंग (बाह्य या आंतरिक) पाइप लाइनों की कैथोडिक सुरक्षा, गैस मीटरिंग पद्धति, पर्यवेक्षी नियंत्रण और आँकड़ा अधिग्रहण पद्धति, गैस प्रसारण के लिए अपकेन्द्री संपीडक, एलपीजी परिवहन के लिए पम्प, गैस टर्बाइन, गैस मीटरिंग डिस्पैच टर्मिनल (सिरे) और गैस पाइपलाइन डालने सहित चौदह क्षेत्रों को शामिल किया गया है। भा मा ब्यूरो ने इसकी प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं, ग्राहकों की आवश्यकताओं, स्वास्थ्य तथा निरापदता के राष्ट्रीय महत्व को समझते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया। इन मानकों के निर्धारण में विभिन्न पणधारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 160 से अधिक विशेषज्ञों को शामिल किया गया। एक वर्ष की रिकॉर्ड अवधि में इस विषय पर उन्तीस भारतीय मानक तैयार और प्रकाशित किए गए हैं। ये मानक प्रसारण व्यवसाय में अनेक संगठनों के साथ गैस आपूर्ति व्यवसाय के वि-विनियमन और एक विषम देशीय राष्ट्रीय गैस ग्रिड की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। निरापदता और पर्यावरण संबंधी पैरामीटरों को अत्यन्त महत्व दिए जाने से ये मानक निरापदता मानदंडो के कार्यान्वयन और हमारे पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए ये मानक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे।
- **आईएस 15642: 2005 सामान्य खाद्य उत्पादों में अपमिश्रकों/संदूषकों का पता लगाने की त्वरित विधियाँ** - इस मानक में दूध, हल्दी आदि जैसे सामान्य खाद्य उत्पादों में अपमिश्रकों/संदूषकों का शीघ्र पता लगाने की भौतिक विधियाँ अनुबंधित की गई है, जिन्हें आम उपभोक्ता उपयोग कर सकते है।
- **आईएस/आईएसओ 22000 : 2005 खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धतियाँ - खाद्य श्रृंखला में किसी संगठन की अपेक्षाएँ** - इस मानक में खाद्य श्रृंखला के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रबंध को निर्दिष्ट किया गया है और यह एक प्रमाणन योग्य मानक है।

Petroleum and Coal related products, Civil Engineering, Production and General Engineering, Medical Equipment and Hospital Planning, Water Resources, Transport Engineering, Metallurgical Engineering, Mechanical Engineering, Textile, Management Systems and Electro-technical Department met during the year. The meetings of 162 Sectional Committees, in addition to large number of Subcommittees, Panels and working groups were also held to consider draft standards and related technical documents in detail. It is the policy of BIS to formulate standards on emerging technologies and withdraw obsolete standards.

During 2005-06, BIS formulated 351 (new and revised) standards, bringing the total number of standards in force to 18 219 as on 31 March 2006 (*see* Fig. 1).

Important Standards

Some of the important subjects on which new or revised standards were formulated during the year are listed below:

- **Standards formulated under GAIL Project** – BIS was entrusted with formulation of national standards for natural gas pipe line system for transmission of gas. Fourteen areas were identified covering pipelines for transportation of natural gas, pipe line coating (internal or external cathodic protection of pipelines, gas metering system, supervisory control and data acquisition system, centrifugal compressors for gas transmission, pumps for transportation of LPG, gas turbines, gas metering dispatch terminal and laying of gas pipelines. BIS undertook this work on priority basis keeping in view the national importance technological needs, customers needs, health and safety. More than 160 experts representing various stakeholders were involved in formulation of these standards. Twenty-nine Indian Standards have been prepared and published on the subject in a record time of one year. These standards are very important in view of de-regulation of gas supply business with multiple players in the transmission businesses and need for a cross-country National Gas Grid. As safety and environment parameters have been given paramount importance, these standards would be extremely useful in implementing safety parameters and further improve our environment.
- **IS 15642 : 2005 Quick Methods for Detection of Adulterants/Contaminants in Common Food Products** – This standard stipulates physical methods for easy detection of adulterants /contaminants in common food products like milk, turmeric etc which can be used by common consumers.
- **IS/ISO 22000 : 2005 Food Safety Management Systems – Requirements for any Organization in the Food Chain** – This standard prescribes food safety management through the food chain and is certifiable standard.

- **आईएस 15542 : 2005 विद्युत चालित भूसा कटर - सुरक्षा अपेक्षाएँ** - इस मानक में विद्युत चालित भूसा कटर की सुरक्षा आवश्यकताएँ निर्दिष्ट की गई हैं।
- **आईएस 15561 : 2005 गन्ने का क्रशर - सुरक्षा अपेक्षाएँ** - इस मानक में गन्ने का क्रशर उपयोग करते समय किसानों की सुरक्षा की सुरक्षा आवश्यकताएँ निर्दिष्ट की गई हैं।
- **आईएस 15644 : 2006 विद्युत से चलने वाले खिलौनों की निरापदता** - खिलौनों की विषाक्तता और यांत्रिक निरापदता पर मानक पहले से ही उपलब्ध है। खिलौनों को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए इस मानक में विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, जिसमें निर्माण से संबंधित विद्युत खिलौनों की सुरक्षा की आवश्यकताएँ शामिल हैं ताकि जहाँ तक संभव हो व्यक्तियों और आसपास के स्थान पर जोखिम को कम किया जा सके, जब खिलौनों को आशयित रूप अथवा भावी तरीके से उपयोग किया जा सके। मानक के कार्यान्वयन से बच्चों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सुरक्षित विद्युत खिलौनों की निरापदता सुनिश्चित होगी।
- **आईएस 15637 : 2006 0.5 लीटर से 250 लीटर पानी की क्षमता से अधिक वाले द्रवित पेट्रोलियम गैसों (एलपीजी) के लिए वेल्डित किए गए स्टेनलैस स्टील के सिलिण्डर** - चूँकि स्टेनलैस स्टील में उच्चतर उत्पादन सामर्थ्य होती है, अत: गैस सिलिण्डर के विनिर्माण में प्रयुक्त शीट की मोटाई कम की जाती है। इस प्रकार, स्टेनलैस स्टील के सिलिण्डर का भार पारम्परिक एलपीजी सिलिण्डरों की तुलना में कम होता है। अधिक ऊँचाई वाले इलाकों में इसे उपयोग करना सुविधाजनक होगा। इन सिलिण्डरों का जीवन काल वर्तमान स्टील सिलिण्डरों की तुलना में अधिक है, क्योंकि इसमें क्षरण नहीं होता और इसकी सुरक्षा के लिए किसी प्रकार की पेंटिंग की भी आवश्यकता नहीं होती है।
- **आईएस 15548 : 2005 हाइड्रो फ्लोरोकार्बन (एचएफसी 134 ए)- सुरक्षा संहिता**-हाइड्रो फ्लोरोकार्बन संश्लेषित रसायनों की श्रेणियाँ हैं। जिन्हें ओज़ोन क्षरण पदार्थ (ओडीएस) के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जिन्हें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और स्वच्छ वायु अधिनियम संशोधन, 1990 के अंतर्गत हटाया जा रहा है। एचएफसी-134 ए ओज़ोन अनुकूल प्रकार का एक सीएफसी विकल्प है। मृदा स्तर में ओज़ोन की परत, जो पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षित रखती है, वह क्लोरो फ्लोरो कार्बन (सीएफसी), सहित वातावरण में निर्मुक्त होने वाले विभिन्न रसायनों से क्षरित हो रही है, जिन्हें रेफ्रीजेरशन, वातानुकूलन, इलैक्ट्रॉनिक्स फोम आदि अनेक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। भारत वर्ष 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरी बना, इसमें वर्ष 2010 के बाद सीएफसी के उपयोग पर प्रतिबंध है। एचएफसी-134 ए रेफ्रीजरेशन और वातानुकूलन तथा एयरोसॉल के संस्तुत सीएफसी में से एक है तथा अनेक तकनीकी, आर्थिक और सुरक्षा कारणों से अधिक वरीयता प्राप्त है। यह मानक स्वदेशी रूप से उपलब्ध आँकड़ों और जानकारी के आधार पर तैयार किया गया। इस मानक में एचएफसी-134 ए की सामान्य जानकारी और गुण, इसके साथ जुड़े जोखिम और व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणों पर अनिवार्य जानकारी, भण्डारण, प्रहस्तन, लेबल करने, परिवहन, छलकाव/रिसाव, अपशिष्ट

- **IS 15542 : 2005 Power Operated Chaff Cutter – Safety Requirement**–This standard prescribes safety requirements of power operated chaff cutter.
- **IS 15561 : 2005 Sugarcane Crushers – Safety Requirements**–This standard prescribes safety requirements of sugarcane crusher to ensure farmers safety while using the same.
- **IS 15644 : 2006 Safety of Electric Toys –** Standards on toxic and mechanical safety for toys were already available. To make the toys completely safe, electrical safety has been ensured in this standard, which covers the requirements of safety of electric toys relating to constructions so that risk of persons or surroundings are reduced as far as possible when the toys are used as intended or in a foreseeable way. The implementation of the standard would ensure safe electric toys used by the children.
- **IS 15637 : 2006 Welded Stainless Steel Cylinders for Liquefied Petroleum Gases (LPG) Exceeding 0.5 litre to 250 litres Water Capacity –** As stainless steel has a higher yield strength, the thickness of the sheet used in manufacture of the gas cylinder is reduced. Thus the weight of the stainless steel cylinder is lighter than the conventional LPG cylinders. It would be convenient to handle at higher altitude. The life of the cylinders is more than that of the existing steel cylinders as it is not corroded and any painting for protection is also not required.
- **IS 15548 : 2005 Hydro fluorocarbon (HFC-134a) – Code of Safety –** Hydro fluorocarbons (HFCs) are categories of synthetic chemicals that are being used as alternatives to the ozone depleting substance (ODS), which are being phased out under the Montreal Protocol and Clean Air Act amendment of 1990. HFC-134a is an ozone friendly CFC substitute. The ozone layer in the stratosphere which protects the earth from ultraviolet radiation from the Sun is getting depleted by various chemicals/ substances released in the atmosphere including chlorofluoro carbons (CFC) used in several industries such as refrigeration, air conditioning, electronics foams etc. Montreal protocol to which India became a signatory in 1992, prohibits the use of CFCs beyond the year 2010, HFC-134a is one of the recommended CFC substitute in refrigeration, air conditioning and aerosol and is a much preferred one for several technical, economic and safety reasons. This standard was prepared indigenously based on the available data and information. This standard covers general information and properties of HFC-134a, the nature of hazards associated with it and essential information on personal protective equipment, storage, handling, labelling, transportation, spillage/leakage,

निपटान/पुनःचक्रण, प्रशिक्षण, अग्नि शमन और अग्नि की रोकथाम, स्वास्थ्य निगरानी और फर्स्ट एड (प्राथमिक चिकित्सा) को शामिल किया गया है।

- **एसपी 7 : 2005 राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) 2005 (*दूसरा पुनरीक्षण*)** – भवन निर्माण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय उन्नति लाने और निरापद तथा स्वच्छ अधिवास प्रदान करने के लिए इस संहिता को पुनरीक्षित किया गया है। इस संहिता में भवन आयोजना, अभिकल्पन और निर्माण निहित हैं। इसके प्रावधान इस्पात, मेसनरी संहिता, लादने (लदाई) या लोडिंग संहिता अद्यतन अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं आदि की नवीनतम आवश्यकताओं के अनुरूप है। यह संहिता सरकारी निर्माण विभागों, स्थानीय निकायों और अन्य निर्माण अभिकरणों तथा अन्य निर्माण अभिकरणों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करने पर आशयित है। एनबीसी 2005 से संबंधित जानकारी सभी संबद्ध व्यक्तियों को देने हेतु भा मा ब्यूरो अनेक कार्यशालाएँ आयोजित कर रहा है।

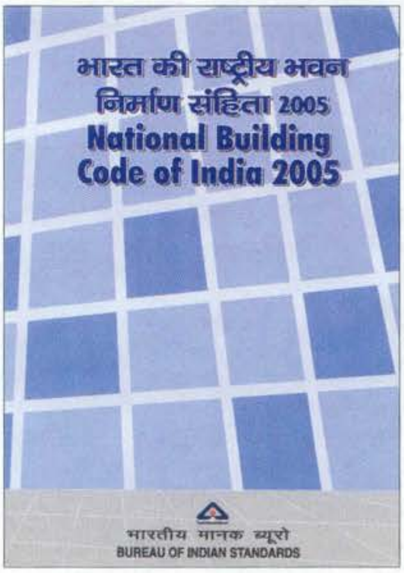

- **आईएस 15607 : 2005 बायो-डीज़ल – विशिष्टि** – स्वचालित वाहनों और तेल उद्योग के लिए पर्यावरण संबंधी विनियम प्रमुख प्रेरक रहे हैं। जैव ईंधन-इथेनॉल और बायो-डीज़ल–को पर्यावरण संबंधी विनिमय प्रमुख प्रेरक रहे हैं। जैव ईंधन-इथेनॉल और बायो-डीज़ल को पर्यावरण संबंधी समस्याओं और ऊर्जा सुरक्षा के एक समाधान के रूप में विश्वव्यापी स्वीकृति मिल रही है। बायो-डीज़ल अविषालु और जैव निम्नीकरणीय है तथा यह एक ईंधन और ईंधन संयोजी के रूप में एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी (ईपीए) में पंजीकृत है। बायो-डीज़ल को नए या प्रयुक्त वनस्पति तेलों (खाद्य और अखाद्य दोनों) से तथा पशु वसा के ट्रांस-एस्टरीकरण से बनाया जाता है। बायो-डीज़ल के उपयोग के फलस्वरूप बिना जले हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कणयुक्त पदार्थ में पर्याप्त कमी आती हैं। इसमें लगभग शून्य मात्रा में सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड और लगभग 10 प्रतिशत अंतर्निमित ऑक्सीजन होती है, जो इसका पूर्ण दहन सुनिश्चित करने में सहायता करती है। बायो-डीज़ल वायु प्रदूषण कम करने के अलावा यूरो III और यूरो IV उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक अल्प सल्फर डीज़ल ईंधनों के स्नेहन में सुधार लाता है।

- **आईएस 15609 : 2005 प्राकृतिक मिनरल जल और पैकेजबंद पेय जल की पैकिंग के लिए पॉलीएथिलीन के नम्य पाउच – विशिष्टि** – पैकिंग के सबसे सस्ते माध्यम होने और सुरक्षित जल को नम्य पाउच में पैक करने के कारण उन क्षेत्रों में जहाँ भूमिगत जल सुरक्षित नहीं है, विषेशकर तटीय क्षेत्रों में, पीईटी बोतल के अलावा इनकी अत्यधिक माँग है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पैक किया गया जल उपभोक्ता तक निरापद और सुरक्षित स्थिति में पहुँचे, भा मा ब्यूरो ने यह मानक प्रकाशित किया है। इस मानक में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त सह-बहिर्वेधित पॉलीएथिलीन फिल्म की आवश्यकताएँ, निष्पादन आवश्यकताएँ और प्राकृतिक मिनरल जल तथा पैकेजबंद पेयजल के लिए लचीले पाउच हेतु परीक्षणों की विधियाँ शामिल की गई हैं।

waste disposal/ recycling, training, fire fighting and fire prevention, health monitoring and first aid.

- **SP 7 : 2005 National Building Code (NBC) 2005 (*second revision*)** – This Code has been revised to bring technological advancement in building construction field and to provide safe and healthy habitat. This Code covers building planning, designing and construction. Its provision are in line with latest requirement of steel code, masonry code, loading code and updated fire protection requirements etc. This Code is intended to serve as a model for adoption by Government construction departments, local bodies and other construction agencies. BIS is organizing a number of workshops to disseminate information to all concerned for information of NBC 2005.

- **IS 15607 : 2005 Bio-diesel – Specification** – Environmental regulations continue to be the major driver for auto and oil industry. Biofuels – Ethanol and Bio-diesel – are gaining world wide acceptance as a solution to environmental problems and energy security. Bio-diesel is non-toxic and bio-degradable and is registered with Environmental Protection Agency (EPA) as a fuel and fuel additive. Bio-diesel is made from virgin or used vegetable oils (both edible and non-edible) and animal fats through trans-esterification. The use of bio-diesel results in substantial reduction of un-burnt hydrocarbons, carbon monoxide and particulate matter. It has almost no sulphur, no aromatics and about 10% built-in oxygen which help in ensuring complete combustion. Its higher Cetane Number also improves the combustion. Bio-diesel besides helping in reducing the air pollution, improves lubricity of low sulphur diesel fuels required for meeting Euro III and Euro IV emission norms.

- **IS 15609 : 2005 Polyethylene Flexible Pouches for the Packing of Natural Mineral Water and Packaged Drinking Water – Specification** – Flexible pouches being the cheapest mode of packing and potable water packed in flexible pouches is in great demand besides PET bottles in areas where ground water is not potable, particularly in the coastal areas. To ensure that packaged water reaches the consumer in safe and potable state, BIS published this standard. This standard covers the requirements for co-extruded polyethylene film used as raw material and capacity, performance requirements and methods of tests for flexible pouches for packing natural mineral water and packaged drinking water.

- **आईएस 15573 : 2005 पॉलीएल्युमिनियम क्लोराइड** – सुरक्षित जल की आपूर्ति की गुणता में सुधार सभी नगर निगमों और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरी जल आपूर्ति पद्धतियों का एक प्रबलन क्षेत्र है। आपूर्त जल की गुणता में सुधार की खोज के भाग के रूप में सर्वाधिक लागत प्रभावी और सक्षम जल उपचार रसायनों की एक आवश्यकता है। पॉलीएल्युमिनियम क्लोराइड अनेक प्रकार के धुंधलेपन और पीएच के सूक्ष्मदर्शी निलम्बित पदार्थ को हटाने के लिए एक प्रभावी स्कंदक के रूप में किया जाता है, जो प्राकृतिक सतही जल में पाए जाते हैं। यह शैवालों को हटाने के लिए भी प्रभावी है। पॉलीएल्युमिनियम क्लोराइड को नई कच्ची सामग्रियों से बनाया जाए ताकि यह पेय जल के लिए सुरक्षित हो। इस मानक में तरल और चूर्ण के रूप में पॉलीएल्युमिनियम क्लोराइड की विशेषताएँ, आवश्यकताएँ और नमूने लेने तथा परीक्षण की विधियाँ बताई गई हैं।
- **आईएस 15584 : 2005 चिकित्सकीय एक्स-रे फिल्म** – एक्स-रे की तकनीक के साथ चिकित्सकों को रोगियों के शरीर के अंदरूनी भागों का स्पष्ट चित्र मिलता है और वे उनका निदान कर सकते हैं। चिकित्सीय एक्स-रे सही गुणता वाली होनी चाहिए, ताकि यह शरीर के अंगों की उचित छवि प्रस्तुत करे। इस मानक में आधार की मोटाई + आधार फोग घनत्व, अधिकतम घनत्व, औसत प्रवणता और प्रकाशीय घनत्व में एकसारता को अनुबंधित किया गया है। इस मानक में तीखेपन और छवि की स्पष्टता के सत्यापन हेतु रेडियोग्राफी परीक्षण तथा त्वरित काल-प्रभावन परीक्षण को भी निर्दिष्ट किया गया है। मानक में फिल्मों की न्यूनतम शेल्फ जीवन अवधि भी बताई गई है। इस मानक के कार्यान्वयन से चिकित्सीय एक्स-रे फिल्मों की गुणता के विषय में आयातकों और उपभोक्ताओं को सहायता मिलने की आशा है।
- **आईएस 15612 : 2005 वस्त्रादि - पर्दों और वस्त्रों के ज्वलन व्यवहार** – वस्त्रादि सामग्रियों की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे कि दहन, तापीय निम्नीकरण, अंतर्दहन, पश्चात-चमक, धुआँ और विषालुता के अतिरिक्त एक है ज्वलनशीलता। वस्त्रादि की ज्वलनशीलता आवश्यकताओं में प्रौद्योगिकीय उन्नतियों के साथ गति बनाए रखने के लिए भा मा ब्यूरो ने निम्नलिखित विषयों पर मानकों के नए सैट का निर्धारण किया है:
  (क) 'वस्त्रादि - पर्दों और कपड़ों का ज्वलन व्यवहार: भाग 1 वर्गीकरण योजना'
  (ख) 'वस्त्रादि - पर्दों और कपड़ों का ज्वलन व्यवहार : भाग 2 बड़े प्रज्वलन स्रोतों सहित ऊर्ध्वाधर उन्मुख नमूनों में ज्वाला फैलने का मापन'
  (ग) 'वस्त्रादि-पर्दों और कपड़ों का ज्वलन व्यवहार : भाग 3 ऊर्ध्वाधर उन्मुख नमूनों की ज्वलनशीलता निर्धारित करने की विस्तृत विधि (छोटी ज्वाला)'
  (घ) 'वस्त्रादि -पर्दों और कपड़ों का ज्वलन व्यवहार : भाग 4 ऊर्ध्वाधर उन्मुख नमूनों की ज्वलनशीलता निर्धारित करने की विस्तृत विधि'
- **आईएस 15658 : 2006 फर्श (सड़क) के लिए पूर्व निर्मित कॉन्क्रीट ब्लॉक** – पूर्व निर्मित सीमेंट कॉन्क्रीट के ब्लॉकों से हल्के, मध्यम, भारी और अत्यन्त भारी यातायात अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त सड़क बनाने का एक तीव्र मार्ग है। तदनुसार, भा मा ब्यूरो ने इस

- **IS 15573 : 2005 Polyaluminium Chloride –** Improvement in the quality of potable water supply is a thrust area of all municipal and Public Health Engineering Department water supply systems. As part of this quest to improve the quality of water supplied, there is a need for most cost effective and efficient water treatment chemicals. Polyaluminium chloride is an effective coagulant used to remove microscopic suspended matter quickly over a wide range of turbidity and *p*H as encountered in natural surface waters. It is also effective for removing algae. Polyaluminium chloride is to be manufactured from virgin raw materials so that it is safe for drinking water. The standard prescribes the characteristics, requirements and methods of sampling and test for polyaluminium chloride in liquid and powder from.
- **IS 15584 : 2005 Medical X-ray film –** With the X-ray techniques the doctors gets clear picture of inside parts of bodies of the patients under investigation enabling them to make diagnosis. The Medical X-ray Film should be of the right quality, so that it will gives proper image of the parts of the body. The requirements for Thickness of base, Base + Fog density, Maximum density, Average gradient and Uniformity in optical density have also been stipulated in the standard. In addition, the tests for Radiography to verify the sharpness and image clarity and Accelerated Ageing Test have also been specified in the standard. The standard also incorporates the minimum shelf life of films. The implementation of the standard is expected to assist the importers and the consumers regarding the quality of the Medical X-ray Films.
- **IS 15612 : 2005 Textiles – Burning Behaviour of Curtains and Drapes –** The flammability is one of the important properties of textile materials apart from other characteristics such as combustion, thermal degradation, smoldering, after glow, smoke and toxicity. In order to keep pace with the technological advancement in flammability requirements of textile fabrics, BIS formulated a new set of standards on the following subjects :
  (a) 'Textiles – Burning behaviour of curtain and drapes: Part 1 Classification scheme'
  (b) 'Textiles – Burning behaviour of curtain and drapes: Part 2 Measurement of flame spread of vertically oriented specimens with large ignition source'
  (c) 'Textiles – Burning behaviour of curtain and drapes: Part 3 Detailed method of determining the ignitability of vertically oriented specimens (small flame)'
  (d) 'Textiles – Burning behaviour of curtain and drapes: Part 4 Detailed method of determining the ignitability of vertically oriented specimens'
- **IS 15658 : 2006 Precast Concrete Blocks for Paving** – Precast cement concrete blocks provide a quick way of providing paving used for light, medium, heavy and

मानक का निर्धारण किया, जिसमें घटक सामग्रियाँ, उत्पाद आवश्यकताएँ और परीक्षण विधियाँ निर्दिष्ट की गई है।

क) आईएस/आईएसओ/आईईसी 27001 : 2005 सूचना प्रौद्योगिकी - सुरक्षा तकनीकें - सूचना सुरक्षा प्रबंध पद्धतियाँ - अपेक्षाएँ

ख) आईएस/आईएसओ/आईईसी 17799 : 2005 सूचना प्रौद्योगिकी - सुरक्षा तकनीकें - सूचना सुरक्षा प्रबंध की रीति संहिता

सूचना सुरक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूचना सुरक्षा में त्रुटियों से वित्तीय क्षतियाँ और व्यवसाय प्रचालनों में भारी तबाही हो सकती है। आईएस/आईएसओ/आईईसी 27001: 2005 और आईएस/आईएसओ/आईईसी 17799 : 2005 दोहरी संख्या वाले मानक हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अपना कर तैयार किए गए है तथा ये संगठन को नुकसान से बचाने में सहायता देकर भावी खतरों से बचा सकते हैं। इन मानकों को व्यापक प्रकार के संगठनों-छोटे, मध्यम और बड़े में, अधिकांश वाणिज्यिक तथा औद्योगिक बाज़ार क्षेत्रों, बैंकिंग तथा बीमा, दूरसंचार, उपयोगिताओं, खुदरा और विनिर्माण, सेवा उद्योगों परिवहन, ई-शासन और ई-व्यवसाय आदि में उपयोग किया जा सकता है। इन मानकों के कार्यान्वयन से ग्राहकों और आपूर्तिकारों को पुन: आश्वासन मिलेगा कि सूचना सुरक्षा को संगठन के अंदर गंभीरतापूर्वक लिया जाता है और इनमें सूचना सुरक्षा खतरों एवं मुद्दों से निपटने के लिए आधुनिकतम प्रक्रम और नियंत्रण उपलब्ध हैं।

आईएस 15504 : 2004 सार्वजनिक सूचना पद्धतियाँ-यह मानक आईएसओ 7001 : 1990 'सार्वजनिक सूचना प्रतीक' के समरूप है और इसमें लोगों की जानकारी के लिए प्रयुक्त ग्राफीय संकेतों की छवि विषयवस्तु को निर्दिष्ट किया गया है। इन मानक प्रतीक के साथ सार्वजनिक सुविधाओं, खतरे के प्रतीक आदि पर जानकारी लोगों तक आसानी से पहुँचाई जा सकती है ताकि वे अपनी संस्कृति या भाषा कुछ भी होने के बावजूद इन्हें समझ सकें।

आईएस 15700 : 2005 गुणता प्रबंध पद्धतियाँ - लोक सेवा संगठनों द्वारा सेवा गुणता हेतु अपेक्षाएँ - भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत सरकार के अनुरोध पर एक भारतीय मानक 'गुणता प्रबंध पद्धतियाँ-लोक सेवा संगठनों द्वारा सेवा गुणता हेतु अपेक्षाएँ' तैयार किया है। लोक सेवा संगठन द्वारा इस मानक के कार्यान्वयन से उन पद्धतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि यह अपने ग्राहकों को लगातार प्रभावी और सक्षम सेवाएँ प्रदान करने में समर्थ हो, जिससे न केवल ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि होगी, बल्कि इसकी सेवाओं को भी निरंतर सुधारा जा सकेगा। इस मानक में 'सेवा प्रदाय', 'नागरिक चार्टर', 'शिकायत निपटान' और 'निरंतर सुधार' मुख्य रूप से शामिल किए गए है।

आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025 : 2005 परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं की सक्षमता की सामान्य अपेक्षाएँ- आईएसओ/आईईसी 17025:1999 को आईएसओ/आईईसी 17025:2005 के रूप में पुनरीक्षित किया गया है। मूल मानक (आईएसओ/आईईसी 17025:1999) आईएसओ 9001:1994 और आईएसओ 9002:1994 पर

very heavy traffic applications. Accordingly BIS formulated this standard which specifies constituent materials, product requirement and test methods.

a) **IS/ISO/IEC 27001 : 2005 Information Technology – Security Techniques –Information Security Management Systems – Requirements**

b) **IS/ISO/IEC 17799 : 2005 Information Technology – Security Techniques – Code of Practice for Information Security Management**

Information security is important as Information security flaws can result in escalating financial losses and wreak havoc with business operations. IS/ISO/IEC 27001 : 2005 and IS/ISO/IEC 17799 : 2005 are dual number standards and prepared by adopting International Standards and can help organizations plug leaks and prevent future threats. These standards can be used by a broad range of organizations–small, medium and large, in most of the commercial and industrial market sectors: banking and insurance, telecom, utilities, retail and manufacturing, service industries, transportation, for e-government and e-business etc. The implementation of these standards will reassure customers and suppliers that information security is taken seriously within the organization and they have in place state-of-the-art processes and controls to deal with information security threats and issues.

IS 15504 : 2004 Public Information Systems – This standard, which is identical with ISO 7001 : 1990 'Public Information Symbols' specifies the image content of graphical symbols used for the information of people. With these standard symbols, information on public amenities, danger signals etc can be easily delivered to people to enable them to understand irrespective of their culture or language.

IS 15700 : 2005 Quality Management Systems – Requirements for Service Quality by Public Service Organizations – Bureau of Indian Standards (BIS), at the behest of Government of India, has prepared an Indian Standard on 'Quality Management Systems – Requirement for Service Quality by Public Service Organizations'. The implementation of this standard by a public service organization would help it in building systems which would ensure that it is capable of providing effective and efficient services to its customers consistently, which will not only help it in enhancing customer satisfaction but also in continually improving its service. This standard mainly includes the systems for 'service delivery', 'citizen charter', 'complaints handling', and 'continual improvement'.

IS/ISO/IEC 17025 : 2005 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories – ISO/IEC 17025 :1999 has been revised as ISO/IEC 17025 : 2005. The original standard (ISO/IEC 17025 :1999) was based on ISO 9001 : 1994 and ISO 9002 :1994. These

आधारित था। इन मानकों के स्थान पर आगे चलकर आईएसओ 9001 : 2000 लाए गए, जिनमें आईएसओ 9001 : 2000 के साथ अनिवार्य आईएसओ/आईईसी 17025 का सरेखन किया गया। इस पहले पुनरीक्षण में खंडों को केवल तभी संशोधित किया या जोड़ा गया है जब आईएसओ 9001 : 2000 के प्रकाश में इसे अनिवार्य पाया गया।

आईएस/आईएसओ 15189 : 2003 चिकित्सीय प्रयोगशालाएँ – गुणता और सक्षमता की विशेष अपेक्षाएँ – चिकित्सीय प्रयोगशाला सेवाएँ रोगी की देखभाल के लिए अनिवार्य हैं और इस लिए इसे सभी रोगियों तथा क्लिनिक कार्मिकों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए उपलब्ध होना चाहिए, जो इन रोगियों की देखभाल के लिए उत्तरदायी है। उक्त सेवाओं में अनुरोध की व्यवस्था, रोगी को तैयार करना, रोगी की पहचान करना, नमूने संग्रह करना, परिवहन, भंडारण, क्लिनिक नमूनों का प्रक्रमण और परीक्षण, चिकित्सीय प्रयोगशाला कार्य में निरापदता तथा नीतिशास्त्र के विचारों के साथ पुनः सत्यापन, व्याख्या, रिपोर्ट करना एवं सलाह देना शामिल है। भा मा ब्यूरो ने दोहरी संख्या के अंतर्गत आईएसओ 15189 को अपनाया है। यह मानक चिकित्सीय प्रयोगशाला सेवाओं के वर्तमान में मान्यता प्राप्त विषयों में उपयोग हेतु आशयित हैं। अन्य सेवाओं और विषयों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए भी यह उपयोगी और उपयुक्त हो सकता है। इसके साथ, चिकित्सीय प्रयोगशालाओं की सक्षमता को मान्यता देने में संलग्न निकाय अपनी गतिविधियों के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय मानक को आधार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस मानक में चिकित्सीय प्रयोगशालाओं के लिए विशेष रूप से गुणता और सक्षमता की आवश्कताएँ निर्दिष्ट की गई हैं।

मानकों की समीक्षा तथा अद्यतनीकरण

जब भी जरूरी हो मानकों की समीक्षा की जाती है परंतु यह समीक्षा पांच वर्षों में कम से एक बार अवश्य की जाती है। वर्ष के दौरान 3 663 मानकों की समीक्षा की गई, 3 589 मानकों की पुनः पुष्टि की गई, 251 का पुनरीक्षण शुरू किया गया और 74 मानकों को वापिस लिया गया। इसके साथ, मानकों में 320 संशोधन प्रकाशित किए गए।

सुमेलीकरण

खुले बाज़ार के परिदृष्य में भारत वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा की चुनौती का सामना कर रहा है। वैश्विक बाज़ार में बने रहने का एकमात्र तरीका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित आईएसओ/आईईसी मानकों को जहाँ तक संभव हो भारतीय मानकों के साथ सुमेलित किया जाए। भारत व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर डब्ल्यूटीओ करारनामे का हस्ताक्षरी है। इस करारनामे के अनुसार, डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों को अपने राष्ट्रीय मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सरेखित करने की आवश्यकता होती है। यद्यपि, देशों की विशिष्ट चिन्ता जैसे सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करते समय विचार में लिया/शामिल किया जा सकता है। भा मा ब्यूरो में मानक निर्धारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उपयोग किया जाता है, जहाँ ये एक आधार के रूप में मौजूद हैं। अब तक भा मा ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ 3 757 भारतीय मानकों को सुमेलित किया है।

standards were subsequently superseded by ISO 9001 : 2000, which made an alignment of ISO/IEC 17025 necessary with ISO 9001 : 2000. In this first revision, clauses have been amended or added only when considered necessary in the light of ISO 9001 : 2000.

IS/ISO 15189 : 2003 Medical Laboratories – Particular Requirements for Quality and Competence – Medical laboratory services are essential to patient care and therefore have to be available to meet the needs of all patients and the clinical personnel responsible for the care of those patients. Such services include arrangements for requisition, patient preparation, patient identification, collection of samples, transportation, storage, processing and examination of clinical samples, together with subsequent validation, interpretation, reporting and advice, in addition to the considerations of safety and ethics in medical laboratory work. BIS has adopted ISO 15189 under dual numbering. This standard is intended for use throughout the currently recognized disciplines of medical laboratory services. Those working in other services and disciplines could also find it useful and appropriate. In addition, bodies engaged in the recognition of the competence of medical laboratories will be able to use this International Standard as the basis for their activities. It specifies requirements for quality and competence particular to medical laboratories.

Review and Updating of Standards

Standards are reviewed as considered necessary, but at least once in five years. During the year 3 663 standards were reviewed, 3 589 standards were reaffirmed, 251 were taken up for revision and 74 were withdrawn. In addition, 320 amendments to standards were published.

Harmonization

In the open market scenario, India is facing challenge of global competitiveness. The only way to sustain in the global market is to harmonize Indian Standards as far as possible with ISO/IEC Standards formulated at International level. India is a signatory to WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT). As per the agreement, member countries of WTO are required to align their National Standards with International Standards. However, countries specific concerns such as safety, environmental issues can be considered/incorporated, while formulating National Standards. BIS uses International Standards wherever they exist as a basis for the standards development. So far BIS has harmonized 3 757 Indian Standards with International Standards.

अनुसंधान और विकास के लिए कोष

विद्यमान मानकों का पुनरीक्षण करते या नए मानकों के निर्धारण में नवीनतम अनुसंधान और विकास आँकड़ों/तकनीकी निविष्टियों को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है ताकि ये मानक आधुनिकतम होने के साथ सर्वाधिक अद्यतन हों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा प्रथाओं के अनुसार हों। भा मा ब्यूरो ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए मानकीकरण, प्रयोगशालाओं और प्रमाणन की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए 50 लाख रू. का एक कॉर्पस कोष बनाया है।

मानक संवर्द्धन

मानक कार्यक्रमों का शैक्षिक उपयोग (ईयूएस)

मानकीकरण तथा गुणता पद्धतियों के क्षेत्र में व्यावसायिक संस्थानों के विद्यार्थियों तथा प्राध्यापक वर्ग को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे कि वे उनके द्वारा दिए जाने वाले माल और सेवाओं में गुणता लाने में सक्षम हो सकें। इस बात को समझते हुए मानकीकरण के संदेश के प्रचार और देश भर के विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों क्षेत्रों में अद्यतन भारतीय मानकों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के विशिष्ट उद्देश्य से मानकों के शैक्षिक उपयोग पर भा मा ब्यूरो नियमित रूप से कार्यक्रम चलाता रहा है। उक्त कार्यक्रमों के प्रतिभागियों के बीच वितरण हेतु विशेषज्ञ क्षेत्रों में संदर्भ सामग्री के विशेष किट तैयार किए गए है।

वर्ष के दौरान आरूपडाई वीडु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई; शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, लखनऊ; राजकीय पॉलीटेक्नीक, बाराबंकी; एमपी पॉलीटेक्नीक, गोरखपुर; राजकीय पॉलीटेक्नीक देवरिया; इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमैंट एण्ड रिसर्च, पुणे; डी वाई पाटिल, पुणे; एफआरआई, दिल्ली; राजालक्ष्मी इंजीनियरिंग कॉलेज, चेन्नई; करूपअजाल इंजीनियरिंग कॉलेज, भुवनेश्वर; बीसीई, हैदराबाद के लिए 14 कार्यक्रमों का आयोजन किया। ''मानकीकरण का महत्व'' विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन नेशनल सेंटर फॉर टेक्निकल डेवलपमेंट, हैदराबाद, एसोसिएशन ऑफ गोल्ड एण्ड डायमण्ड मर्चेंट में किया गया।

उद्योग जागरूकता कार्यक्रम

उद्योग जागरूकता कार्यक्रम का मूल उद्देश्य लघु उद्योगों में मानकीकरण तथा गुणता पद्धति की अवधारणा का प्रचार करना है। ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को मानकीकरण, प्रबंध पद्धति प्रमाणन, उत्पाद प्रमाणन तथा भा मा ब्यूरो के अन्य कार्यक्रमों से अवगत कराया

Fund for Research and Development

While revising existing standards or formulating new standards, it may be required to obtain latest R&D data/ technical inputs so that these standards are most up-to-date reflecting the state of the art and are at par with International Standards and practices. BIS has created a corpus fund of Rs. 50 lakhs, for research and development activities for standardization, laboratories and certification for the financial year 2006-07.

STANDARDS PROMOTION

Educational Utilization of Standards Programmes (EUS)

The students and faculty of professional institutions need to be trained in the field of standardization and management systems, so that they are well equipped to introduce quality in goods and services to be delivered by them. Recognizing this BIS has been regularly conducting programmes on Educational Utilization of Standards with the specific aim to propagate the message of standardization and to create awareness about latest Indian Standards in various professional institutes and universities through out the country. Special kit of Reference Material pertaining to specialized fields has also been prepared for distribution amongst the participants in such programmes.

During the year, 14 Programmes were organized for Aarupadai Veedu Institute of Technology, Chennai; Shivam Institute of Medical Transcription, Lucknow; Government Polytechnic, Barabanki; MP Polytechnic, Gorakhpur; Government Polytechnic Deoria; Institute of Business Management & Research, Pune; D Y Patil, Pune; FRI Delhi; Rajalakshmi Engineering College, Chennai; Karupajal Engineering College, Bhubaneswar; BCE, Hyderabad. A lecture on "Importance of Standardization" was given at National Centre for Technical Development, Hyderabad, Association of Gold & Diamond Merchants.

Industry Awareness Programmes

The basic aim of the Industry Awareness Programme is to propagate the concept of standardization and management systems amongst small scale industries. Such programme organized by BIS consist of lectures, discussions and video films shows, where the participants are exposed to the

जाता है। ऐसे कार्यक्रमों में व्याख्यान, विचार विमर्श तथा वीडियो फिल्म के शो होते हैं। उक्त कार्यक्रमों में विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित मानकों पर भी प्रकाश डाला जाता हैं जो कि उस क्षेत्र के उद्योगों की संख्या पर निर्भर करता है। भा मा ब्यूरो द्वारा उक्त कार्यक्रम स्थानीय उद्योग संघों तथा लघु उद्योग सेवा संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद; इस्पात उद्योग, कोलकाता; हैदराबाद के आभूषण निर्माता; ज्वेलर्स एसोसिएशन ऑफ वडोदरा; सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी; ऑल इंडिया प्लास्टिक मेनुफेक्चरर्स एसोसिएशन, फूड रिसर्च एण्ड स्टेंडर्डाइज़ेशन लेबोरेटरी, गाज़ियाबाद, हैदराबाद में हॉलमार्किंग पर उद्योग जागरूकता एचडीपीई पाइप्स, हैदराबाद में ऐसे नौ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

राज्य स्तरीय समितियाँ (एसएलसी)

मानकों के प्रभावी कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने तथा देश भर में मानकीकरण तथा प्रबंध पद्धति का संदेश प्रचारित करने के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी पद्धति स्थापित करने के लिए मानकीकरण तथा गुणता पद्धतियों के लिए लगभग सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राज्य स्तरीय समितियाँ (एसएलसी) स्थापित की गई हैं। वर्ष के दौरान दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, अरूणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा की राज्य स्तरीय समितियों की बैठकें की गईं। इन बैठकों में राज्य सरकारों द्वारा भा मा ब्यूरो प्रमाणित सामान की खरीद, कार्मिकों के प्रशिक्षण, गुणता नियंत्रण आदेशों के प्रवर्त्तन, उपभोक्ता शिक्षा तथा राज्य सरकारों द्वारा उन इकाइयों को अधिक प्रोत्साहन दिए जाने पर जोर दिया गया, जिनके पास उत्पाद तथा गुणता पद्धति प्रमाणन लाइसेंस है।

विश्व मानक दिवस

भा मा ब्यूरो द्वारा अपने मुख्यालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय, शाखा कार्यालयों और निरीक्षण कार्यालयों में विश्व मानक दिवस मनाया गया। **"सुरक्षित विश्व के लिए मानक"** विषय पर मुख्य समारोह तथा तकनीकी संगोष्ठी 14 अक्तूबर 2005 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें उद्योग, वाणिज्य,

concept of standardization, Management Systems Certification, Product Certification and other BIS activities. Standards relating to specific industrial sector, depending upon the concentration of industries in the area, are also highlighted in such programmes. These programmes are organized by BIS in collaboration with Local Industry Associations and Small Industries Service Institute.

During the year nine such programmes were organized at National Institute of Rural Development, Hyderabad; Steel Industry, Kolkata; Jewellers of Hyderabad, Jewellers Association of Vadodara, Central Institute of Plastics Engineering and Technology, Guwahati; All India Plastic Manufacturers Association, Food Research & Standardization Laboratory, Ghaziabad; Industry Awareness on Hallmarking at Hyderabad; HDPE Pipes, Hyderabad.

State Level Committees (SLCs)

In order to have a permanent mechanism at the State Level to ensure effective implementation of standards and to propagate the message of Standardization and Quality Systems all over the country, State Level Committees (SLCs) for Standardization and Management Systems have been set up in almost all States/Union Territories. During the year meetings of SLCs Delhi, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Bihar, Arunachal Pradesh and Tripura were held. During these meetings emphasis was made on the purchase of BIS certified material by the State Government(s), Training of Personnel, Enforcement of Quality Control Orders, Consumer education and granting more incentives by State Governments to units holding products as well as Quality Systems Certification Licences.

World Standards Day

The World Standards Day was celebrated by BIS at its headquarters at New Delhi and also at Regional, Branch Offices and Inspection Offices. The main function and technical seminar on the theme **"Standards for a Safer World"** was organized at

उपभोक्ताओं से जुड़े लोगों ने तथा प्रौद्योगिकीविदों, सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थाओं आदि ने भाग लिया।

सूचना तथा लघुउद्योग सहायता कक्ष

भारतीय मानक ब्यूरो में वर्ष 1997 से कार्यरत सूचना तथा लघु उद्योग सरलीकरण प्रकोष्ठ लघु तथा मध्यम उद्यमियों की विभिन्न जानकारियों का समाधान करता रहा है। यह सुविधा प्रकोष्ठ एकल खिड़की के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो के निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेषकर लघु उद्योगों को अद्यतन सूचना/सहायता प्रदान करता रहा है:

- मानक (राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय)
- उत्पाद प्रमाणन चिन्ह योजना
- गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (आईएसओ 9001)
- पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (आईएसओ 14001)
- खाद्यजनित हानि विश्लेषण तथा क्रांतिक नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी) (आईएस 15000)
- ईको चिन्ह के माध्यम से खाद्य स्वच्छता हेतु प्रमाणन योजना
- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध पद्धति (ओएचएसएमएस) (आईएस 18001)
- स्वर्ण और रजत आभूषणों और वस्तुओं पर हॉलमार्किंग योजना
- विदेशी निर्माताओं तथा आयातित उत्पादों के लिए प्रमाणन योजना
- पुस्तकालय सेवाएँ
- जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम
- प्रयोगशाला तथा अंशशोधन सेवाएँ
- विविध सूचना

इसके अतिरिक्त, अन्य क्षेत्रों में सूचना जैसे कि आईईसीक्यू, आईईसीईई-सीबी योजना, एगमार्क, डीसीएसएसआई, सिडबी, पेटेंट रजिस्ट्रार, भार एवं मापन, एसईआई आदि भी सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान किए जाते है। वर्ष के दौरान इस प्रकोष्ठ में 323 दूरभाषिक पूछताछ और 383 आगंतुकों को उत्तर दिए गए।

राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार (आरजीएनक्यूए)

सर्वश्रेष्ठ उद्योगों को विशेष मान्यता देने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो ने 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार शुरू किया। इस पुरस्कार का उद्देश्य गुणता कार्यक्रमों के प्रति उद्योगों में रुचि उत्पन्न करना और उनका सहयोग प्राप्त करना, भारतीय उत्पादों की गुणता के स्तर में सुधार करना और स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय संगठनों को अधिक

New Delhi on 14 October 2005 which was attended by a large number of delegates representing various organizations from industry, commerce, consumers, technologists, Government departments, educational institutions, etc.

Information and SSI Facilitation Cell

Information and SSI Facilitation Cell operating at BIS Headquarters since 1997 continued to serve small and medium scale entrepreneurs for their various queries. This Facilitation Cell, as a single window, provided variety of updated information / assistance particularly to small scale sectors in the following areas of BIS.

- Standards (National and International)
- Product Certification Marks Scheme
- Quality Management System Certification Scheme (ISO 9001)
- Environmental Management System Certification Scheme (ISO 14001)
- Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) (IS 15000)
- Certification Scheme for Food Hygiene through ECO Mark
- Occupational Health & Safety Management System (OHSMS)(IS 18001)
- Hallmarking on Gold & Silver Jewellery & Artifacts
- Certification scheme for Foreign Manufacturers and Imported Products
- Library Services
- Awareness and Training Programmes
- Laboratory and Calibration Services
- Miscellaneous Information

In addition, information in other areas like IECQ, IECEE – CB scheme, Agmark, DCSSI, SIDBI, Registrar of Patents, Weights & Measure, SEI etc, also provided by facilitation cell . This cell attended to 323 Telephonic queries and 383 visitors during the year.

Rajiv Gandhi National Quality Award (RGNQA)

Rajiv Gandhi National Quality Award was instituted by the Bureau of Indian Standards in 1991 with a view to give special recognition to the best industries. This award is intended to generate interest and involvement of Indian Industry in quality programmes, drive Indian products to higher levels of quality and better equip Indian organizations to meet the challenges of domestic and International markets. This award

हिन्दी मानक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान, तिमाही हिन्दी मानकदूत पत्रिका का नियमित रूप से प्रकाशन किया गया। अप्रैल-जून 2005 अंक रजत जयन्ती अंक था।

वर्ष के दौरान कार्यालय मैनुअल-III को मुद्रण के लिए भेजा गया। वर्ष के दौरान, एसपी 46, आईएस 14001 : 2004 और आईएस 2551 : 1982 का अनुवाद किया गया। इसके अलावा, अनुवाद पैनल ने 69 मानकों के अनुवाद पर विचार किया। हॉलमार्क और कॉर्पोरेट विवरणिका का भी अनुवाद किया गया। सामान्य अनुवाद के लगभग 400 पृष्ठ, 40 प्रैस सूचनाएँ, विज्ञापन, निविदाएँ, भाषणों, पत्रों, टिप्पणियों का अनुवाद, पुनरीक्षण, टंकण, मिलान और सुधार कार्य तत्काल आधार पर किया गया। अनुवाद हेतु 63 मानक एजेंसी को भेजे गए। तीन मानकों के संशोधन भी मुद्रित किए गए।

राजभाषा संसदीय समिति की द्वितीय उप-समिति ने 18 जनवरी 2006 को दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग का निरीक्षण किया।

विदेशी भाषाएँ और प्रकाशन

विभाग में दो मासिक पत्रिकाओं-स्टैंडर्ड्स इंडिया (पूर्व आईएसआई बुलेटिन), जो 1949 से जारी है और स्टैंडर्ड्स मंथली एडिशन जो 1958 में आरंभ हुई, के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और व्यवसाय वृत्तों में मानकीकरण अभियान के प्रक्षेपण और प्रवर्तन का कार्य किया जाता है। स्टैंड्र्डस इंडिया में देश और विदेश में मानकीकरण प्रयास का एक रोचक विवरण तथा समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। इसमें क्षेत्र की नवीनतम प्रगति पर प्रकाश डाला जाता है, विचारोत्तेजक महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, यह अब इस क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित पत्रिका बन गई है। स्टैंडर्ड मंथली एडिशन एक छोटा परन्तु सुगठित प्रकाशन है, जिसमें माह के दौरान आंतरिक स्तर पर नए, विद्यमान या प्रारूप के तौर पर जारी अथवा विदेश से प्राप्त मानकों के विषय में सभी संशोधन, रूपान्तर और सूचनाएँ प्रकाशित किए जाते हैं।

एक कैटलॉग में ये शीर्षक शामिल हैं (क) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारतीय मानकों को 31 दिसम्बर तक अद्यतन किया जाता है, (ख) भारतीय मानकों के रूप में अपनाए जाने के लिए भारतीय मानक (ग) हिन्दी में भारतीय मानक (अनुवाद), (घ) विशेष प्रकाशन, संदर्भ और गणना सहायक तथा (ड.) कैटलॉग में सूचीबद्ध सभी प्रकाशनों के संगत सूचकांक का प्रकाशन विभाग द्वारा वार्षिक रूप से किया जाता है।

भा मा ब्यूरो के पास सभी प्रकाशनों के कॉपीराइट (सर्वाधिकार) सुरक्षित हैं और भारतीय मानकों से सार-संक्षेप पुनरूत्पादित करने के अनुरोध विभाग को अग्रेषित किए जाते है। आईएसओ/सा. 19 : 1999 'पुस्तकों में आईएसओ मानकों के लिए तीसरे पक्षकारों को कॉपीराइट के दोहन अधिकार सौंपने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत' से अपनाई गई प्रक्रिया विधियों पर आधारित तकनीकी सत्यापन और गणनाओं के बाद विभाग की ओर से आवेदक द्वारा कॉपीराइट प्रभारों के भुगतान पर उसे अनुमति प्रदान की जाती है।

विभाग द्वारा विभिन्न विदेशी भाषाओं के तकनीकी प्रलेखों, मानकों और अन्य सामग्री के अंग्रेज़ी में और अंग्रेज़ी से फ्रांसीसी तथा जर्मन भाषा में अनुवाद कराने के लिए अनुवाद सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। विभिन्न तकनीकी समितियों और उद्योग से अनुरोध नियमित रूप से मिल रहे हैं। विभाग द्वारा उन देशों में भी अंत: क्रिया की सुविधा दी जाती है, जहाँ जर्मन या फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है।

Meeting of the Hindi Standards Advisory Committee was organized. During the year, the quarterly Hindi Magazine 'Manakdoot' was published regularly. April –June 2005 issue was the silver jubilee issue.

During the year Office Manual – III , was sent for printing. SP 46, IS 14001 : 2004 and IS 2551 : 1982 were translated during the year. Besides, the translation panel considered 69 standards for translation. Hallmark and Corporate Brochure were also translated. About 400 pages of general translation, 40 Press Notes, Advertisements, Tenders, Speeches, Letters, notes were translated, vetted, typed, compared and correction work was done on urgent basis. Sixty–three standards were sent to Agency for translation. Amendments for three standards were also got printed.

The second Subcommittee of Committee of Parliament of official Language inspected the progressive use of Hindi in Southern Regional Office, Chennai on 18 January 2006.

Foreign Languages and Publications

The department handles the projection and promotion of the standardization movement in scientific, technical, industrial and business circles through two monthly journals – *Standards India*, the erstwhile ISI Bulletin which dates back to 1949, and *Standards Monthly Additions*, which was started in 1958. Standards India presents a stimulating commentary and review of the standardization effort at home and abroad. Highlighting as it does the very latest progress in the field, spiced with thought provoking critical comments; it has established itself in the field as a magazine of repute. The Standards Monthly Additions is a small but sleek publication recording all amendments, alterations and information regarding standards, new, existing or in the draft stage issued at home or received from abroad during the month.

A catalogue containing titles of (a) Indian Standards published by BIS updated up to the 31st December, (b) International Standards adopted as Indian Standards, (c) Indian Standards in Hindi (translation), (d) Special publications, reference and calculation aids, and (e) Index corresponding to all publications listed in the catalogue is published annually by the department.

BIS has the copyright of all its publications and requests for reproducing extracts from Indian Standards are forwarded to the department. After technical verification and calculations based on the procedures adopted from ISO/GEN 19: 1999 'Guidelines for Granting Copyright Exploitation Rights to Third Parties for ISO Standards in Books', the department grants permission to the applicant on payment of the copyright charges.

Translation services are provided by the department for translation of technical documents, standards and other material from various foreign languages into English and from English into French and German. Regular requests are received from various technical committees as well as from the industry. The department also facilitates interaction with countries where German or French language is spoken.

प्रमाणन

उत्पाद प्रमाणन

भा मा ब्यूरो एक उत्पाद प्रमाणन योजना का प्रचालन करता है, जिसका नियंत्रण *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम,* 1986 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों द्वारा किया जाता है। उत्पाद पर मानक मुहर (आईएसआई मुहर के नाम से लोकप्रिय) की उपस्थिति संगत भारतीय मानक के साथ इसकी अनुरूपता इंगित करता है। किसी विनिर्माता को लाइसेंस प्रदान करने से पहले भा मा ब्यूरो विनिर्माता के पास आवश्यक अवसंरचना तथा क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित करता है और निरंतरता आधार पर संगत भारतीय मानक के अनुरूप उत्पाद की जांच करता है। उत्पादन स्थल और बाज़ार से नमूने लिए जाते है तथा संगत भारतीय मानक के साथ उनकी अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र प्रयोगशाला से उनकी जांच कराई जाती है।

प्रमाणन योजना मूलत: स्वैच्छिक प्रकार की है, परन्तु उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली तथा जन उपयोग की बहुत सी वस्तुओं के लिए इसे सरकार द्वारा विभिन्न वैधानिक उपायों जैसे *खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, खनन अधिनियम, भारतीय गैस सिलिण्डर नियमों* के साथ भा मा ब्यूरो अधिनियम के माध्यम से अनिवार्य बनाया गया है। इनमें से कुछ मदों को स्वास्थ्य और सुरक्षा के आधार पर अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत लाया गया है वे हैं एलपीजी सिलिण्डर, खाद्य रंग, खाद्य संयोजी, प्रेशर स्टोव, खानों में प्रयोग होने वाले सुरक्षा मद, क्लिनिकल थर्मामीटर, पैकेजबंद पेय जल आदि।

वर्ष 2005-2006 के दौरान भा मा ब्यूरो की उत्पाद प्रमाणन योजना में काफी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष के दौरान 2 536 नए लाइसेंस स्वीकृत किये (*देखें* आकृति 2) वर्ष के दौरान पहली बार 31 उत्पादों को प्रमाणन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। ये उत्पाद है क्राफ्ट कागज़, तप्त समापन (बंद करने) के लिए तप्त गढ़े हुए इस्पात के रिवेट, ब्यूरेट, जिप्सम भवन प्लास्टर, जूते काले करने के ब्रश, जूते पॉलिश करने के ब्रश, घरेलू लॉन्ड्री के लिए डिटरजेंट पाउडर, स्लाइड प्रकार 1 के लिए स्टिल प्रोजेक्टर, हाइड्रॉलिक पावर स्प्रेयर, पॉलिएस्टर इनेमलयुक्त गोलाकार ताम्बे का तार (वर्ग 130), धातु आवरण वाली प्लाइवुड, तैयार चमड़े के लिए ईको मानदण्ड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड पाउडर, पॉलिमर और रबर रूपान्तरित बिटुमेन, एलपीजी के साथ उपयोग के लिए पानी का छोटा घरेलू हीटर, फॉस्फोरिक एसिड (खाद्य ग्रेड), व्यावसायिक उपयोग के लिए निरापद सुरक्षात्मक एवं व्यावसायिक जूते, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, संकरी गर्दन वाली बॉइलिंग फ्लास्क, काँच के बीकर, इस्पाती पहिए के बैरो (दो पहियों सहित), इलैक्ट्रानिक भार मापन पद्धति, सामान्य प्रयोजनों के लिए जूट वेनीर बोर्ड, स्वचालित वाहनों के लिए ईंधन के रूप में संपीडित प्राकृतिक गैस को ऑन-बोर्ड भंडारित करने के

CERTIFICATION

PRODUCT CERTIFICATION

BIS operates a Product Certification Scheme, which is governed by the *Bureau of Indian Standards Act*, 1986 and Rules and Regulations framed thereunder. Presence of Standard Mark (Popularly known as ISI Mark) on product indicates conformity to the relevant Indian Standard. Before granting licence to any manufacturer, BIS ascertains the availability of required infrastructure and capability of the manufacturer to produce and test the product conforming to the relevant Indian Standard on a continuous basis. Samples are also drawn from the production line as well as from market and got tested in independent laboratories to ensure their conformance to the relevant Indian Standard.

The Certification Scheme is basically voluntary in nature but for a number of items affecting health and safety of the consumer and those of mass consumption, it has been made mandatory by the Government through various statutory measures such as *Prevention of Food Adulteration Act, Mines Act, Indian Gas Cylinders Rules* besides BIS Act. Some of the items brought under mandatory certification on consideration of health and safety are LPG cylinders, food colours, food additives, pressure stoves, safety items used in mines, clinical thermometers, packaged drinking water, etc.

Considerable progress was made in BIS product certification scheme during 2005-06. During the year 2 536 new licences were granted (*see* Fig. 2), which includes 31 products covered for the first time under the scheme. These products are Kraft Paper, Hot Forged Steel Rivets for Hot Closing, Burettes, Gypsum Building Plaster, Shoe Blacking Brushes, Shoe Polishing Brushes, Household Laundry Detergent Powder, Still Projector for Slide Type I, Hydraulic Power Sprayer, Polyester Enamelled Round Copper Wire (Class 130), Metal Faced Plywood, ECO Criteria for Finished Leather, Aluminum Phosphide Powder, Polymer and Rubber modified Bitumen, Mini Domestic Water Heater for Use with LPG, Phosphoric Acid (Food Grade), Safety Protective and Occupational Footwear for Professional Use, Anhydrous Sodium Carbonate, Narrow-necked Boiling Flask, Glass Beakers, Steel Wheel Barrow (with two wheels), Electronic Weighing System, Coir Veneer Board for General Purposes, Cylinder for on-board Storage of

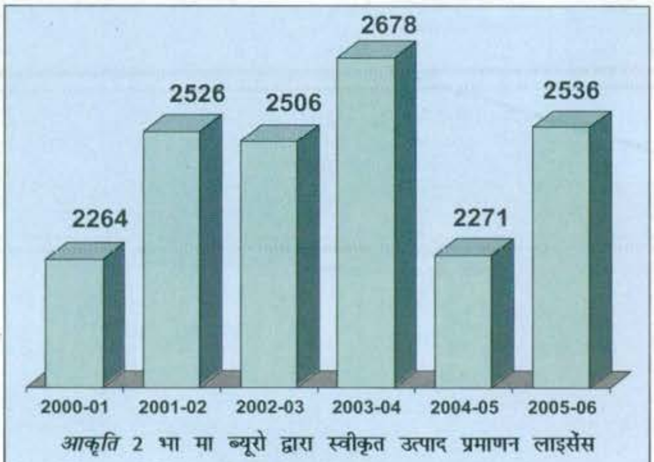

आकृति 2 भा मा ब्यूरो द्वारा स्वीकृत उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस

Fig. 2 **BIS Product Certification Licences Granted**

योगदान देने वाली एक प्रमुख बाधा नमूनों के परीक्षण में लगने वाला समय है। यह आशयित है कि उत्पाद का किसी भा मा ब्यूरो प्रत्यायित प्रयोगशाला में परीक्षण करवा कर आवेदक द्वारा आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत की जाने वाली परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आवेदनपत्र को प्रक्रियान्वित किया जाए। आशा है कि इस प्रावधान से विनिर्माता उत्पाद गुणता के उत्तरदायित्व की साझेदारी करेंगे।

- **अनिवार्य प्रमाणन के लिए नीति** – भारतीय मानक ब्यूरो को अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत विभिन्न पणधारकों से प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं। ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो की योजना ऐसे उत्पादों को अनिवार्य प्रमाणनों के अंतर्गत शामिल करने के निर्णय को सुकर बनाने हेतु एक नीति का निरूपण करने की है। विचार में सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सावधानी तथा अवमानक आयातित माल को भेजने के विरुद्ध सुरक्षा उपाय शामिल होंगे। अवसरंचना के पहलू तथा बड़ी खपत की मदों पर भी इस नीति में विचार किया जाएगा।
- **आईईसी एक्स योजना** – ज्वॉलासह उपकरण (आईएफएमए) के विनिर्माताओं की सतत् मांग पर, यह, निर्णय लिया गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो आईईसी एक्स योजना, जो विस्फोटक वातावरण में प्रयोग हेतु उपकरण के लिए आईईसी अनुरूपता निर्धारण योजना है, के अंतर्गत एक सहभागी देश के रूप में भारत के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत करेगा। तदनंतर, भारतीय मानक ब्यूरो संबद्ध परीक्षण प्रयोगशालाओं के साथ योजना के अंतर्गत एक्स प्रमाणन निकाय तथा एक्स परीक्षण प्रयोगशालाऐं बनने के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत करेगा।

स्वर्ण/चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग योजना

वर्ष 2005-06 भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्किंग योजना के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा। वर्ष के दौरान, स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग के लिए लाइसेंसों की संख्या 935 से बढ़ कर 1 410 हो गई, यह 475 की वृद्धि है जो पिछले पांच वर्षों में कुल हॉलमार्किंग लाइसेंसों का 50 प्रतिशत है। वर्ष के अंत में भारतीय मानक ब्यूरो की मान्यता प्राप्त आकलन एवं हॉलमार्किंग केन्द्रों की संख्या 36 थी। वर्ष 2005-06 में जनवरी 2006 से मार्च 2006 के दौरान निम्नानुसार 329 लाइसेंस प्रदान किए गए:

जनवरी 2006 : 49
फरवरी 2006 : 107
मार्च 2006 : 173

जबकि यौक्तिकीकरण एवं सरलीकरण से पूर्व प्रति माह प्रदत्त लाइसेंसों की औसत संख्या (31 दिसम्बर 2005 तक) प्रतिमाह 16 थी, 31 दिसम्बर के पश्चात् यह बढ़कर प्रति माह 110 हो गई।

the time taken in testing of sample. It is intended to process the application based on the test report to be furnished by the applicant along with the application by getting the product tested in any BIS accredited laboratory. With this provision manufacturer is expected to share the responsibility of product quality.

- **Policy for Mandatory Certification –** BIS has been receiving proposal from different stakeholders for covering different products/ standards under mandatory certification. To consider such proposals, BIS is planning to formulate a policy to facilitate the decision to cover such products under Mandatory Certifications. The consideration will include the aspect of safety, health, environment, security and safeguard against dumping of substandard imported goods. The aspect of infrastructure and items for mass consumption will also be considered in the policy.
- **IEC Ex Scheme –** On persistent demand of the manufacturers of the flame proof equipment (IFMA), it has been decided that BIS will submit the application for India as a participating country under the IEC Ex Scheme which is IEC Conformity Assessment Scheme for Equipment for use in Explosive Atmospheres. Subsequently, BIS along with associated testing laboratories will submit application for becoming Ex Certification Body and Ex Testing Laboratories under the scheme.

Hallmarking Scheme of Gold/Silver Jewellery

The year 2005-06 had been a significant year for BIS Hallmarking Scheme. During the year the number of licences for hallmarking of gold jewellery grew from 935 to 1 410, an increase of 475 which is 50 percent of total in last five years. The number of BIS Recognized Assaying and Hallmarking Centres at the end of the year were 36. During January 2006 to March 2006 the year 2005-06, 329 licences were granted as below :

January 2006 : 49
February 2006 : 107
March 2006 : 173

While average number of licences granted per month before rationalization and simplification (till 31 December 2005) were 16 per month, the same after 31 December rose to 110 per month.

वर्ष के दौरान, योजना के विषय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए:

- स्वर्ण आभूषणों की विद्यमान योजना के अंतर्गत स्वर्ण मैडलों की हॉलमार्किंग अनुमत की गई।
- वर्ष के दौरान चांदी आभूषण/शिल्प वस्तुओं की हॉलमार्किंग की योजना आरम्भ की गई; तथा
- आभूषण निर्माताओं की सुविधा के लिए उन तक पहुँचने हेतु विद्यमान मान्यता प्राप्त केन्द्रों को आफ साइट प्रचालनों की अनुमति दी गई।

उपभोक्ताओं के हित का संरक्षण करते हुए आभूषण निर्माताओं के लिए इस योजना को अधिक वहनीय एवं आकर्षक बनाने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो स्वर्ण/चाँदी हॉलमार्किंग योजना को पहली जनवरी 2006 से निम्न को शामिल करते हुए सरल एवं युक्तिसंगत बनाया गया:

- लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया तथा इसके प्रचालन को आसान बनाना
- आभूषण निर्माताओं के लिए प्रमाणन शुल्क का यौक्तिकीकरण

सरलीकरण एवं यौक्तिकीकरण की महत्वपूर्ण विशिष्टियाँ निम्नलिखित है:

	पहले	अब
आवेदन पत्र	सभी उत्पादों के लिए एक समान	हॉलमार्किंग के लिए पृथक प्रपत्र - अधिक यथार्थ एवं सरलीकृत
लाइसेंस प्रदान करने में लगने वाला समय	सामान्यत: 30 दिनों के भीतर	7 कार्य दिवसों के भीतर
लाइसेंस प्रदान करने की विधि	आरम्भिक निरीक्षण तथा स्वतंत्र परीक्षण में नमूनों के पारित होने पर आधारित	आरम्भिक निरीक्षण तथा नमूने लेने को हटा दिया गया है।
लाइसेंस का प्रचालन	• विस्तृत अभिलेख अपेक्षित • निरीक्षण दौरों के दौरान लाइसेंसधारकों से नियमित रूप से नमूनों का लिया जाना	• कोई अभिलेख अपेक्षित नहीं है। • ग्राहक फीडबैक तथा बाज़ार नमूनों के जरिए निगरानी को बढ़ाया गया है।
शुल्क	सभी स्थानों के लिए एक वर्ष हेतु 25 800 रूपए	• दिल्ली, मुम्बई, कोलकता तथा चैन्नई में 3 वर्षों के लिए 25,000 रुपए

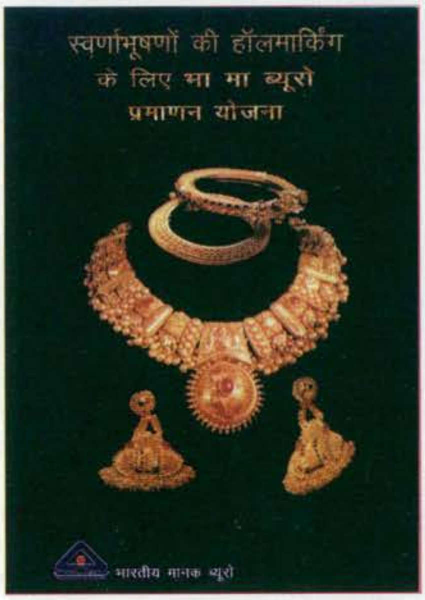

During the year following initiatives were taken to enhance the scope of the scheme:

- Hallmarking of gold medallions permitted under the existing scheme for gold jewellery;
- Scheme for hallmarking of silver Jewellery/artifacts launched during the year; and
- Offsite operations permitted to the existing recognized centres to reach out to the jewellers for their convenience.

In order to make this scheme more affordable and attractive to the jewellers, while protecting the interest of consumers, BIS Gold/Silver Hallmarking Scheme was simplified and rationalized w.e.f. 1 January 2006 covering:

- Simplification of Procedure for grant of licence and its operation
- Rationalization of certification fees for jewellers

Following are the important features of the simplification & rationalization:

	Earlier	Now
Application Form	Common for all products	Separate Form for Hall-marking - More Realistic and Simplified
Time Taken for Grant of Licence	Generally within 30 days	Within 7 working days
Method of Grant of Licence	Based on Preliminary Inspection & Passing of Sample in Independent Testing	Preliminary Inspection & drawl of sample dispensed with
Operation of Licence	• Elaborate Records required • Regular drawl of sample from licensees during inspection visits	• No records required • Surveillance mounted through customer feedback and market samples
Fees	Rs. 25 800 for one year for all locations	• Rs. 25 000 for 3 years in Delhi, Mumbai, Kolkata & Chennai • Rs. 20 000 for 3

		• जिला मुख्यालयों में 3 वर्षो के लिए 20 000 रुपए • अन्य मामलों में 3 वर्षो के लिए 10 000 रुपए

देश में स्वर्ण की हालमार्किंग को बढ़ाने की कार्यनीति को कार्यान्वित करने हेतु भा मा ब्यूरो ने वर्ष 2005-07 में देश के चुने हुए 35 जिलों में स्वर्ण मूल्यांकन एवं हालमार्किंग केन्द्र शुरू किये। इस कार्य के लिए केन्द्र ने हर मूल्यांकन केन्द्र में मशीनरी एवं उपस्करों की लागत का 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम 15 लाख की सहायता राशि प्रदान की।

योजना को कार्यान्वित करते समय केन्द्रों की स्थापना के लिए 35 जिलों को अभिचिन्हांकित किया गया, ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए गए तथा उनकी समीक्षा की गई, मामले में आगामी कार्रवाई हेतु भारतीय मानक ब्यूरो को सलाह देने के लिए अनुशंसाएँ सरकार को अग्रेषित की गई।

इसके अतिरिक्त स्वर्ण आभूषण कारोबार में प्रभावपूर्ण उपभोक्ता संरक्षण के लिए देश में हॉलमार्किंग को संवर्धित करने के लिए, आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ अपने कार्य क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस के अलावा, फरवरी 2006 के माह के दौरान जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का संचालन किया गया। इनमें से कुछ कार्यक्रमों की अध्यक्षता भारतीय मानक ब्यूरो के शीर्षस्थ प्रबंधकों द्वारा की गई जिसमें योजना के संवर्धन के प्रति भारतीय मानक ब्यूरो की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है, प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इन कार्यक्रमों का प्रभावपूर्ण प्रचार किया गया।

उक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में नियमित विज्ञापन जारी किए गए ताकि उपभोक्ताओं को हॉल मार्क किए गए आभूषणों का विकल्प चुनने के लाभ के साथ साथ आभूषण निर्माताओं के लिए योजना को सरल एवं वहनीय बनाने हेतु भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के संबंध में अवगत कराया जा सके।

भारत के निर्यात में सहायतार्थ वियाना समझौते तक अभिगम की ओर चल रहे प्रयास के भाग के रूप में वियाना समझौते की स्थायी समिति की पिछली बैठक में भारतीय शिष्टमंडल ने जनवरी 2006 में भाग लिया।

भावी प्राथमिकताएँ तथा महत्व के क्षेत्र

घरेलू कारोबार के लिए देश में स्वर्ण हॉलमार्किंग का प्रभावी कार्यान्वयन तथा संवर्धन एवं आभूषण निर्यातों के सहायतार्थ वियेना समझौते में अभिगम भावी प्राथमिकता तथा महत्व के क्षेत्र होंगे।

घरेलू कारोबार में हॉलमार्किंग का संवर्धन आकलन एवं हॉलमार्किंग के लिए देशव्यापी अवसंरचना के सृजन तथा आम उपभोक्ताओं/आभूषण निर्माताओं में हॉलमार्किंग के लाभों के संबंध में प्रभावी जागरूकता के माध्यम से किया जाएगा। आकलन एवं हॉलमार्किंग के लिए अवसंरचना का सृजन सरकारी योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से

		years in District Head Quarters • Rs. 10 000 for 3 years in other cases

As a part of strategy to promote hallmarking of gold in the country, during the year, the Scheme of Setting up of Gold Assaying and Hallmarking Centres with Central Assistance @ 15% of the Cost of Machinery and Equipment subject to a ceiling of Rs. 15 lakhs per centre in 35 select districts was launched by the Government for implementation by BIS in 2005-2007.

While implementing the scheme, 35 districts were identified for setting up of centres, applications for setting up of such centres were received and scrutinized. The recommendations forwarded to Government for advising BIS on further action in the matter.

Further to promote hallmarking in the country for effective consumer protection in gold jewellery trade, awareness programmes were organized for common consumers as well as jewellers by the ROs/BOs in their jurisdiction. In addition a series of awareness programmes were conducted during the month of February 2006. Some of these programmes were Chaired by Top Management of BIS which demonstrates BIS commitment to promotion of the scheme. These programmes were effectively covered in the print as well as electronic media.

In addition to the above programmes, regular advertisements were released in the news papers, magazines and electronic media to make consumers aware of the benefits of opting for hallmarked jewellery as well as various initiatives taken by BIS for making the scheme simple and affordable to the jewellers.

As a part of on going effort towards accession to Vienna Convention for supporting India's exports, the last meeting of the Standing Committee of the Convention was atended by Indian delegation in January 2006.

Priorities and Thrust Areas for Future

Effective implementation and promotion of gold hallmarking in the country for domestic trade and accession to Vienna Convention to support jewellery exports will be the priority and thrust area for future.

Hallmarking in domestic trade will be promoted through creation of countrywide infrastructure for assaying and hallmarking and effective awareness among common consumers/ jewellers about benefits of hallmarking. The infrastructure for Assaying and Hallmarking will be created

किया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्यमियों के द्वारा केन्द्रों की स्थापना (सरकारी योजना के अंतर्गत स्थापित केन्द्रों के अलावा) को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जागरूकता कार्यक्रमों, प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों, प्रेस ब्रीफिंग, साक्षात्कारों तथा दूरदर्शन/रेडियो इत्यादि पर अन्य अंत:क्रियात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रभावी प्रचार अभियान चलाया जाएगा।

भारत से विभिन्न गंतव्य स्थलों तक स्वर्ण आभूषणों के निर्यातों में सहायता करने के उद्देश्य से, वियाना समझौते में भारत का अभिगम भी भावी प्राथमिकता होगी। इस संदर्भ में, सितम्बर 2006 में वियाना समझौते की अगली बैठक में भाग लेने का प्रस्ताव है। इस प्रयास के जरिए अभिगम के पश्चात् भारतीय आभूषणों पर सम्मानित आम नियंत्रण चिन्ह लगाया जा सकेगा जो भारतीय आभूषणों को विश्व भर में विभिन्न गंतव्य स्थलों तक सहज एवं निर्बाध प्रविष्टि उपलब्ध कराएगा।

प्रबंध पद्धति प्रमाणन

भा मा ब्यूरो ने प्रबंध पद्धतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निम्नलिखित प्रमाणन सेवाएँ प्रदान करना जारी रखा:

क) आईएस/आईएसओ 9001 : 2000 के अनुसार गुणता प्रबंध पद्धति (क्यूएमएस) प्रमाणन योजना।

ख) आईएस/आईएसओ 14001 : 2000 के अनुसार पर्यावरण प्रबंध पद्धति (ईएमएस) प्रमाणन योजना।

ग) आईएस 15000 : 1998 के अनुसार खाद्यजनित हानि विश्लेषण और क्रांतिक नियंत्रण बिन्दु (एचएसीसीपी) प्रमाणन योजना।

घ) आईएस 18001 : 2000 के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध पद्धति (ओएचएंडएसएमएस) प्रमाणन योजना।

विभिन्न प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजनाओं के प्रोत्साहन हेतु अनेक प्रसार कार्यक्रम आयोजित किए गए और विभिन्न संगठनों में प्रस्तुतीकरण भी किए गए। ग्राहकों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए वर्ष के दौरान क्यूएमएस/ईएमएस की पाँच समीक्षा बैठकें भी आयोजित की गईं।

भा मा ब्यूरो ने भारतीय गुणता परिषद के सहयोग से मार्च 2006 के दौरान वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के लिए एक राष्ट्रीय गुणता सभा का आयोजन किया, जिसमें भा मा ब्यूरो के साथ उद्योगों/सरकारी प्रत्यायन निकायों के वक्ताओं ने गुणता प्रवर्तन और गुणता संस्कृति पर प्रस्तुतीकरण किए।

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

भा मा ब्यूरो गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना सितम्बर 1991 में *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम*, 1986 के तहत शुरू की गई थी। यह योजना आईएसओ/आईईसी मार्गदर्शिका 62 के अनुसार चलाई जा रही है - गुणता पद्धतियों के मूल्यांकन तथा प्रमाणन/पंजीकरण करने वाले निकायों के लिये सामान्य अपेक्षाएँ है।

इस योजना में वृद्धि जारी रही और वर्ष 2005-06 के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों जैसे रसायन, वस्त्रादि, प्लास्टिक, सीमेंट, विद्युत, भैषजिक, बैंकिंग

through implementation of Government Scheme and additionally, setting up of Centres (other than those under Government Scheme) by various entrepreneurs will also be encouraged. Effective Publicity Campaign will be done through Awareness Programmes, Advertisements in print and electronic media, Press Briefings, Interviews and other interactive programmes on TV/Radio etc.

In order to help gold jewellery exports from India to various destinations, India's accession to Vienna Convention will also be the priority for future. In this context it is proposed to attend the next meeting of the Vienna Convention in September 2006. Through this effort, after accession, Indian Jewellery will be able to carry the prestigious Common Control Mark which will give Indian Jewellery easy and free access to the various destinations all over the world.

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

BIS continued to provide the following Certification services as per International/National Standards for Management Systems:

a) Quality Management Systems (QMS) Certification Scheme as per IS/ISO 9001 : 2000

b) Environmental Management Systems (EMS) Certification Scheme as per IS/ISO 14001 : 2000

c) Hazards Analysis & Critical Control Point (HACCP) Scheme as per IS 15000 : 1998

d) Occupational Health & Safety Management Systems (OH&SMS) Certification Scheme as per IS 18001 : 2000

For the promotion of various Management Systems Certification (MSC) schemes, a number of appreciation programmes were conducted and presentations were also made in various organizations. In order to obtain feedback from the clients, 5 review meetings of QMS/EMS were also conducted during the year.

BIS in association with QCI organized a National Quality Conclave for Global Competitiveness during March 2006 wherein BIS along with eminent speakers from industries/ government accreditation bodies made presentations for quality promotion and quality culture.

Quality Management Systems Certification Scheme

BIS Quality Management Systems Certification Scheme (QMSCS) was launched in September 1991 under the provisions of the *Bureau of Indian Standards Act*, 1986. The Scheme is being operated in accordance with ISO/IEC Guide 62 - General requirements for bodies operating assessment and certification/registration of quality systems.

The Scheme continued to grow and during 2005-06, 83 Quality Management Systems Certification licences have

क्षेत्र, दूरसंचार, स्वास्थ्य क्षेत्र, निर्माण, शिक्षा, काष्ठ, बीमा, डेयरी संयत्र, इंजीनियरी सेवाएँ आदि को शामिल करते हुए 83 गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। वर्ष के दौरान रेलवे संग्रहालय, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन, एनटीपीसी, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद का प्रमाणन भा मा ब्यूरो द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान 293 गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंसों का नवीकरण भी किया गया। प्रचालित लाइसेंसों की कुल संख्या 31 मार्च 2006 को बढ़कर 1 432 हो गई (*देखें* आकृति 4)।

आकृति 4 गुणता पद्धति प्रमाणन लाइसेंसों की संख्या (31 मार्च को प्रचालन में)

***Fig.* 4 Number of Quality System Certification Licences (Operative as on 31 March)**

भा मा ब्यूरो गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजनाओं का प्रत्यायन

भा मा ब्यूरो गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन को 23 प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के लिए राड वूर एक्रेडिटेटी (आरवीए), नीदरलैंड द्वारा प्रत्यायित किया गया है। बताई गई आवश्यकताओं के पालन की पुष्टि के लिए आरवीए द्वारा इस योजना का नियमित लेखा परीक्षण किया जाता है। आरवीए द्वारा 11-13 जून 2005 को पुन: आकलन के आधार पर आरवीए द्वारा प्रत्यायन का अक्टूबर 2009 तक नवीकरण कर दिया गया है।

आरवीए प्रत्यायन के अलावा, भा मा ब्यूरो क्यूएमएससीएस का प्रत्यायन भी 9 आर्थिक क्षेत्रों के लिए भारतीय गुणता परिषद (क्यूसीआई) के राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन मंडल (एनएबीसीबी) द्वारा किया गया है। यह प्रत्यायन 22 दिसम्बर 2005 से प्रभावी हुआ है और 21 दिसम्बर 2008 तक वैध है। भा मा ब्यूरो द्वारा भारतीय गुणता परिषद से अपने प्रत्यायन प्रमाणपत्रों में और अधिक विषयक्षेत्र शामिल करने के लिए कहा गया है।

खाद्यजनित हानि विश्लेषण तथा क्रांतिक नियन्त्रण बिन्दु

खाद्यजनित हानि विश्लेषण तथा क्रांतिक नियंत्रण बिन्दु खाद्यान्न उत्पादन में सूक्ष्मजीवी तथा अन्य जोखिमों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिये तैयार की गई एक प्रक्रिया नियंत्रण पद्धति है। एचएसीसीपी का उपयोग पूरी खाद्यान्न श्रृंखला-उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक किया जा सकता है और यह योजना आईएस 15000 : 1998 - खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान - एचएसीसीपी पद्धतियाँ तथा दिशा निर्देशों पर आधारित है जो तकनीकी रूप से कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टेंडर्ड एलीनार्म - 97/13ए के समकक्ष है। 31 मार्च 2006 के अनुसार एचएसीसीपी एकीकृत गुणता पद्धति प्रमाणन योजना के तहत 67 कम्पनियाँ प्रचालित थीं। प्रमाणन के लिये अपनाई गई प्रक्रिया गुणता पद्धति प्रमाणन योजना की प्रक्रिया जैसी है। यह योजना निर्यातकों को खाद्य तथा खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में विशेष कर अमेरिका

been granted, covering industrial sectors such as chemicals, textiles, plastic, cement, electricals, pharmaceuticals, banking sector, telecommunications, health sector, construction, education, wood, insurance, dairy plants, engineering services etc. During the year, organizations like Railway Museum, National Handloom Development Corporation, Rajasthan Atomic Power Station, NTPC, Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) of India, Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL), Tamilnadu Industrial Investment Corporation and Regional Passport Office, Hyderabad have been certified by BIS. In addition 293 Quality Management Systems Certification licenses were also renewed during the period. The total number of operative licences as on 31 March 2006 rose to 1 432 (*see* Fig. 4).

Accreditation of BIS Quality Management Systems Certification Schemes

BIS Quality Management Systems Certification has been accredited by Raad voor Accreditatie (RvA), Netherlands for 23 major economic activities. The scheme is regularly audited by RvA to confirm compliance to the laid down requirements. Based on the re-assessment by RvA on 11 - 13 June, 2005, the accreditation has been renewed by RvA up to October 2009.

Besides RvA accreditation, BIS QMSCS has also been accredited by National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) of Quality Council of India (QCI) for 9 economic sectors. The accreditation has been effective from 22 December 2005 and is valid upto 21 December 2008. BIS is further taking up with QCI to include additional scope sectors in their accreditation certificate.

Hazard Analysis and Critical Control Point Certification

Hazard Analysis and Critical Control Point is a process control system designed to identify and prevent microbial and other hazards in food production. HACCP can be applied throughout the food chain from primary producer to final consumer. This scheme is based on IS 15000 : 1998 'Food Hygiene – HACCP Systems and Guidelines' which is technically equivalent to the Codex Alimentarious Commission Standard ALINORM - 97/13A, the International Standard on the subject. Under the HACCP Integrated Quality Management Systems Certification Scheme 67 certified companies were in operation as on 31 March 2006.

तथा यूरोप जैसे देशों को निर्यात के मामलों में मदद करेगी। भा मा ब्यूरो द्वारा आईएस 15000 के अनुसार एक पृथक एचएसीसीपी प्रमाणन योजना का भी प्रचालन करता है।

पर्यावरण प्रबन्ध पद्धति (ईएमएस) प्रमाणन योजना

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आईएस/आईएसओ 14001 के अनुसार शुरू की गई पर्यावरण प्रबंध पद्धति (ईएमएस) की लोकप्रियता जारी है। वर्ष के दौरान 9 ईएमएस लाइसेंस प्रदान किये गये, जिससे 31 मार्च 2006 को प्रचालित लाइसेसों की संख्या बढ़ कर 109 हो गई। इन लाइसेंसों में एकीकृत इस्पात संयंत्र, थर्मल पावर संयंत्र, ऐरोनॉटिक उद्योग, परमाणु ऊर्जा स्टेशन, वस्त्रादि, प्लास्टिक, सीमेंट, निर्माण, विद्युत तथा दूर-संचार केबल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, कीटनाशक, औद्योगिक तथा विस्फोटक रसायन, रेलवे वैगन वर्कशॉप तथा खनन जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल है।

ईएमएस प्रमाणन योजना का प्रचालन आईएसओ/आईईसी मार्गदर्शिका 66 में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। भा मा ब्यूरो ने अपनी ईएमएस प्रमाणन योजनाओं के प्रत्यायन के लिए भारतीय गुणता परिषद के एनएबीसीबी में आवेदन किया है। प्रलेख लेखापरीक्षण का कार्य एनएबीसीबी के साथ पूरा किया गया है तथा कार्यालय आकलन/गवाही लेखा परीक्षण की योजना निकट भविष्य में करने की है।

व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

भा मा ब्यूरो ने जनवरी 2003 में आईएस 18001 : 2000 के अनुसार ओएचएंडएसएमएस प्रमाणन शुरू किया जिससे एक संगठन कानूनी आवश्यकताओं और खतरों और जोखिमों के बारे में सूचना को ध्यान रखते हुये संगठन नियंत्रित कर सकता है और अपने कर्मचारियों तथा अन्य लोगों, जिनका स्वास्थ्य तथा सुरक्षा इसके कार्यकलापों से प्रभावित है, के लिये नीति तथा लक्ष्य परिभाषित कर सकता है, योजना बना सकता है, और प्रबंध कर सकता है। वर्ष के दौरान 12 ओएच एंड एसएमएस लाइसेंस प्रदान किए गए जिससे 31 मार्च 2006 तक कुल प्रचालित लाइसेंसों की संख्या 25 हो गई। इन लाइसेंसों में थर्मल पावर संयंत्र, सिरेमिक उद्योग, साइकिल उद्योग, गैस पावर स्टेशन, स्वास्थ्य सेवा और कर्मचारी विकास केंद्र जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल है।

यह उल्लेख किया जाता है कि इस विषय पर आईएस 18001 विश्वव्यापी प्रथम राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जो प्रमाणन के अधीन है।

प्रवर्तन गतिविधियाँ

भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना में वृद्धि और लोकप्रियता के साथ परिणाम स्वरूप उपभोक्ता और संगठित खरीदारों द्वारा भा मा ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों पर बल दिया जाता है। यद्यपि, मानक मुहर के दुरुपयोग के मामले भी बढ़ रहे है। भा मा ब्यूरो मानक मुहर के दुरुपयोग की घटना भा मा ब्यूरो के लिए प्रमुख चिंता का क्षेत्र है तथा इस संकट को रोकने के अनेक कदम उठाए गए है। इसके लिए

The process followed for certification is similar to the process of QMSCS. This scheme will help the exporters in the field of food and food products specially for export to the countries like USA and Europe. BIS also offers a stand alone HACCP Certification Scheme as per IS 15000.

Environmental Management Systems (EMS) Certification Scheme

The Environmental Management Systems (EMS) Certification Scheme launched by BIS as per IS/ISO 14001, continues to be popular. During the year, 9 EMS licences have been granted making a total of operative licences to 109 as on 31 March 2006. These licences cover technology areas like integrated steel plants, thermal power plants, aeronautical industries, atomic power stations, textiles, plastic, cement, construction, electrical and telecommunication cables, petroleum refinery, insecticides, industrial and explosive chemicals, railway wagon workshops, mining etc.

The EMS Certification Scheme is operated as per International criteria laid down in ISO/IEC Guide 66. BIS has applied to NABCB of QCI for accreditation of its EMS Certification Scheme. Document audit has already been completed with NABCB and office assessment/witness audit is being planned in near future.

Occupational Health and Safety Management Systems Certification Scheme

BIS launched Occupational Health and Safety Management Systems certification as per IS 18001 : 2000, in January 2003, which essentially enables an organization to define, plan and manage a policy and objectives, taking into account legislative requirements and information about significant hazards and risks, which the organization can control and over which it can be expected to have an influence, to protect its employees and others, whose health and safety may be affected by the activities of the organization. During the year, 12 OH&SMS licences have been granted making a total of operative licences to 25 as on 31 March 2006. The licences cover technology areas like thermal power plants, ceramic industry, cycle industry, gas power station, health services and employee development centre.

It may be mentioned that IS 18001 is the first National Standard world wide on the subject which is amenable to certification.

ENFORCEMENT ACTIVITIES

With the growth and popularity of the BIS Certification Marks Scheme, the consumers and organized purchasers are insisting more and more on BIS certified products. However, with this, instances of misuse of BIS Standard Mark is also on the rise. The menace of misuse of the BIS Standard Mark is an area of prime concern for BIS and several steps have been initiated to curb this menace. For this, the

वर्ष के दौरान प्रवर्तन कार्रवाइयाँ की गई जैसे कि उपभोक्ता जागरूकता और प्रवर्तन छापे डाले गए। प्रवर्तन विभाग को सशक्त बनाने के लिए दो क्षेत्रों में इस गतिविधि के समन्वय और निगरानी के लिए क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है।

वर्ष 2005-06 के दौरान भा मा ब्यूरो मानक मुहर का दुरुपयोग करने के विरुद्ध 241 छापे मारे गए। छापों में विभिन्न उत्पाद जब्त किए गए, जैसे कि पैकेजबंद पेय जल, सीमेंट, वैद्युत उपकरण, पीवीसी इंसुलीकृत केबल, प्लाईवुड, पशु आहार, यूपीवीसी पाइप, एलपीजी स्टोव आदि। इस कार्रवाई को भा मा ब्यूरो के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों में विकेन्द्रीकृत किया गया है ताकि प्रवर्तन संबंधी मामलों का शीघ्रता से निपटान किया जाए और न्यायालयों में अभियोजन आरम्भ किया जा सके। इसके अतिरिक्त चुने हुए स्थलों पर प्रवर्तन कार्रवाई को सुदृढ़ बनाने तथा छापों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई की आंशिक आउटसोर्सिंग की गई है।

इस अवधि के दौरान भा मा ब्यूरो ने मुख्यालय तथा देश भर में फैले अपने कार्यालयों में हुए प्रवर्तन छापों के विषय में अनेक प्रैस विज्ञप्तियाँ जारी की है, जिन्हें प्रिन्ट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया है।

enforcement actions such as consumer awareness and enforcement raids have been stepped up during the year. The Enforcement Department has also been strengthened with posting of Regional Enforcement Officers in two regions to coordinate and monitor this activity.

During the year 2005-06, BIS has carried out 241 enforcement raids all over India on firms misusing the BIS Standard Mark. During these raids, various spurious products including many household products were seized such as Packaged Drinking Water, Cement, Electrical Appliances, PVC Insulated Cables, Plywood, Cattle Feed, UPVC Pipes, LPG Stoves etc. Also, this activity has been decentralized to Regional Offices/ Branch Offices within BIS, with a view to have expeditious processing of Enforcement related cases and consequent launching of prosecutions in the courts. Additionally, partial outsourcing of Enforcement activity to outside agencies at select locations has been done to further strengthen the enforcement activity and to increase the effectiveness of the raids.

During the period, BIS has also issued a number of press releases about the enforcement raids from Headquarters and its Offices all over the country which was widely covered by both the print and electronic media.

प्रयोगशाला सेवाएँ

भा मा ब्यूरो की प्रयोगशालाएँ मूल रूप से गैर-व्यावसायिक प्रयोगशालाएँ है और इन्हें नमूनों के स्वतंत्र परीक्षण के लिए स्थापित किया गया है, जिन्हें भा मा ब्यूरो उत्पाद प्रमाणन योजना के अंतर्गत फैक्टरी और बाज़ार से लिया जाता है। नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट परीक्षण के बाद शाखाओं द्वारा दिए गए निर्देशानुसार संबंधित शाखा कार्यालयों को प्रदान की जाती है। परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान नमूने की प्राप्ति की तिथि से उसकी गोपनीयता परीक्षण रिपोर्ट जारी होने तक बनाई रखी जाती है।

पहली भा मा ब्यूरो प्रयोगशाला की स्थापना 1963 में मानक भवन स्थित मुख्यालय में की गई थी। किस्म और मात्रा के संदर्भ में कार्यभार के साथ गति बनाए रखते हुए प्रयोगशाला की सक्रियता आने वाले वर्षो में बढ़ती रही है तथा भा मा ब्यूरो ने साहिबाबाद, मुम्बई, चेन्नई, कोलकता, बैंगलोर, मोहाली, पटना और गुवाहाटी में प्रयोगशालाओं की स्थापना की है।

LABORATORY SERVICES

BIS laboratories are basically non-commercial laboratories and have been set up for independent testing of samples which are drawn both from factory and market under BIS Product Certification Scheme. The test reports of the samples so drawn are provided to the concerned branch offices of Bureau after testing in accordance with the corresponding Indian Standards and as directed by the branches. During the process of testing, confidentiality of samples is maintained right from their receipt in sample cell till the issuance of test reports.

The first BIS laboratory was set up at its HQs at Manak Bhavan in 1963. In order to keep pace with the work load in terms of variety and quantity, the laboratory activity has continued to expand over the years and BIS established laboratories at Sahibabad, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bangalore, Mohali, Patna and Guwahati.

वर्तमान में भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाएँ रसायन, यांत्रिक और विद्युत विषयों के क्षेत्र में परीक्षण सेवाएँ प्रदान करती है। रासायनिक प्रयोगशालाओं में खाद्य परीक्षण एक अविभाज्य भाग के रूप में किया जाता है। साहिबाबाद में स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला में आंतरिक अंशशोधन सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक विद्युत अंशशोधन अनुभाग भी है।

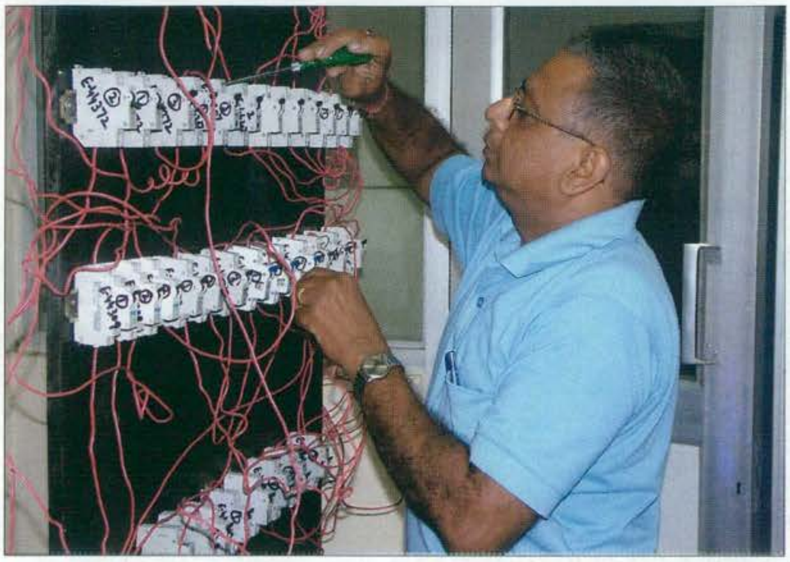

उत्पादकता

वर्ष 2005-2006 के दौरान, भा मा ब्यूरो ने विभिन्न प्रकार के उत्पादों की 26 725 परीक्षण रिपोर्टें जारी की जबकि वर्ष 2004-05 के दौरान 27 615 रिपोर्टें जारी की। इस वर्ष रिपोर्टों में यह कमी श्रम शक्ति में कमी आने के कारण हुई।

गुणता नीति

देश में प्रयोगशाला प्रबंध पद्धति में उत्कृष्टता का भा मा ब्यूरो प्रयोगशाला को राष्ट्रीय बैंचमार्क बनाने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान गुणता नीति में परिवर्तन किया गया। प्रयोगशालाओं के प्रभावीपन, संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग में सुधार हेतु प्रयोगशाला प्रबंध पद्धति के निरन्तर उन्नवयन और प्रयोगशाला स्टाफ की उच्चकोटि की व्यावसायिक नैतिकता तथा सत्यनिष्ठा को बनाए रखने पर परिवर्तित गुणता नीति केन्द्रित है।

गुणता आश्वासन गतिविधियाँ

गुणता आश्वासन भा मा ब्यूरो की सभी प्रयोगशालाओं के परीक्षण परिणामों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य है। भा मा ब्यूरो की आठ प्रयोगशालाओं में से छः प्रयोगशालाएँ एनएबीएल प्रत्यायित हैं। सभी प्रयोगशालाओं को आईएस/आईएस ओ/आईईसी 17025 : 2005 की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी गुणता प्रबंध पद्धतियों के अनुसार बनाया गया है। वर्ष के दौरान गुणता आश्वासन विभागों द्वारा निष्पादित अन्य विभिन्न कार्य इस प्रकार है:

i) रिपोर्ट के अनुसार परीक्षण परिणामों की परिशुद्धता के सत्यापन के लिए गुणता आश्वासन परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 प्रतिशत नमूनों का गुणता आश्वासन परीक्षण किया गया।
ii) भा मा ब्यूरो की प्रयोगशालाओं ने इस्पात ट्यूब, प्रेशर कुकर, फोटोकॉपियर कागज, प्लग एवं सॉकेट, स्विच, पैकेजबंद पेय जल, यूपीवीसी पाइप, जीएलएस लैम्प, निमज्जन वाटर हीटर, रबर और कंक्रीट क्यूब आदि जैसे उत्पादों के विभिन्न उत्पादों के लिए प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम में भाग लिया तथा उनकी कार्यकारिता संतोषजनक रही।
iii) अधिकारियों/तकनीकी कार्मिकों ने आयोजित निम्नलिखित परीक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया:
   - अनिश्चिता के मापन का आकलन
   - अंतर-प्रयोगशाला परीक्षण तथा ज़ेड-अंक की गणना

At present, BIS laboratories are providing testing facilities in the field of chemical, mechanical and electrical disciplines. Food testing is an integral part of the chemical laboratories. Central Laboratory at Sahibabad has also an electrical calibration section to provide in-house calibration services.

Productivity

During the year 2005-2006, BIS laboratories issued 26 725 test reports covering a vide range of products against 27 615 reports issued during the year 2004-05, which is primarily due to depletion of manpower.

Quality Policy

In order to aim towards making BIS laboratories as a National Benchmark of excellence in Laboratory Management Systems in the country, the Quality Policy was revised during the year. The revised policy focuses on continual upgradation of Laboratory Management System to improve its effectiveness, optimum utilization of resources and to maintain the highest degree of professional ethics and integrity amongst the Laboratory staff.

Quality Assurance Activities

Quality Assurance is an important activity in all BIS laboratories to ensure the credibility of test results. Out of eight laboratories, six laboratories of BIS are NABL accredited. All the laboratories have aligned their Quality Management System inline with the requirements of IS/ISO/IEC 17025 : 2005. The various other functions performed by the Quality Assurance Departments during the year are as under:

i) Approximately 5 percent samples were tested under Quality Assurance testing programme to verify the accuracy of the test results as reported.
ii) BIS laboratories participated in Proficiency testing programmes for products such as Steel tubes, Pressure cooker, Photocopier paper, Plug and socket, Switches, Packaged drinking water, UPVC pipes, GLS lamps, Immersion water heater, Rubber and concrete cubes and their performance was found satisfactory.
iii) Officers and technical personnel participated in the following training programmes:
   - Estimation of measurement of uncertainty
   - Inter-laboratory testing and calculation of Z-score

- आईएसओ/आईईसी 17025 : 2005 पर जागरूकता कार्यक्रम
- सीई मुहरांकन
- प्रयोगशाला गुणता प्रबंध पद्धति और आंतरिक लेखापरीक्षा
- सिक्स सिगमा अप्रोच
- 5 एस
- कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम और हिन्दी सॉफ्टवेयर
- आधुनिक प्रयोगशाला प्रबंध में अग्रणी

iv) शिकायत निपटान भी गुणता आश्वासन गतिविधियों के अंतर्गत निष्पादित महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। जहाँ कहीं शिकायतें प्राप्त होती है तो शिकायत के वास्तविक कारण का विश्लेषण किया जाता है और उपयुक्त सुधारात्मक तथा निवारणात्मक कार्रवाइयाँ की जाती है और उनकी निगरानी की जाती है। इन गतिविधियों का भी सुधारात्मक/निवारणात्मक कार्ययोजनाओं के सत्यापन हेतु आंतरिक लेखा परीक्षण कराया जाता है।

उत्पाद परीक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

परीक्षण पद्धतियों में एकरूपता लाने के लिए भा मा ब्यूरो प्रयोशालाओं द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान लाइसेंसधारियों/आवेदकों के लाभ के लिए पैकेजबंद पेय जल, केबल, एलपीजी स्टोव, संयंत्र सुरक्षा उपकरण (नैपसैक स्प्रेयर), ब्लीचिंग पाउडर, ड्रम (बड़े स्थायी सिरों वाले), घरेलू जल मीटर, प्लाईवुड उत्पाद, सिंचाई उपकरण-उत्सर्जक और स्ट्रेनर के क्षेत्र पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

परीक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण और अद्यतन बनाना

भा मा ब्यूरो प्रबंध द्वारा भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने के निर्णय के अनुसार निम्नलिखित प्रयोजन हेतु विभिन्न नए उपकरणों की खरीद हेतु 185 मिलियन रु. के व्यय की एक ठोस योजना को अंतिम रूप दिया गया है:

- जहाँ आंशिक परीक्षण सुविधाएँ है वहाँ परीक्षण सुविधाओं को पूरा करना
- नई परीक्षण सुविधाओं का सृजन
- अवसंरचना का सृजन/सुधार

वर्ष के दौरान प्रयोगशालाओं में निम्नलिखित परीक्षण उपकरण शामिल किए गए:

- स्वत: नमूने लेने वाले यंत्र और डिटेक्टर सहित एक गैस क्रोमेटोग्राफ पैकेजबंद पेयजल के परीक्षण हेतु केन्द्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद में प्राप्त किया गया।
- केन्द्रीय प्रयोगशाला साहिबाबाद और बैंगलोर शाखा प्रयोगशाला में पैकेजबंद पेय जल और धातुओं के परीक्षण हेतु स्वत: नमूने लेने वाले यंत्र सहित एएएस और ग्रेफाइट भट्टी

- Awareness programme on ISO/IEC 17025 : 2005
- CE Marking
- Lab quality management system and internal audit
- Six Sigma approach
- 5S
- Computer awareness programme and Hindi software
- Leadership in modern laboratory management

iv) Complaint handling is also one of the important functions performed under quality assurance activities. Whenever complaints are received, the root cause analysis of the complaint is carried out and suitable corrective and preventive actions are taken and monitored. This activity is also subjected to internal audit for verification of corrective/preventive action plans.

Training Programmes on Product Testing

In order to bring uniformity in test methods, BIS laboratories organized nine training programmes for the benefit of BIS licensees/applicants in the year 2005-2006 in the fields of Packaged drinking water, Cables, LPG stoves, Plant protection equipment (Knapsack Sprayer), Bleaching powder, Drums(Large fixed ends), Domestic water meter, Plywood products, Irrigation equipments-emitters and strainers.

Modernization and Upgradation of Test Facilities

A concrete plan to modernize BIS laboratories was finalized during the year. Under this project an expenditure to the tune of Rs 185 million is expected to be incurred for purchase of various new equipments with focus on :

- Completion of test facilities where partial test facilities exist
- Creation of new test facilities
- Creation/improvement of infrastructure

During the year, the following test equipments were added in the laboratories:

- A Gas Chromatograph with auto-sampler and detectors at Contral Laboratory Sahibabad for testing of pesticide residues in packaged drinking water
- AAS with auto-sampler and Graphite furnace for Central Laboratory, Sahibabad and Bangalore branch laboratory for testing of elements in packaged drinking water and metals

- पैकेजबंद पेय जल, इस्पात, पीतल और खाद्य रंगों में तत्त्वों के परीक्षण हेतु केन्द्रीय प्रयोगशाला और पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला के लिए यूवी-विज़िबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
- मोहाली स्थित उत्तरी क्षेत्रीय प्रयोगशाला में पानी के मीटर के परीक्षण हेतु जीवन परीक्षण उपकरण

भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं की नेटवर्किंग

सक्षम सेवाएँ प्रदान करने के लिए भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं में बड़ी संख्या में कम्प्यूटर और सहायक वस्तुएँ स्थापित की गई हैं। भा मा ब्यूरो की सभी प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने और आपस में जोड़ने के लिए एनआईसी को प्रयोगशाला सूचना प्रबंध पद्धति (एलआईएमएस) की संस्थापना का आदेश दिया गया है।

भा मा ब्यूरो प्रयोगशाला मान्यता योजना

फैक्टरियों और बाज़ारों से लिए गए नमूनों के परीक्षण के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा उत्पाद प्रमाणन योजना के प्रचालन को समर्थन देने के लिए भा मा ब्यूरो प्रयोगशाला मान्यता का प्रचालन किया जाता है। उक्त मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को परीक्षण का कार्यभार अधिक होने या भा मा ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में वह परीक्षण सुविधाएँ नहीं होने पर उपयोग में लाया जाता है।

इस समय प्रयोगशाला मान्यता योजना के अंतर्गत भा मा ब्यूरो ने 114 प्रयोगशालाओं को मान्यता दी है। एक नीति के रूप में उक्त प्रयोगशालाओं की सेवाएँ अधिक से अधिक लेने का निर्णय लिया गया है जो एनएबीएल प्रत्यायित है।

सतर्कता गतिविधियाँ

भा मा ब्यूरो में सतर्कता गतिविधियों का कार्यक्षेत्र और प्रकृति

भा मा ब्यूरो के सतर्कता विभाग का अध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी है और उसकी सहायता के लिए तीन सतर्कता अधिकारी तथा चार क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी मध्य, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में तैनात है और उन्हें सतर्कता गतिविधियों का कार्य सौंपा गया है। यह विभाग अन्य अभिकरणों यथा 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग', (सी वी सी) 'उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' और 'कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग' के निकट सहयोग से काम करता है। सतर्कता विभाग की गतिविधियाँ वार्षिक कार्य योजना के अनुसार चलाई जाती है। इस विभाग के मूल कार्य सतर्कता के निवारक, संसूचक और दंडात्मक पहलुओं के गिर्द घूमते है। सतर्कता विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं:

क) ब्यूरो के कर्मचारी जब और जैसे ही वार्षिक संपत्ति विवरणियों और चल तथा अचल संपत्तियों में अंतिम लेन-देन दाखिल करें उसकी संवीक्षा/जाँच करना।

ख) पदोन्नति पर विचार करने और बाहर के पदों के लिए भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों के आवेदन भेजने के लिए सतर्कता की अनुमति देना, जैसा विभाग/कर्मचारी द्वारा अनुरोध किया जाए।

- UV-Visible Spectrophotometer for Central Laboratory and Eastern Regional Laboratory at Kolkata, for testing of elements in packaged drinking water, steel, brass and food colours.
- Life testing equipment for testing of water meter at Northern Regional Laboratory, Mohali.

Networking of BIS Laboratories

A number of computers and accessories have been installed at BIS laboratories to provide efficient services. To strengthen and inter connect all the BIS laboratories, NIC has been requested to develop and install Laboratory Information Management Systems (LIMS).

BIS Laboratory Recognition Scheme

BIS laboratory recognition scheme is operated by Central Laboratory to support the operation of product certification scheme for testing of samples drawn from factories and markets. Such recognized laboratories are utilized in the event of higher testing loads or wherever a test facility does not exist in BIS laboratories.

As on date, BIS has recognized 114 laboratories under its lab recognition scheme. As a policy, it has been decided to avail, as far as possible, the services of such laboratories which are NABL accredited.

VIGILANCE ACTIVITIES

Scope and Nature of Vigilance Activities in BIS

Vigilance Department of BIS is headed by Chief Vigilance Officer and assisted by three Vigilance Officers as well as four Regional Vigilance Officers posted at Central Region, Northern Region, Western Region and Southern Region and is entrusted for carrying out vigilance activities. This department functions in close coordination with other agencies such as the Central Vigilance Commission (CVC); the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution; and the Department of Personnel and Training. The activities of Vigilance Department are organized in accordance with an Annual Action Plan. The key functions of this Department revolve around the preventive, the detective, and the punitive aspects of vigilance. The work undertaken by Vigilance Department is as follows:

a) Scrutinize/examine the Annual Property Returns and final transactions in movable and immovable properties, as and when filed by the employees of the Bureau.

b) Grant vigilance clearances for considering promotions, passport, foreign assignments and forwarding applications of BIS employees for outside posts as requested by department/ employee.

ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग/मंत्रालय के माध्यम से या तो प्रत्यक्ष रूप से सतर्कता विभाग में प्राप्त सूचना और शिकायतों की जाँच करना और गहराई से जाँच-पड़ताल करना। जाँच-पड़ताल के आधार पर मिले परिणाम से यदि आवश्यकता हो तो केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के आधार पर दोषी अधिकारी (अधिकारियों) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरम्भ करना।

घ) भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों को आचार नियमावली, सीसीएस (सीसीए) नियमावली और लागू होने वाले अन्य विभिन्न संबंधित नियमों/विनियमों तथा मेनुअलों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में अवगत करना; और सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित सतर्कता कार्यशालाओं तथा संबंधित विषयों पर कार्यक्रमों के माध्यम से भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों में सतर्कता कार्य के महत्व के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना।

ड़) ब्यूरो और क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में निवारणात्मक सतर्कता के भाग के रूप में विभिन्न गतिविधियों की सतर्कता परीक्षण आयोजित करना और कमियों को दूर करने के लिए व्यवस्थित सुधारों का सुझाव देना।

च) भ्रष्टाचार की घटनाओं के बारे में प्रत्यक्ष फीडबैक लेने के लिए भा मा ब्यूरो के लाइसेंसधारियों, उपभोक्ता संगठनों और उद्योग संघों के साथ बैठकें आयोजित करना और चरणबद्ध तरीके से सुधार तथा अधिक पारदर्शिता आरंभ करने के लिए सुझाव देना।

वर्ष 2005-2006 के दौरान, सतर्कता विभाग ने दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, कोयम्बतूर में मुहरांकन विभाग की शाखाओं तथा पश्चिमी क्षेत्र की प्रयोगशाला की सतर्कता लेखापरीक्षा की। इन लेखापरीक्षाओं के दौरान, विभिन्न पद्धतियों तथा पद्धतियों में अनेक त्रुटिपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई तथा भारतीय मानक ब्यूरो में संबंधित गतिविधि प्रमुखों को सुधार के सुझाव दिए गए। परिणामस्वरूप, प्रचालन संहिता अथवा उत्पाद प्रमाणन-2004 में आशोधन किए गए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रक्रियाविधियों के अननुपालन/अनियमितताओं के मामलों के संबंध में सतर्कता जाँच पड़ताल की गई। इन लेखापरीक्षाओं के दौरान लाइसेंसधारकों के अकस्मात् निरीक्षण भी किए गए तथा इन निरीक्षणों के परिणामस्वरूप लाइसेंसों को मुहरांकन रोक के अंतर्गत डाला गया। मुहरांकन रोक के दौरान लाइसेंसधारकों द्वारा दुरुपयोग के कुछ मामले भी जानकारी में आए जिसके परिणामस्वरूप शाखा कार्यालय द्वारा निरसन कार्यवाही आरम्भ की गई। इसके अतिरिक्त, पैकेज बंद पेय जल संबंधी मानक पर अभ्युक्तियाँ प्रस्तुत की गईं, जिन पर संबंधित तकनीकी समिति द्वारा विचार किया गया।

भारतीय मानक ब्यूरो में कथित भ्रष्टाचार की समस्या का अध्ययन करने तथा उपचारी उपाय सुझाव एवं ईसी के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु की गई कारवाई रिपोर्ट तैयार करने के लिए ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति (ईसी) द्वारा संघटित उप-समूह द्वारा की गई सिफारिश के संबंध में कार्यान्वयन हेतु संबंधित गतिविधि प्रमुखों के साथ अनुवर्तक किया गया।

भारतीय मानक ब्यूरो में 7 से 11 नवम्बर 2005 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया जिसके दौरान भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारियों को सुग्राही बनाने तथा साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो को एक आदर्श भ्रष्टाचार

c) Examine source information and complaints received in Vigilance Department either received directly from the complainant or through CVC/Ministry and conduct thorough investigations. On the basis of the outcome of the investigation, in case, it is called for, initiate disciplinary proceedings against the delinquent official(s) on the basis of the advice of CVC.

d) In order to apprise BIS employees about various provisions of the Conduct Rules, CCS (CCA) Rules and various other related Rules/Regulations and Manuals in operation; and create greater awareness about the importance of vigilance activity among the BIS employees, conduct vigilance workshops and programmes on related subjects.

e) Conduct vigilance audits of various work activities of the Bureau and Branch/Regional Offices as part of prevalent preventive vigilance and suggest systemic improvements to plug loop holes.

f) Organize meetings with BIS licensees, consumer organizations and Manufacturers Associations for receiving direct feedback relating to instances of corruption, if any, and elicit suggestions for introducing systematic improvements and greater transparency.

During the year 2005-2006, the Vigilance Department conducted vigilance audits of Branches of Marks Department at Delhi, Mumbai, Hyderabad, Coimbatore and Laboratory of Western Region. During these audits, a number of grey areas in various systems and practices were identified and suggestions for improvement were given to the concerned Activity Heads in BIS. As a result, modifications were made in the Operating Manual for Product Certification–2004. Besides, vigilance investigations were undertaken on instances of irregularities/non-compliance of procedures against various officials. Number of surprise inspections of the licensees were also carried out during these audits and as a result of these inspections licences were put under stop marking. Some cases of misuse by the licensees during stop marking were also noticed, as a result of which cancellation proceeding were initiated by the Branch Offices. Further, the comments on Indian Standard on Packaged Drinking Water were given which were Considered by the concerned Technical Committee.

Follow-up was done with the concerned Activity Heads for implementation on the recommendation made by the Sub-group constituted by the Executive Committee (EC) of the Bureau to study the problem of alleged corruption in BIS and suggest remedial measures and preparation of the Action Taken Report for presentation before the EC.

Vigilance Awareness Week was observed in BIS from 7th to 11th November 2005 during which various programmes throughout the country by all Regional/Branch Offices of

मुक्त संगठन बनाने के लिए उनमें जागरूकता वर्धन करने के लिए ब्यूरो के सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस सप्ताह के दौरान "भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम" संबंधी वार्ता का आयोजन 9 नवम्बर 2005 को भारतीय मानक ब्यूरो के मुख्यालय में किया गया। "भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम" संबंधी वार्ता श्री शत्रुजीत सिंह कपूर, आईपीएस, निदेशक, सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद द्वारा प्रस्तुत की गई। "सतर्कता पारदर्शिता एवं वृद्धि की अग्रगामी है" संबंधी संगोष्ठी का आयोजन भी 10 नवम्बर, 2005 को किया गया जिसका उद्घाटन श्री भूरे लाल, सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग (भूतपूर्व सचिव, सीवीसी) द्वारा किया गया। सीबीआई (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) तथा सीवीसी से लब्धप्रतिष्ठ वक्ताओं ने इस विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त किए। इस अवसर पर, विभिन्न विषयों पर निबंध प्रतियोगिताओं, वाद विवाद, व्याख्यानों इत्यादि का आयोजन भी किया गया तथा ब्यूरो के विभिन्न क्षेत्रीय, शाखा कार्यालयों तथा मुख्यालय में इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।

the Bureau were organized for sensitizing the BIS employees and also to increase awareness amongst them for making BIS a model corruption-free organization. During this week, the talk on "Prevention of Corruption Act" was organized on 9th November 2005 at the BIS Headquarters. The talk on "Prevention of Corruption Act" was delivered by Shri Shatrujoot Singh Kapur, IPS, Director, CBI Academy, Ghaziabad. The Seminar on "Vigilance Leads to Transparency and Growth" was also organized on 10th November 2005 which was inaugurated by Shri Bhure Lal, Member, UPSC (Former Secretary, CVC). Eminent speakers from CBI & CVC expressed their views on the subject. On this occasion, essay competitions, debates, lecture etc. on various topics was also organized and prizes were distributed to winners of these competitions at various Regional, Branch Offices and Headquarters of the Bureau.

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय में 11 नवम्बर 2005 को एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इस कार्यशाला में, चंडीगढ़ में प्रमाणन गतिविधि के अधिकारियों के समक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा एक प्रस्तुतीकरण किया गया ताकि उन्हें भ्रष्टाचार के कुप्रभावों के प्रति सचेत किया जा सके तथा विभिन्न सतर्कता लेखापरीक्षाओं के दौरान अवलोकित अनियमितताओं के मामलों के संबंध में अवगत कराया जा सके।

A workshop was also organized on 11th November 2005 at Northern Regional Office. In this workshop, a presentation to officers of certification activity at Chandigarh was made by the Chief Vigilance Officer to sensiitize them against the pitfalls of corruption and make them aware about the instances of irregularities observed during various vigilance audits.

शिकायतों के संबंध में फीडबैक, यदि कोई भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंसधारक संबंधों को सुधारने के लिए सुझाव/फीडबैक प्राप्त करने के लिए; तथा भारतीय मानक ब्यूरो की पद्धतियों को अधिक वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी बनाने के लिए नवम्बर 2005 तथा मार्च 2006 में उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, कोयम्बटूर शाखा कार्यालय; कोयम्बटूर तथा पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई में भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंसधारकों तथा उपभोक्ता संगठनों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया।

Meeting with BIS licensees and consumer organizations at Northern Regional Office, Chandigarh; Coimbatore Branch Office, Coimbatore; and Western Regional Office, Mumbai were organized in November 2005 and March 2006 to elicit direct feedback regarding grievances, if any; suggestions/ feedback to Improve the BIS-licensee relations and to make the BIS systems more objective and transparent.

तकनीकी सूचना सेवाएँ

डब्ल्यूटीओ/टीबीटी पूछताछ केन्द्र

भारतीय मानक ब्यूरो ने वाणिज्य मंत्रालय द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट डब्ल्यूटीओ/टीबीटी पूछताछ केन्द्र के रूप में अपनी गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण किया। डब्ल्यूटीओ/टीबीटी करार के अंतर्गत राष्ट्रीय हित के विभिन्न मुद्दों पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ सन्निकट अंत:क्रिया का अनुरक्षण किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पूछ-ताछ केन्द्र की सेवाएँ प्रदान करने की गतिविधि की आउटसोर्सिंग की गयी। विभिन्न देशों द्वारा जारी अधिसूचनाओं के संबंध में सूचना का डाउनलोड किया गया, उनका पूर्विकता निर्धारण किया गया तथा देश के भीतर अनेक पणधारकों में उनका प्रसार किया गया। पणधारक को उनकी अभ्युक्तियों के लिए अनुस्मारक भेजने की पद्धति भी स्थापित की गई। पणधारकों से प्राप्त अभ्युक्तियों का विश्लेषण किया गया तथा वाणिज्य मंत्रालय को भेजा गया। विभिन्न देशों द्वारा जारी अधिसूचनाओं को भी पणधारकों की सहायतार्थ भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।

भारत के साथ साथ विदेशों में संबंधित पक्षों से राष्ट्रीय तथा अन्य देशों, दोनों की मानक एवं समनुरूपता निर्धारण पद्धतियों से संबंधित सभी युक्तिसंगत पूछताछ का उत्तर दिया गया।

उद्योग तथा विनियामकों सहित विभिन्न पणधारकों को सुग्राही बनाने के उद्देश्य से "डब्ल्यूटीओ, टीबीटी करार, भारतीय पणधारकों की भूमिका तथा डब्ल्यूटीओ, टीबीटी पूछताछ केन्द्र से आशाएँ" विषय पर अनेक संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। संगोष्ठियों का संचालन नई दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकता, चेन्नई एवं मुम्बई में किया गया। डब्ल्यूटीओ की संरचना एवं कार्यकरण, टीबीटी करार, अधिसूचनाओं तथा वैश्विक व्यापार पर उनका महत्व एवं भारतीय उद्योग की भूमिका तथा गतिविधि पूछताछ केन्द्र के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो संबंधी सूचना प्रतिभागियों को इन संगोष्ठियों के दौरान उपलब्ध कराई गई।

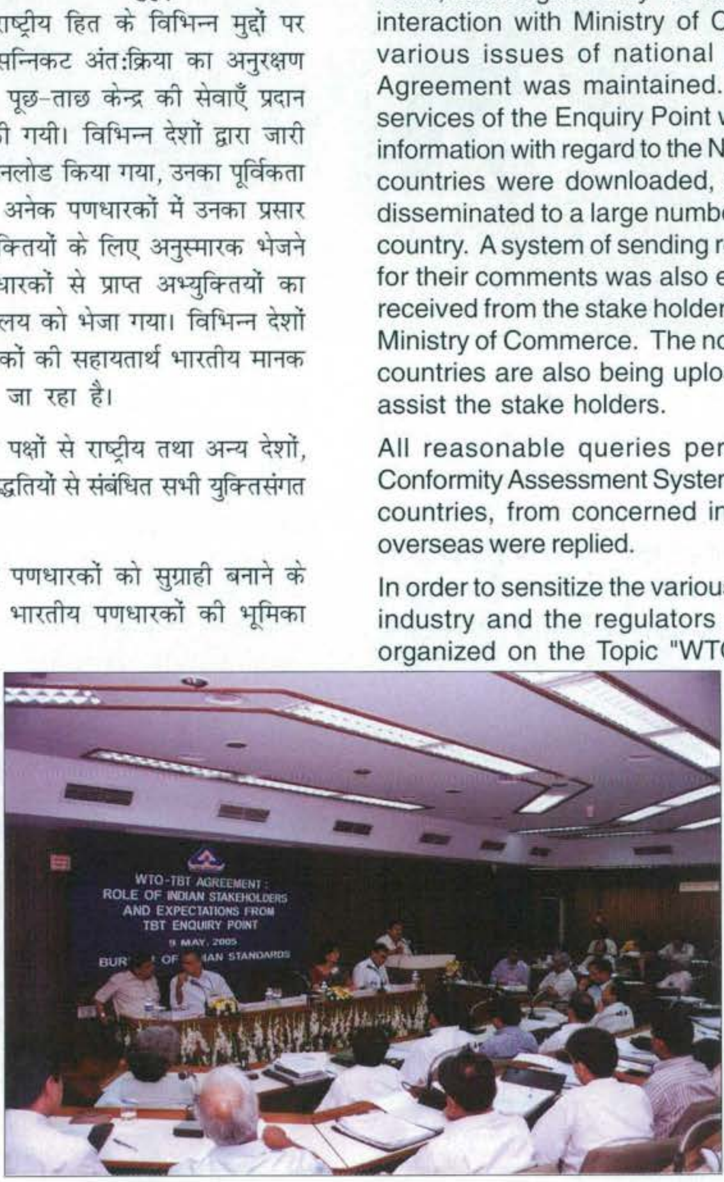

तकनीकी सूचना सेवा केन्द्र

तकनीकी सूचना सेवाएँ उद्योग, आयातकों, निर्यातकों, व्यक्तियों तथा सरकारी अभिकरणों को जिज्ञासाओं के उत्तर में उपलब्ध कराई जाती हैं। इस प्रयास में वर्ष 2005-2006 के दौरान 1200 से अधिक जिज्ञासाओं का उत्तर दिया गया था।

वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को पहचान संख्याओं का प्रायोजन

निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की गई थीं :

TECHNICAL INFORMATION SERVICES

WTO/TBT Enquiry Point

BIS strengthened its activities as the WTO / TBT Enquiry Point, as designated by the Ministry of Commerce. Close interaction with Ministry of Commerce and Industry on various issues of national interest under WTO/TBT Agreement was maintained. The activity of providing services of the Enquiry Point was outsourced by BIS. The information with regard to the Notifications issued by various countries were downloaded, prioritized, segregated and disseminated to a large number of stakeholders within the country. A system of sending reminders to the stake holder for their comments was also established. The comments received from the stake holders were analyzed and sent to Ministry of Commerce. The notifications issued by various countries are also being uploaded on the BIS website to assist the stake holders.

All reasonable queries pertaining to Standards and Conformity Assessment Systems, both national and of other countries, from concerned interests in India as well as overseas were replied.

In order to sensitize the various stake holders including the industry and the regulators number of seminars were organized on the Topic "WTO TBT Agreement, Role of Indian Stake holders and Expectations from WTO TBT Enquiry Point". The seminars were conducted at New Delhi, Chandigarh, Kolkatta, Chennai and Mumbai. Information with regard to the structure and functioning of WTO, TBT agreement, the Notifications and their significance on Global Trade and the Role of Indian Industry and BIS as Activity Enquiry Point was provided to the participants during these seminars.

Technical Information Service Centre

BIS provided Technical Information Services to Industry, importers, exporters, individuals and government agencies in response to their enquiries. In this endeavour, more than 1200 enquiries were responded during the year 2005-2006.

Sponsorship of Identification Numbers to Financial Institutions/Banks

The following services were provided:

जारीकर्ता पहचान संख्या (आईआईएन)

आईएसओ/आईईसी 7812-1 का यह भाग अंतर्राष्ट्रीय विनियम में प्रयुक्त पहचान कार्डों के जारीकर्ताओं की पहचान के लिए एक संख्यांकन पद्धति विनिर्दिष्ट करता है। यह संख्या प्रमुख उद्योग तथा कार्ड जारीकर्ता की पहचान करती है और पहचान संख्या का पहला भाग होती है। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के आवेदनों का समर्थन अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन (एबीए) को कर के भा मा ब्यूरो आईएसओ 7812 - 1 (ई) के अनुसार आईआईएन जारी करने में मदद करता है। वर्ष के दौरान दो आईआईएन संख्याएँ जारी की गई हैं।

संस्था पहचान कोड (आईआईसी)

आईआईसी एक अनन्य संख्या है जो आईएसओ 8583 के अनुसार आईएसओ के प्राधिकार के अंतर्गत अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन (एबीए) द्वारा बनाए गए वित्तीय लेन-देन कार्ड संदेशों में भाग लेने वाले वित्तीय संस्थानों को सौंपा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक एक सांझा अंत:पृष्ठ विनिर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा वित्तीय लेन-देन-कार्ड से प्रोद्भूत संदेशों का कार्ड के प्राप्तकर्ताओं और जारीकर्ताओं के बीच आदान-प्रदान हो सके। इसमें संदेश संरचना, फार्मेट और विषयवस्तु, आंकड़े और आंकड़ों के मूल्य विनिर्दिष्ट किए जाते हैं।

पंजीकृत आवेदन प्रावधानकर्ता पहचानकर्ता (आरआईडी)

आरआईडी एक हार्डवेयर इन्डेक्स कोड है जिसका प्रयोग पहचान कार्डो-संपर्कों वाले समेकित परिपथ कार्डों - में किया जाता है। इसमें आवेदन, फाइल की ओर पथ तथा अन्य संबंधित आंकड़े होते है, जिसकी तुलना स्वविवेकी आंकड़े और आवेदन टेम्पलेट के निष्पादन की तुलना के लिए की जाती है और यह आईएसओ के प्राधिकार के अंतर्गत पंजीयन प्राधिकरण, कोपेनहैगन, डेन्मार्क द्वारा आईएसओ/आईईसी 7816-5 के अनुसार आवंटित किया जाता है।

विश्व विनिर्माण पहचानकर्ता जारी करना (डब्ल्यूएमआई)

सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स (एसएई), यूएसए के साथ समन्वय में भा मा ब्यूरो भारत में आटोमोबाइल विनिर्माताओं और निर्यातकों को आईएसओ 3780 : 1983 सड़क के वाहन- विश्वविनिर्माता पहचानकर्ता (कोड) जारी करने का उत्तरदायित्व पूरा करता है। वर्ष के दौरान डब्ल्यूएमआई कोड आबंटन के लिए तीन आवेदनों पर कार्यवाही की गई।

डीजीएफ़टी अधिसूचना सं. 44 (आरई-2000) पर तकनीकी स्पष्टीकरण

डीजीएफटी ने अधिसूचना सं. 44 (आरई-2000)/1997-2002, दिनांक 24 नवम्बर 2000 जारी करके 133 उत्पादों के भारतीय बाज़ार में प्रवेश करने से पहले भा मा ब्यूरो प्रमाणन अनिवार्य कर दिया। इसके बाद नीति परिपत्र सं. 4 (आर ई-2001)/1997-2002, दिनांक 19 जून 2001 में कहा कि कोई उत्पाद अधिसूचना 44 की परिधि में आता है या नहीं, इस बारे में स्पष्टीकरण, अब तक भा मा ब्यूरो मानकों पर लागू, भा मा ब्यूरो द्वारा ही जारी किया जाएगा, और भा मा ब्यूरो द्वारा जारी किया गया एक स्पष्टीकरण सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा। इस अधिसूचना के संशोधन को जारी करने के बाद वर्तमान में 109 उत्पाद इस अधिसूचना के अधिकार क्षेत्र में आ जाते है। भा मा ब्यूरो ने वर्ष के दौरान विभिन्न उत्पादों के 32 ऐसे मामलों पर स्पष्टीकरण जारी किया।

Issuer Identification Number (IIN)

ISO/IEC 7812-1 Identification Cards- Identification of issuers Part 1: Numbering System Specifies a Numbering System for the Identification of Issuers of the Identification Cards Used in International and/ or Inter-industry Interchange. This is a number that identifies the major industry and the card issuer and that forms the first part of the primary account number. BIS facilitates the issue of IIN as per ISO 7812-1 by sponsoring applications of Banks/Financial Organizations to the American Bankers Association (ABA). Two Issuer Identification numbers have been issued during the year.

Institution Identification Codes (IIC)

IIC is a unique number assigned to financial institutions participating in financial transaction card originated messages by American Bankers' Association (ABA) under the authorization of ISO in accordance with ISO 8583. This International Standard specifies a common interface by which financial transaction card originated messages may be interchanged between acquirers and card issuers. It specifies message structure, format and content, data elements and values for data elements.

Registered Application Provider Identifier (RID)

RID is a hardware index code used in identification cards– integrated circuit cards with contacts. It is allotted in accordance with ISO/IEC 7816-5 Identification Cards– Integrated Circuit Cards–Part 5 : Numbering System and Registration Procedure for Application Identifiers, by the Registration Authority, Copenhagen, Denmark under the authorization of ISO.

World Manufacturer Identifier (WMI)

In coordination with the Society of Automotive Engineers (SAE), USA, BIS fulfils the responsibility of issuing the WMI Codes as per ISO 3780 : 1983 Road Vehicles–World Manufacturer Identifier (Code), to the automobile manufacturers and exporters in India. Eight applications were processed for the allotment of WMI Code during the year.

Technical Clarifications on DGFT Notification No. 44 (RE-2000)

DGFT's Notification No. 44 (RE-2000)/1997-2002 dated 24 November 2000 made BIS certification mandatory for 133 products before they could enter into Indian market. Subsequently, a policy circular No. 4 (RE-2001)/1997-2002 dated 19 June 2001 was issued stating that clarification, whether a product is covered within the ambit of Notification 44 or not, so far applicable to BIS standards, would only be issued by BIS, and such a clarification issued by BIS shall be binding on all concerned. After issuance of amendments to these Notifications, at present, 109 products fall within the ambit of this Notification. BIS issued 32 clarifications during the year on different products.

पुस्तकालय सेवाएँ

वर्ष 2005-06 के दौरान पुस्तकालय सेवा केंद्र (एलएससी) ने मुख्यालय में और मुंबई, कोलकता, चंडीगढ़ तथा चेन्नई के अपने चार क्षेत्रीय कार्यालयों में भी अपने संग्रह में 2 500 पुस्तकों, विदेशी मानक निकायों द्वारा जारी मानक टाइप प्रलेखों और विभिन्न जानकार संस्थाओं तथा मानकीकरण के काम में लगी विदेशी संस्थाओं द्वारा जारी प्रकाशनों व मानकों की भी वृद्धि की है।

कंप्यूटर केंद्र द्वारा रखे गए "मानक संदर्भिका" नामक विश्व मानकों के यांत्रिक डाटाबेस को अद्यतन करने के लिए पुस्तकालय आधारभूत जानकारी देता रहा। यहाँ प्राप्त सभी मानकों को डाटाबेस में डालने के लिए संहिताबद्ध कर दिया गया है जिसमें अब 344 200 से अधिक रिकार्ड है।

अपनी वर्तमान जागरूकता सेवाओं के अंग के रूप में सूचना सेवा केन्द्र पुस्तकालय में प्राप्त सभी पुस्तकों की सूची मासिक आधार पर "पुस्तकालय में वृद्धि-पुस्तकें तथा पेम्लेट" नाम से प्रकाशित करता है। यह बुलेटिन आंतरिक प्रयोक्ताओं तथा पुस्तकालय के सदस्यों को वितरण के लिए है और सार्वत्रिक दशमलव वर्गीकरण (यूडीसी) से चुने गए विषयों के 120 व्यापक विषय स्थूल समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत रूप में जानकारी प्रस्तुत करता है।

पुस्तकालय के विभिन्न कोटियों के वर्तमान सदस्यों में 1 400 व्यक्ति और संस्थाएं शामिल हैं। इनमें से 200 सदस्य इसी वर्ष शामिल हुए हैं। व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों ने और ब्यूरो के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने लगभग 19 000 प्रकाशनों से जानकारी प्राप्त की या जारी करवाया।

4 124 आगंतुकों के लिए-विभिन्न विषयों की 9 व्यापक ग्रंथ-सूचियाँ बनाकर और उन्हें अपनी पसंद की संदर्भ सामग्री उपलब्ध करा के संदर्भ सेवाओं की व्यवस्था की गई । संदर्भ इकाई ने ग्रंथ-सूचियाँ उपलब्ध करा के मानक निर्धारण विभागों को पूर्ण सहयोग दिया। उसने दूर और पास से आई 1 998 जिज्ञासाओं का उत्तर देकर भारतीय व्यापार तथा उद्योग की सहायता की। पुस्तकालय सूचना सेवा केन्द्र ने आईएसओ द्वारा प्रस्तुत "मानकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण" (आईसीएस) के अनुसार भारतीय मानकों के मसौदे को संहिताबद्ध करने के लिए भी अपनी सेवाएँ दीं। वर्ष के दौरान 169 मसौदों को संहिताबद्ध किया गया।

अधिकारियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवीनतम जानकारी से अवगत कराने के लिए इस समय पुस्तकालय में 200 (लगभग) पत्रिकाएं आती हैं। पुस्तकालय के सदस्य भी उनका उपयोग करते हैं।

पुस्तकालय सूचना सेवा केन्द्र ने क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के पुस्तकालयों को पत्रिकाएँ और अन्य तकनीकी पुस्तकें उपलब्ध कराईं।

Library Services

During the year 2005-2006, Library Services Centre (LSC), at the Headquarters and also at its four Regional Offices at Mumbai, Kolkata, Chandigarh and Chennai added to its collection 2 500 books, standards type documents issued by overseas standard bodies as well as publications and standards issued by various learned societies and foreign Associations engaged in the work of standardization.

The Library continued to supply basic information for the updation of mechanized database of World Standards called "Manak Sandarbhika" maintained by Information Technology Services Department. All the standards received here were codified as input for the database which now comprises above 344 200 records.

As part of its current awareness services, LSC publishes a monthly list of all the books received in the library, under the title "Addition to the Library-Books and Pamphlets". This bulletin is for circulation to in-house users and library members and presents information in classified form under 120 broad subjects groups selected from Universal Decimal Classification (UDC).

About 1 400 individuals and organizations are current members of the library in various categories. Out of this 200 new members have joined during this year. Abou 19 000 publications/standards were consulted or issued to the representatives of trade and industry as well as officers and staff of the Bureau.

Reference services were provided to 4 124 visitors by way of preparing 9 exhaustive subject bibliographies and making available, the reference materials of their choice. The reference unit fully supported the standards formulating departments by providing the bibliographies. It assisted the Indian Trade and Industry by answering 1 998 long and short range queries as received from them. LSC also provided its service for codifying draft Indian Standards as per "International Classification for Standards" (ICS) as propounded by ISO. During the year 169 drafts were codified.

At present library received 200 (approx) periodicals to keep abreast of the latest developments in science and technology by officers BIS. Members of the library are also using them.

LSC supplied journals and other technical books to the Regional Offices libraries also.

प्रशिक्षण सेवाएँ

प्रशिक्षण संस्थान

उद्योग, सरकार तथा सेवा क्षेत्र की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने वर्ष 1995 में 'मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान' (एनआईटीएस) की स्थापना की थी। संस्थान नोएडा स्थित अपने नए परिसर में मई 2003 से क्रियाशील है।

उद्योग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, एनआईटीएस ने 36 इन-हाउस कार्यक्रमों, 36 मुक्त कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें उद्योग के लिए 10 अग्रणी लेखापरीक्षक पाठ्यक्रम शामिल हैं।

प्रबंध पद्धतियों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

उक्त विषय पर चार सप्ताह की अवधि का द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सितम्बर 2005 में किया गया जिसमें विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से वित्तीय सहायता के साथ 6 विकासशील देशों से 10 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

मानकीकरण तथा गुणता आश्वासन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

उक्त विषय पर 8 सप्ताह की अवधि का 38वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अक्तूबर-दिसम्बर 2005 में किया गया जिसमें 16 देशों से 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

आईएसओ वैश्विक निर्देशिका तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण में वर्धित सहभागिता

एनआईटीएस ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) आईएसओ वैश्विक निर्देशिका तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण में आईएसओ वर्धित सहभागिता की ओर से दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन दिसम्बर 2005 के दौरान किया।

भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान 28 कार्यक्रमों का आयोजन अनन्य रूप से भारतीय मानक ब्यूरो के पदाधिकारियों के लिए किया गया जिसमें नए सहायक निदेशकों, प्रयोगशाला प्रबंध तथा आंतरिक लेखापरीक्षा, मापन अनिश्चितता इत्यादि के लिए 4 सप्ताह का सन्निवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल था। भा मा ब्यूरो के 600 से अधिक कर्मचारियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

विकसित किए गए नए कार्यक्रम

निम्नलिखित नए विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास/आयोजन भारतीय मानक ब्यूरो के पदाधिकारियों के लिए पहली बार किया गया:

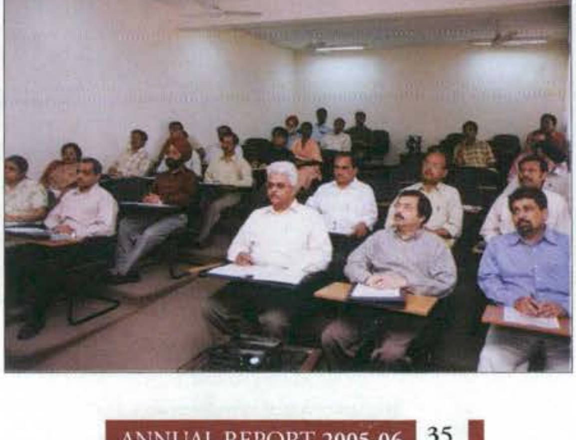

TRAINING SERVICES

TRAINING INSTITUTE

Bureau of Indian Standards has set up National Institute of Training for Standardization (NITS) in the year 1995 to meet the training needs of industry, Government and Service sector. The institute now operates from its new campus at NOIDA since May 2003.

Training Programmes for Industry

During the year, NITS organized 36 In-house programmes 36 Open Programmes including 10 Lead Auditors Courses for the industry.

International Training Programme on Management Systems

Second International Training Programme of four weeks duration on the above subject was organized in September 2005 which was attended by 10 participants from 6 developing countries with the financial support from Ministry of External Affairs, Government of India.

International Training Programme on Standardization and Quality Assurance

The 38th International Training Programme of 8-weeks duration on the above subject was organized during October - December 2005, which was attended by 27 participants from 16 countries.

ISO Global Directory and Enhanced Participation in International Standardization

For the first time NITS has organized two training programmes on behalf of International Organization for Standardization (ISO), on ISO Global Directory and ISO Enhanced Participation in International Standardization during December 2005.

Training Programmes for BIS Employees

During the year 28 programmes were exclusively organized for BIS officials, which included 4 weeks Induction Training Programme for new Assistant Directors, Laboratory Management and Internal Audit, Measurement Uncertainty etc. More than 600 BIS employees have been provided the training on different subjects.

New Programmes Developed

Training programmes on following new subjects were developed /organized for the first time for BIS officials:

क) प्रौद्योगिकी प्रक्रिया - विद्युत केबल
ख) अंतर -प्रयोगशाला तुलना तथा ज़ेड-स्कोर का मूल्यांकन
ग) क्रय, बेकार एवं निपटान
घ) आईएसओ अनुरूपता निर्धारण मानक
ङ) सूचना सुरक्षा प्रबंध पद्धतियों संबंधी जागरूकता कार्यक्रम
च) आईएस 15700 : 2005 के अनुसार लोक सेवा संगठन द्वारा सेवा गुणता हेतु अपेक्षाएँ।
छ) रसायन परीक्षण में मापन अनिश्चितता
झ) ग्राहक संतुष्टि का मापन
ञ) सिक्स सिगमा पर जागरूकता कार्यक्रम
ट) 5 एस पर परीक्षण कार्यक्रम

a) Technological Process—Electrical Cables
b) Inter Laboratory Comparisons and Evaluation of Z- Scores
c) Purchase, Condemnation and Disposal
d) ISO Conformity Assessment Standards
e) Awareness Programme on Information Security Management Systems
f) Requirements for Service Quality by Public Service Organization as per IS 15700 : 2005
g) Measurement Uncertainty in Chemical Testing
h) Measurement of Customer Satisfaction
i) Awareness Programme on Six Sigma
j) Training Programme on 5 S

राजस्व

वर्ष के दौरान प्रशिक्षण संस्थान ने प्रशिक्षण शुल्क, हॉस्टल व्यय, परिसर आदि किराए पर लेने से 10.293 मिलियन रु. का राजस्व अर्जित किया। इसके साथ, प्रशिक्षण संस्थान ने वर्ष के दौरान 7.319 लाख रु. (सैद्धान्तिक) मूल्य का प्रशिक्षण प्रदान किया।

Revenue

During the year the Training Institute earned a revenue of Rs 10.293 million from training fees, hostel expenses, hiring of premises etc. In addition, the Training Institute imparted training worth Rs 7.319 million (notional) to BIS employees during the year.

उपभोक्ता संबंधित गतिविधियाँ

उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम

भा मा ब्यूरो अपने क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके और उपभोक्ता संगठनों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों की गतिविधियों के बारे में भाग लेकर भा मा ब्यूरो की गतिविधियों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाया। इन कार्यक्रमों के दौरान, सहभागियों को विभिन्न गुणता नियंत्रण आदेशों, भा मा ब्यूरो मानक चिह्न के दुरुपयोग के लिए दंडों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता शिकायत निवारण पद्धति आदि के बारे में जानकारी दी गई। वर्ष के दौरान ब्यूरो के मुख्यालय, क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों द्वारा कुल 177 उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें से कुछ विशिष्ट कार्यक्रम स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग पर जागरूकता पैदा करने के लिए ही थे।

CONSUMER RELATED ACTIVITIES

Consumer Awareness Programme

BIS promoted consumer awareness regarding BIS activities by conducting consumer awareness programmes and by participation in seminars/ conferences organized by consumer organizations through its network of Regional and Branch Offices. During these programmes, participants were informed about various quality control orders, penalties for misuse of BIS Standard Mark, Consumer Protection Act, consumer grievance redressal mechanism etc. 177 consumer awareness programmes have been conducted during the year 2005-06 by BIS Hqrs/ROs/ BOs. Some of these programmes were exclusively for creating awareness for Hallmarking of gold jewellery.

जनता की शिकायतें

भा मा ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों के बारे में प्राप्त शिकायतों की हर माह समीक्षा व निगरानी की जाती है ताकि शिकायतकर्ताओं का समाधान जल्दी किया जा सके। 2005-06 के दौरान 130 शिकायतें रजिस्टर की गई और कुल 66 शिकायतों को निपटाया गया।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

भा मा ब्यूरो द्वारा क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के अपने नेटवर्क के माध्यम से मार्च 2006 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ब्यूरो के मुख्यालय और क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, पैनल चर्चाओं और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। उन कार्यक्रमों में उपभोक्ताओं, उपभोक्ता संगठनों व शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और भा मा ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

उपभोक्ताओं के लाभ के लिए प्रकाशित विवरणिकाएँ

भा मा ब्यूरो ने उपभोक्ता हित के विषयों पर 14 विवरणिकाएँ प्रकाशित की है। इनमें से कुछ विवरणिकाएँ 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिन के नाम असमिया, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी और पंजाबी है।

सिटीजन चार्टर

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित भा मा ब्यूरो का नागरिक चार्टर का कार्यान्वियन किया गया है। भा मा ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों के लिए चार्टर में विनिर्दिष्ट समय मानकों को मुख्यालय, क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय में एक बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया गया है और सलाह भी दी गई कि इन्हें प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करें। चार्टर द्विभाषी रूप में भा मा ब्यूरो की वेबसाइट पर दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) और अंतर्राष्ट्रीय विद्युत-तकनीकी आयोग (आईईसी) के नीति-निर्धारक निकायों और तकनीकी समितियों की गतिविधियों में भाग लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण परिदृश्य में अपना प्रयास जारी रखा। अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मज़बूत करने की दिशा में भी ब्यूरो ने अपने प्रयास जारी रखे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण गतिविधियों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ)

वर्ष के दौरान, भा मा ब्यूरो ने आईएसओ नीति बैठकों और विकासशील देश के मामलों पर आईएसओ समिति बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। आईएसओ समितियों/उप-समितियों की भागीदारी, जहाँ भारत एक 'पी' सदस्य है, और जहां भारत के पास सचिवालय का उत्तरदायित्व है, जारी रखा गया।

पूरे विश्व की निर्देशिका आईएसओ/टीसी/एससी कार्य में वैयक्तिक हैसियत से भाग लेने वालों का बड़े पैमाने पर अनुरक्षित डाटाबेस है,

Public Grievances

Complaints regarding BIS certified products received from consumers are being reviewed and monitored every month for redressal. 130 complaints were registered and 66 complaints were redressed during the year 2005 -06.

World Consumer Rights Day

World Consumer Rights Day was celebrated by BIS through its network of ROs/BOs in March 2006. On the occasion, consumer awareness programmes, seminars and exhibitions were organized at HQs, Regional and Branch Offices of the Bureau. The programmes were attended by consumers, delegates from consumer organizations, educational institutions and Government officials.

Brochures Published for the Benefit of Consumers

BIS has published 14 brochures on the subjects of consumers' interest. Some of these brochures have been printed in 10 regional languages, namely Assamese, Bengali, Oriya, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Gujarati, Marathi and Punjabi.

Citizen Charter

BIS Citizen Charter, approved by Department of Personnel & Training (DOPT), Ministry of Administrative Reforms & Public Grievances, has been implemented. Time norms specified for various activities of BIS in the Charter have been displayed at HQs/ROs/BOs have also been advised for display of time norms specified in the Charter at prominent place. The charter has been hosted on BIS website in bilingual format.

INTERNATIONAL ACTIVITIES

The Bureau continued its activities in the field of International Standardization by way of active participation in the various activities of the International Organization for Standardization (ISO) and International Electrotechnical Commission (IEC). The Bureau also continued its activities in the field of regional and bilateral cooperation with other countries. The details of the some activities in the area of International Co-operation are highlighted below:

International Organization for Standardization (ISO)

During the year, BIS participated actively in ISO Policy meetings and the ISO Committee meetings on Developing Country matters. Participation in ISO Committees/ Subcommittees where India is a 'P'member and where India holds secretariat responsibilities was continued.

Global Directory is the large scale database of individuals participating in ISO/TC/SC work, this data was earlier maintained by TC/SC Secretariats, but by the introduction

- भा मा ब्यूरो के एक अधिकारी ने जुलाई 2005 में बैंकाक में प्रशांत महासागर प्रत्यायन सहयोग की वार्षिक बैठक में भाग लिया।
- भा मा ब्यूरो के एक प्रतिनिधि ने सितम्बर 2005 में श्रीलंका में डब्ल्यूटीओ डेस्क अधिकारी के रूप में व्यापक आर्थिक सहयोग और सहभागिता करार (सीईसीपीए) के अंतर्गत बैठक में भाग लिया।
- संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जनवरी 2006 में स्टाकहोम में आयोजित डब्ल्यूजी/एसआर/सीएजी की बैठक में हिस्सा लिया।
- भा मा ब्यूरो के एक प्रतिनिधि ने जनवरी-फरवरी 2006 के दौरान मॉरीशस में हुई व्यापक आर्थिक सहयोग और सहभागिता करार (सीईसीपीए) की कार्यशाला में भाग लिया।
- भा मा ब्यूरो के एक प्रतिनिधि 27 मार्च 2006 को वाणिज्य सचिव के स्तर पर भारत - पाकिस्तान संयुक्त अध्ययन दल (जेएसजी) की बैठक में और मार्च, 2006 में आर्थिक एवं वाणिज्यिक मुद्दों पर संयुक्त संवादवार्ता में हिस्सा लिया।
- भा मा ब्यूरो के प्रतिनिधि ने उपभोक्ता मामले मंत्रालय के शिष्टमंडल के एक भाग के रूप में भारत सरकार और सिंगापुर के बीच सीईसीए के कार्यान्वियन के संबंध में विचार-विमर्श की बैठक में भाग लिया।
- भा मा ब्यूरो के प्रतिनिधि ने फरवरी 2006 में जेनेवा में डिजिटल प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला में भाग लिया।
- भा मा ब्यूरो के एक प्रतिनिधि ने मार्च 2006 में पेरिस, फ्रांस में कन्ज्यूमर इलैक्ट्रोनिका एनर्जी लेबलिंग के लिए अध्ययन दौरे के कार्यक्रम में भाग लिया।
- भा मा ब्यूरो के प्रतिनिधि ने इबसा (भारत), ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका के व्यापार संबंधी कार्यसमूह की तीसरी बैठक में भाग लिया जो रियो डि जेनेरो, ब्राज़ील में हुई।
- इनके अतिरिक्त, भा मा ब्यूरो के अधिकारियों और/अथवा विशेषज्ञों वाले भा मा ब्यूरो शिष्टमंडलों ने महत्वपूर्ण आईएसओ तकनीकी समिति बैठकों में भाग लिया जैसे कि आईएसओ/टीसी 17 (इस्पात), आईएसओ/टीसी 58 (गैस सिलिंडर), आईएसओ/टीसी 69 (सांख्यिकीय पद्धतियों का अनुप्रयोग), टीसी 157 (यांत्रिक गर्भ निरोधक), आईएसओ/टीसी 176 (गुणता प्रबंध और गुणता आश्वासन), आईएसओ/टीसी 207 (पर्यावरणीय प्रबंध), आईएसओ/टीसी 217 (प्रसाधन-सामग्री) इत्यादि।

क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रम

भा मा ब्यूरो ने मानक और अनुरूपता आकलन से जुड़े क्षेत्रों में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) और बंगलादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैण्ड आर्थिक सहयोग (बीआईएमएसटी-ईसी) जैसे क्षेत्रीय सहयोग के कार्यक्रमों में अनुवर्ती कार्रवाई करना जारी रखा है।

सार्क के अंतर्गत सबसे कम विकसित देशों द्वारा निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए 4 अक्तूबर, 2005 को नई दिल्ली में तकनीकी विशेषज्ञों की एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का आयोजन दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार (साफ्टा) की सुचारू रूप से कार्यान्वियन को सुसाध्य बनाने के लिए किया गया था। सार्क देशों, भारत सरकार के मंत्रालयों और आयात एवं निर्यात से जुड़े भारत के विनियामक निकाय से आए तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लेने वालों को सम्बोधित किया। सार्क के साथ टैरिफ-भिन्न बाधाओं को हटाने की एक कार्य-योजना का भी प्रस्ताव किया गया।

- A BIS representative attended the meeting under Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA) as WTO Desk Officer in September 2005 at Sri Lanka.
- Joint Secretary, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution attended the meeting of WG/SR/CAG in Stockholm in January 2006.
- BIS representative attended the workshop on Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA) in Jan-Feb 2006 at Mauritius.
- A BIS representative attended the India Pakistan Joint Study Group (JSG) at Commerce Secretary level meeting on 27th March 2006 and composite dialogue talks on Economic and Commercial in March 2006.
- A BIS representative participated in the meeting for discussion on implementation of CECPA between Government of India and Singapore as a part of delegation of Ministry of Consumer Affairs.
- A BIS representative attended the Workshop on Digital Technologies, in February 2006 at Geneva.
- A BIS representative attended the programme on Study tour for Consumer Electronica Energy Labeling in March 2006 at Paris, France.
- A BIS representative attended the 3rd meeting of the Working Group on Trade of IBSA (India) Brazil, and South Africa to be held at Rio De Janeiro, Brazil.
- Besides these, BIS delegations comprising BIS officers and/or experts attended important ISO Technical Committee meetings such as ISO/TC 17 (Steel), ISO/TC 58 (Gas Cylinders), ISO/TC 69 (Application of Statistical Methods) TC 157 (Mechanical Contraceptives), ISO/TC 176 (Quality Management and Quality Assurance), ISO/TC 207 (Environmental Management), ISO/TC 217 (Cosmetics), etc.

Regional Co-operation Programme

BIS continued to take follow up actions on Regional Cooperation Programmes such as South Asia Association for Regional Co-operation (SAARC) and Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand Economic Cooperation (BIMST-EC) in the areas related to Standards and Conformity Assessment.

A Workshop of Technical Experts to promote export by Least Developed Countries under SAARC was held on 4th October 2005 at New Delhi. The workshop was organized to facilitate smooth implementation of South Asia Free Trade Agreement (SAFTA). The technical experts from the SAARC countries, the ministries of Government of India and the regulatory body of India dealing with imports and exports addressed the participants. An action plan of elimination of Non-tariff barriers within SAARC was also proposed.

ईयू और पीएएससी (प्रशांत एशिया मानक कांग्रेस) के साथ समन्वय का कार्य जारी रखा गया।

द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम

भा मा ब्यूरो ने मानकीकरण, प्रमाणन, परीक्षण, तकनीकी सूचना के आदान-प्रदान, प्रकाशनों की बिक्री तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में अक्तूबर 2005 में मॉरीशस स्टैण्डर्ड बॉडी (एमएसबी) के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भा मा ब्यूरो ने यूक्रेन के माननीय राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान 2 जून 2005 को तकनीकी विनियमन एवं उपभोक्ता नीति के संबंध में यूक्रेन राज्य समिति के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भा मा ब्यूरो ने वाणिज्य मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर श्रीलंका, सिंगापुर, चीन, संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी, वेनेजुएला, अफ़गानिस्तान, मालद्वीप, ईरान, कोरिया और थाईलैण्ड जैसे देशों के साथ घनिष्ठ द्विपक्षीय सहयोग की दिशा में कार्य करना जारी रखा।

विदेशी प्रतिनिधियों की यात्राएँ

वर्ष के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय मानक निकायों, अन्य राष्ट्रीय मानक निकायों तथा संबंधित संगठनों के अधिकारियों ने भा मा ब्यूरो का दौरा किया जिसकी विशिष्टिता निम्नलिखित हैः

- श्रीमती एस वेरागोडा, उप महानिदेशक श्रीलंकन स्टैण्डर्ड्स इन्स्टीट्यूशन, श्रीलंका ने जून 2005, में भा मा ब्यूरो का दौरा किया और भा मा ब्यूरो तथा एसएलएसआई, श्रीलंका के बीच प्रस्तावित एमआरए से संबंधित विचार-विमर्श किया।
- यूनिडो परामर्शदाता श्री पीटर बॉनर ने सार्क क्षेत्र में मानकों के सामंजस्य से संबंधित यूनिडो परियोजना के संबंध में जुलाई 2005 में भा मा ब्यूरो का दौरा किया।
- 5-5 सदस्यों वाले दो नेपाली शिष्टमंडलों ने मानकीकरण और प्रमाणन के अनुकूलन कार्यक्रमों के लिए भा मा ब्यूरो का दौरा किया।
- मानकीकरण की गतिविधियों के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए पीटीबी जर्मनी से आए दो-सदस्यीय शिष्टमंडल ने सितम्बर 2005 में भा मा ब्यूरो का दौरा किया।
- ट्रिनिडाड और टोबैगो के ब्यूरो ऑफ स्टैण्डर्ड्स के एक शिष्टमंडल ने भा मा ब्यूरो के कार्यकरण को समझने के लिए सितम्बर 2005 में भा मा ब्यूरो का दौरा किया।
- पाकिस्तान स्टैण्डर्ड्स एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल अथॉरिटी के महानिदेशक ने अक्तूबर 2005 में भा मा ब्यूरो का दौरा किया तथा प्रमाणन एवं मानकीकरण के विषय पर विचार-विमर्श किया।
- डीआईएन जर्मनी से एक शिष्टमंडल ने अक्तूबर, 2005 में भा मा ब्यूरो का दौरा किया और मानकीकरण, प्रमाणन और प्रशिक्षण क्रियाकलापों के क्षेत्र में संभावित सहयोग के बारे में विचार-विमर्श किया।
- आयरलैण्ड के एक शिष्टमंडल ने अक्तूबर, 2005 में भा मा ब्यूरो का दौरा किया और खाद्य-उत्पादों से संबंधित भारतीय मानकों एवं मौजूदा कानूनों के बारे में विचार-विमर्श किया।

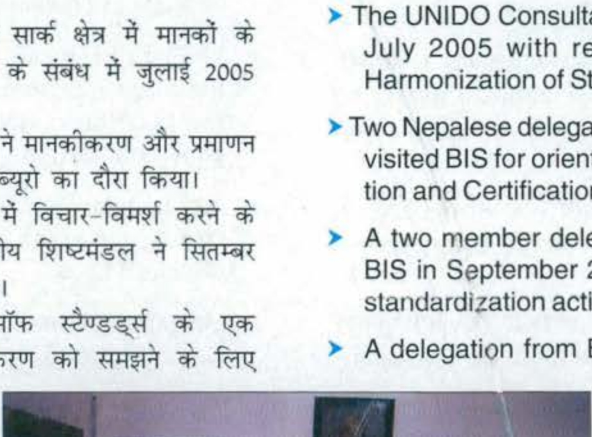

Coordination work with European Union and PASC (Pacific Asia Standards Congress) was continued.

Bilateral Co-operation Programmes

BIS signed an MOU with the Mauritius Standard Body (MSB) in October 2005 in the field of Standardization, certification, testing, exchange of technical information, sale of publications and training.

BIS also signed an MOU with State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy on 2nd June 2005 during the visit of the Hon'ble President of Ukraine.

BIS continued to work towards closer bilateral co-operation with countries such as Sri Lanka, Singapore, China, USA, Germany, Venezuela, Afghanistan, Maldives, Iran, Korea and Thailand in close association with Ministry of Commerce and Ministry of External Affairs.

Visits of Foreign Delegates

During the year, various officials from International Standards Bodies, other National Standards Bodies and related organizations visited BIS as highlighted below:

- Mrs. S Weragoda, DDG Sri Lankan Standards Institution (SLSI), Sri Lanka visited BIS in June 2005 and had discussions regarding the proposed Mutual Recognition Agreement between BIS and SLSI, Sri Lanka.
- The UNIDO Consultant Mr. Peter Bonner, visited BIS in July 2005 with regard to the UNIDO Project on Harmonization of Standards in SAARC Region.
- Two Nepalese delegations consisting of 5 members each, visited BIS for orientation programmes on Standardization and Certification.
- A two member delegation from PTB Germany visited BIS in September 2005 to have discussion regarding standardization activities.
- A delegation from Bureau of Standards, Trinidad and Tobago visited BIS in September 2005 to understand the working of BIS.
- Director General, Pakistan Standards and Quality Control Authority visited BIS in October 2005 and held discussion on certification and standardization.
- A delegation from DIN Germany visited BIS in October 2005 and had discussion regarding possible co-operation in the field of standardization, certification and training activities.
- A delegation from Ireland visited in October 2005 and had discussion with regard to the Indian Standards and the existing laws with respect to the food products.

- आईईसी प्रतिनिधि श्री जोनाथन बक ने नवम्बर 2005 में दौरा किया तथा आईईसी प्रकाशनों के लिए भा मा ब्यूरो तथा आईईसी के बीच लाइसेंस करार के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया।
- सुश्री हॉली विनयार्ड, उप सहायक सचिव, दक्षिण एशिया के नेतृत्व में तीन सदस्यीय अमेरिकी शिष्टमंडल ने नवम्बर, 2005 में दौरा किया और संयुक्त राज्य अमरीका तथा भारत के बीच परस्पर सहयोग के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
- एक भूटानी शिष्टमंडल ने तकनीकी सूचना सेवा एवं पुस्तकालय से संबंधित सूचना के बारे में दिसम्बर, 2005 में भा मा ब्यूरो का दौरा किया।
- भा मा ब्यूरो और ब्रिटिश स्टैण्डर्ड्स इन्स्टीट्यूशन (बीएसआई) के बीच परस्पर सहयोग के विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए ब्रिटिश स्टैण्डर्ड इंस्टीट्यशन के एक शिष्टमंडल ने जनवरी 2006 में भा मा ब्यूरो का दौरा किया।
- एफटीएसए कमीशन, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शिष्टमंडल ने जनवरी 2006 में दौरा किया और उपभोक्ता संरक्षण कार्यकलापों के संबंध में विचार-विमर्श किया।
- एएसटीएम के अध्यक्ष श्री जिम थॉमस और उपाध्यक्ष श्रीमती किटी कोनो ने भा मा ब्यूरो तथा एएसटीएम के बीच प्रस्तावित समझौता-ज्ञापन पर चर्चा करने के लिए जनवरी, 2006 में भा मा ब्यूरो का दौरा किया।
- मार्च, 2006 में थाईलैण्ड के उप प्रधानमंत्री की प्रस्ताविक यात्रा के अग्रगामी के तौर पर थाईलैण्ड के एक शिष्टमंडल ने जनवरी, 2006 में भा मा ब्यूरो का दौरा किया।
- श्री फ्लुरी, निदेशक विपणन एवं विक्रय, आईएसओ ने फरवरी, 2006 में भा मा ब्यूरो का दौरा किया और आईएसओ प्रकाशन की बिक्री, आईएसओ मानकों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने तथा कॉपीराइट मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।
- आईएसआईआरआई, ईरान के एक शिष्टमंडल ने फरवरी, 2006 में दौरा किया और मानकीकरण के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के संबंध में विचार-विमर्श किया।
- पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के श्री मुहम्मद सुलाइमान ने 1 मार्च, 2006 को भा मा ब्यूरो का दौरा किया।

कम्प्यूटरीकरण और कार्यालय यंत्रीकरण

आज सूचना प्रौद्योगिकी प्रत्येक संगठन में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए, भा मा ब्यूरो अपनी विभिन्न गतिविधियों में कम्प्यूटर आधारित पद्धतियों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में लगा है ताकि इसके संसाधनों की बिना किसी बाधा के प्रबंध-व्यवस्था की जा सके।

कम्प्यूटरीकरण परियोजना

एनआईसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अन्तर्गत, अपेक्षित हार्डवेयर और साफ्टवेयर संस्थापित कर दिए गए है, सभी कार्यालयों को नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है और प्रमाणन चिह्न योजना चलाने के लिए साफ्टवेयर विकसित किया जा [illegible] है तथा सभी संबंधित कर्मचारियों को कम्प्यूटरीकृत पद्धति के [illegible] प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

- The IEC delegate Mr. Jonathan Buck visited in November 2005 and held extensive discussion regarding the licence agreement between BIS and IEC for the IEC publications.
- A three member US delegation led by Ms. Holly Vineyard, Deputy Assistant Secretary, South Asia visited in November 2005 to discuss issues of mutual co-operation between US and India.
- A Bhutanese Delegation visited BIS in December 2005 with regard to the information on Technical Information Services and Library.
- A British Standards Institution (BSI) delegation visited BIS in January 2006 to discuss the mutual co-operation between BIS and BSI.
- A delegation of FTSA Commission, USA visited in January 2006 and had discussion regarding consumer protection activities.
- Mr. Jim Thomas, President and Mrs. Kitty Kono, Vice President of ASTM visited in January 2006 to have discussion regarding the proposed MU between BIS and ASTM.
- A delegation from Thailand visited BIS in January 2006 as a precursor to the proposed visit of the Deputy Prime Minister in Thailand in March 2006.
- Mr Fleury, Director, Marketing and Sales, ISO visited in February 2006 and had detailed discussions on Sale of ISO publication, National Adoption of ISO Standards and copy right issues.
- A delegation from ISIRI, Iran visited in February 2006 to discuss the areas of mutual co-operation in the field of Standardization.
- Mr. Muhammmad Sulaiman of Pakistan Chamber of Commerce and Industry visited BIS on 1 March 2006.

COMPUTERIZATION AND OFFICE AUTOMATION

Information technology has today taken the front seat in every organization. Keeping pace, BIS is in the process of implementing computerized based systems across its various activities to seamlessly manage its resources.

Computerization Project

Under the computerization project being implemented by NIC, the required hardware and software have been installed, all offices connected through network and software developed for operating Certification Marks Scheme, and all concerned employees trained on use of the computerized system.

चूंकि हार्डवेयर संबधी कार्य मोटे तौर पर पूरा हो चुका है, इसलिए शेष दो महत्वपूर्ण कार्यकलापों (मानक निर्धारण और प्रयोगशाला सेवाएँ) जिसमें से मानक निर्माण साफ्टवेयर पूर्णता के चरण पर है, के लिए कम्प्यूटरीकरण/अनुप्रयोग साफ्टवेयर को अधिकाधिक महत्व दिया जा रहा है।

कागज् के प्रयोग को समाप्त करने का मिशन

कागज्-रहित कार्यकरण को अपनाने के मुख्य निर्णय के अनुसरण में, अधिकतर दस्तावेज् (गोपनीयता और वित्तीय अनुमोदनों की अपेक्षा वाले दस्तावेज़ों को छोड़कर) ई-मेल पर भेजे जा रहे हैं। ज्ञान समृद्ध बाँटे जाने योग्य संसाधन के रूप में शुरू की गई इन्ट्रानेट साइट (इन्ट्रा भा मा ब्यूरो) दैनिक आधार पर भा मा ब्यूरो के सभी कार्यालयों द्वारा इस्तेमाल की जा रही है।

इन्ट्रानेट (इन्ट्रा भा मा ब्यूरो)

दैनिक आधार पर सूचना की वृद्धि करके इन्ट्रानेट आकार और जानकारी में निरंतर बढ़ रहा है। महत्वपूर्ण संस्था के अंतर्गत सूचना जैसे कि कार्यालय परिपत्र, एसटीआई, संशोधन, मैनुअल/मार्गदर्शी सिद्धांत, फार्म, परीक्षण प्रभार, परीक्षण सुविधाएँ इत्यादि जिनमें ऑन-लाइन अद्यतन करने की विशेषताएँ हैं। जिन्हें शीघ्र प्रचार-प्रसार एवं नियमित संदर्भों के लिए इन्ट्रा भा मा ब्यूरो पर दिखाया गया है। भा मा ब्यूरो इन्ट्रानेट पर भा मा ब्यूरो परिचर्चा-मंच भी है ताकि कर्मचारियों को भा मा ब्यूरो में अधिक महत्व के विभिन्न विषयों पर अपने विचार तथा टिप्पणियाँ व्यक्त करने का अवसर मिल सके।

भा मा ब्यूरो वेबसाइट

वेबसाइट की विषय-सामग्री को मौजूदा सूचना में वृद्धि करके/उसे अद्यतन करके समृद्ध बनाया गया है। प्रमाणन-प्राप्त विदेशी विनिर्माताओं/लाइसेंसधारकों की सूची भा मा ब्यूरो वेबसाइट पर अब उपलब्ध है। सोने और चाँदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग की योजना को लोकप्रिय बनाने का एक अलग खण्ड शामिल किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वेबसाइट पर बहुत सी सूचना प्रस्तुत की गई है।

परियोजना प्रबंध

परियोजना प्रबंध तथा निर्माण विभाग निम्नलिखित विषयों पर कार्रवाई करता है:

क) भा मा ब्यूरो की नई इमारतों के निर्माण सहित सभी इंजीनियरी परियोजना संबंधी निर्माण कार्यों से जुड़े काम करना।

ख) कोई परियोजना/निर्माण कार्य शुरू करने के लिए तथा वित्त समिति तथा कार्यनीति समिति की बैठकों में विचारार्थ कार्यसूची मुद्दों की तैयारी हेतु प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार करना।

ग) प्रस्तावित परियोजना/निर्माण कार्य करने के लिए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य के लिए उपयुक्त परामर्शदाता/ठेकेदार को नियुक्त करना।

Since the hardware part is largely in place, more and more impetus is being given to the computerization/ application software for remaining two core activities (standards formulation and laboratory services), out of which the standards formulation software is in final stages of completion.

Mission Paperless

In pursuance of a major decision to move towards paperless working, most of the documents (except those requiring confidentiality and financial approvals) are being transacted over e-mail. The intranet site (IntraBIS), started as a knowledge rich sharable resource, is being used on day-to-day basis by all offices of BIS.

Intranet (IntraBIS)

The intranet is growing in size and knowledge by addition of information on day-to-day basis. Important in-house information such as office circulars, STIs, amendments, manuals/guidelines, forms, testing charges, testing facilities with on-line updation feature, etc are hosted on IntraBIS for faster dissemination and regular reference. BIS Discussion forum has been hosted on BIS Intranet to provide opportunity to employees to give their views and comments on various topics of wider importance in BIS.

BIS Website

The content of website has been made rich by addition/ updation of existing information. List of certified foreign manufacturers/licensees are now available on BIS website. A separate section for popularizing the Scheme of Hallmarking Gold and Silver Jewellery has been incorporated. A lot of information has been published on the web site under Right to Information Act 2005.

PROJECT MANAGEMENT

The Project Management and Works Department works with the following scope:

a) To deal with all engineering projects related works including construction of new buildings of BIS.

b) To prepare a proposal for obtaining administrative approval and financial sanction to initiate a project/work including preparation of agenda items for consideration in meetings of Finance Committee and Executive Committee.

c) To appoint suitable consultant/contractor for the proposed project/work and any other task assigned by the competent authority.

घ) सभी परियोजनाओं तथा सिविल, वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी स्वरूप के निर्माण कार्यो, जिनमें परामर्शदाताओं/ठेकेदारों को भुगतान करना, समन्वयन और अन्य संबंधित पहलू भी शामिल है, में निष्पादन की गतिविधियों की देख-रेख करना।

ङ·) क्षेत्रीय कार्यालयों/केन्द्रीय प्रयोगशाला/प्रशिक्षण संस्थान/मुख्यालय से प्राप्त सिविल, वैद्युत और यांत्रिक तथा बागवानी कार्य के तिमाही विवरण का संकलन तथा उसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षण को आगे प्रस्तुत करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजना।

इस समय, परियोजना प्रबंध और निर्माण विभाग निम्नलिखित परियोजनाओं का कार्य देख रहा है:

जयपुर कार्यालय की इमारत का निर्माण

ब्यूरो की जयपुर शाखा का कार्यालय (जेबीओ) वर्ष 1978 में स्थापित किया गया और एक छोटे से स्थान में साधारण तरीके से काम शुरू किया गया। पिछले वर्षों में जे बी ओ का काम कई गुना बढ़ गया है। इस समय जेबीओ लगभग 6 500 वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्र पर किराए की इमारत में कार्य कर रहा है। जेबीओ के लिए स्थान प्राप्त करने के लिए बजट का आबंटन करने हेतु जेबीओ द्वारा मुख्यालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और 1999-2000 के बजट में इस प्रयोजनार्थ 2 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था। 20 सितम्बर 2000 को भा मा ब्यूरो के जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सरकार के सचिवालय के निकट "सी स्कीम" में पृथ्वी राज रोड पर 2 297.63 वर्ग मीटर भूमि का एक प्लॉट आबंटित किया गया था।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से पेशकश निमंत्रित करने की विधिवत् प्रक्रिया के बाद, नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी), नई दिल्ली को इस परियोजना के लिए परियोजना प्रबंध परामर्शदाता नियुक्त किया गया। परियोजना की निगरानी के लिए गठित सलाहकार समिति ने जेबीओ की आवश्यकता पर विचार किया और अगले दस वर्षों के लिए कार्यालय की बर्हिवेशन शक्ति के आधार पर 1 200 वर्ग मीटर क्षेत्र के कार्यालय स्थान के उपयोग की सिफारिश की।

एनबीसीसी ने निविदा की प्रक्रिया के बाद दिसम्बर 2003 में इमारत के निर्माण कार्य को सौंपा। निर्माण कार्य अप्रैल 2004 में शुरू हुआ और जून 2005 में पूरा हुआ। इसके बाद, जनवरी 2006 में आंतरिक सज्जा का काम शुरू हुआ और वह भी पूरा हो चुका है। जेवीवीएनएल, जयपुर से बिजली का कनेक्शन लेने के बाद, जिसकी प्रक्रिया चल रही है, एनबीसीसी से इमारत ले ली जाएगी।

भा मा ब्यूरो मुख्यालय, मानक भवन के लिए नए केन्द्रीय वातानुकूलन संयत्र का आधुनिकीकरण एवं संस्थापन

ईसी, वित्तीय समिति और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन लेने के पश्चात्, एनबीसीसी को पीएमसी के रूप में नियुक्त किया गया है। पुराने

d) To supervise the execution activity in all the projects and works of civil, electrical and mechanical engineering nature including payments to consultants/contractors, coordination and other related aspects.

e) Compilation of quarterly statement of civil, electrical and mechanical and horticultural work received from Regional Offices/Central Laboratory/Training Institute/HQs. and sending the same to Chief Vigilance Officer for onwards submission to Chief Technical Examiner of Central Vigilance Commission.

At present, Project Management and Works Department is looking after the following projects:

Construction of Jaipur Office Building

The Jaipur Branch Office(JBO) of the Bureau was set up during 1978 and started functioning in a small accommodation in a humble way. The work of the JBO expanded manifolds over the years. Presently, JBO is functioning from a rented accommodation on a built up area of approx 6 500 square feets. A proposal was submitted by JBO to HQs for allocation of budget for acquiring an accommodation for JBO and a provision of Rs 2 crores was made for this purpose in the Budget during 1999-2000. A plot of land measuring 2 297.63 m^2 on Prithvi Raj Road in C Scheme near Secretariat of the Government was allotted to BIS by Jaipur Development Authority on 20 September 2000.

After due process of inviting offers from Public Sector Undertakings, National Building Construction Corporation (NBCC), New Delhi were appointed as the Project Management Consultants for the project. An Advisory Committee, set up to monitor the project considered the requirement of JBO and recommended an area of 1 200 m^2 for use as office space based on the extrapolated strength of the office for the next 10 years.

NBCC after their tendering process, awarded the construction work of building in December 2003. The construction started in April 2004 and was completed in June 2005. Subsequently, the work of Interior started in January 2006 has also been completed. The building would be taken over from NBCC after getting electrical connection from JVVNL, Jaipur which is under process.

Modernization and Installation of New Central AC Plant for Manak Bhavan at BIS HQs

After taking necessary approval from EC, Financial Committee and competent authority, NBCC was appointed

केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्र को हटाने का काम (सभी मंज़िलों पर अनुप्रस्थ डक्ट-पद्धति को छोड़कर) पहले ही पूरा हो चुका है। नए केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्र की संस्थापना का कार्य अक्टूबर 2004 में एनबीसीसी द्वारा सौंपा गया था और अभी कार्य जारी है। मानक भवन के आधुनिकीकरण, आन्तरिक वायरिंग को बदलने और अग्नि-बचाव, फाल्स सीलिंग तथा इमारत को रंगने को लेकर योजना बनाई जा चुकी है जिसके लिए एनबीसीसी ने कार्य को सौंपने के लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

मानकालय के लिए नए केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्र की संस्थापना

उपर्युक्त कार्य को शुरू करने के लिए लिमिटेड पीएसयू से मुहरबन्द पेशकश निमंत्रित करने के बाद सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। भा मा ब्यूरो इस कार्य के लिए लिमिटेड पीएसयू से निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया में लगा है।

मानव संसाधन विकास

दिनांक 31 मार्च 2006 को कुल 1 825 व्यक्ति भा मा ब्यूरो में कार्यरत थे। वर्ष 2005-06 के दौरान भा मा ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों में कार्मिकों की तैनाती नीचे दी गई है:

गतिविधि	31 मार्च 2006 को कार्मिकों की तैनाती
कारपोरेट	45
मानक निर्माण	188
प्रमाणन	920
प्रयोगशालाएँ	297
तकनीकी सहायता सेवाएँ	151
प्रशासन और वित्त	224
कुल	**1 825**

दिनांक 31 मार्च, 2006 के अनुसार समूहवार संख्या इस प्रकार है:

समूह	अनुसूचित जाति/अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों/शारीरिक नि:शक्तों का आरक्षण	कुल
ए	84	450
बी	109	561
सी	110	464
डी	154	350

कर्मचारी कल्याण

भा मा ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों के लिए ग्रुप इन्श्योरेंस योजना और हॉली डे होम जैसे कल्याण की सुविधाएँ जारी रखी हैं। इस वर्ष शिमला और ऊटी में स्थित भा मा ब्यूरो हॉली डे होम के संबंध में पट्टा अनुबंध अगले एक और वर्ष के लिए नवीकृत कर दिया गया है।

भा मा ब्यूरो कार्मिकों का प्रशिक्षण

मानव संसाधन विकास के लिए भा मा ब्यूरो ने अपने प्रयास जारी रखे है। मानव संसाधन के विकास के एक भाग के रूप में भा मा ब्यूरो के कार्मिक एनआईटीएस के आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और उन्हें विभिन्न अभिकरणों (भारत में) द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों भी नामित में किया जा रहा है।

as PMC. The work of dismantling of old central AC Plant (except horizontal ducting of all floors) has already been completed. The installation of new central AC plant has been awarded by NBCC in October 2004 and is underway. Regarding modernization of Manak Bhavan, replacement of internal wiring including fire protection, false ceiling and painting of building has been planned, for which NBCC has completed their tendering process for award of work.

Installation of New Central AC Plant for Manakalaya

The approval of competent authority has since been obtained for undertaking the above work after inviting sealed offers from limited PSUs. BIS is in the process of inviting tenders from limited PSUs for this work.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

As on 31 March 2006, a total of 1 825 persons were on roll in BIS. The deployment of personnel in the various activities of BIS during 2005-06 is given below :

Activity	Deployment of Personnel as on 31 March 2006
Corporate	45
Standards Formulation	188
Certification	920
Laboratories	297
Technical Support Services	151
Administration and Finance	224
Total	**1 825**

As on 31 March 2006, the Groupwise strength is as under:

Group	SC/ST/OBC/PH Representation	Total
A	84	450
B	109	561
C	110	464
D	154	350

Staff Welfare

Welfare measures adopted by BIS for its employees such as Group Insurance Scheme and facility of Holiday Homes were continued. This year, lease agreement in respect of BIS Holiday Home at Shimla and Ooty were renewed.

Training of BIS Personnel

BIS continued to make its efforts on development of human resource. As a part of the development of human resource, BIS personnel are imparted training through in-house training programmes at NITS and also by deputing them to the training programmes being organized by various agencies (within India).

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च 2006 का पक्का चिट्ठा

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2006

	अनुसूची SCHEDULE		31.3.2006 को स्थिति As on 31.3.2006 (रुपये/Rupees)		31.3.2005 को स्थिति As on 31.3.2005 (रुपये/Rupees)
निधियों के स्रोत SOURCES OF FUNDS					
पूँजी निधि Capital Fund	एन N		618556612		613635315
रिजर्व और निधियाँ Reserves & Funds	ओ O		3725018450		3155691444
ऋण Loans	पी P		–		4000000
	योग TOTAL		4343575062		3773326759
निधियों का उपयोग APPLICATION OF FUNDS					
अचल परिसम्पत्तियाँ Fixed Assets	क्यू Q		279781768		270296036
निवेश Investments	आर R		3537015483		2989193705
कार्यकारी पूँजी WORKING CAPITAL					
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम Current Assets, Loans & Advances	एस S	580932991		572807500	
नामे : चालू देयता *Less* : Current Liabilites	टी T	54155180	526777811	58970482	513837018
	कुल योग TOTAL		**4343575062**		**3773326759**

लेखा संबंधी नीतियाँ/लेखा पर टिप्पणियाँ परिशिष्ट-I

Accounting Policies/Notes on Accounts Appendix-I.

निवेश का विवरण परिशिष्ट-II

Details of Investments Appendix-II.

ऊपर दी गई अनुसूचियाँ लेखे का भाग हैं।

The Schedules referred to above form part of Accounts.

हस्ता./Sd/-	हस्ता./Sd/-	हस्ता./Sd/-	हस्ता./Sd/-
(स्वयं प्रकाश शर्मा)	(यश पाल सिंह)	(एस.के.दत्ता)	(एच.आर.आहुजा)
(Svayam Prakash Sharma)	**(Yash Pal Singh)**	**(S.K. Datta)**	**(H.R. Ahuja)**
महानिदेशक	अपर महानिदेशक	निदेशक (लेखा)	निदेशक (वित्त)
Director General	Addl.Director General	Director (Accounts)	Director (Finance)

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2006

		अनुसूची SCHEDULE	वर्तमान वर्ष CURRENT YEAR 2005-2006 (रुपये / Rupees)	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 2004-2005 (रुपये / Rupees)
I.	**आय INCOME**			
1.	उत्पाद प्रमाणन शुल्क Product Certification Fees		1056269152	984729194
2.	स्वर्ण हॉल मार्किंग प्रमाणन Gold Hallmarking Certification		34838055	28154330
3.	पद्धति प्रमाणन शुल्क System Certification Fee		31242211	27564614
4.	मानकों की बिक्री Sales of Standards	ए A	65922603	55935506
5.	अन्य आय Other Income	बी B	31706003	26845930
6.	निवेश पर अर्जित ब्याज Interest Earned on Investments		176782371	152009794
7.	सरकारी अनुदान (राजस्व) Govt. Grant (Revenue)		0	0
	योग TOTAL		**1396760395**	**1275239368**
II.	**व्यय EXPENDITURE**			
1.	व्यय और भत्ते Pay and Allowances	सी C	408702222	392344521
2.	सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ Retirement Benefits	डी D	58862580	104825133
3.	कर्मचारियों के लाभ Other Staff Benefits	ई E	32633778	27195198
4.	यात्रा व्यय Travelling Expenses	एफ F	40587072	31920818
5.	अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदे Subscription to International Organizations	जी G	14355613	15573419
6.	उत्पादन Production	एच H	6504459	5608847
7.	परीक्षण Testing	आई I	53563206	53124293
8.	प्रचार Publicity	जे J	18265267	27750724
9.	कार्यालय व्यय Office Expenses	के K	72374365	66076070
10.	मरम्मत और रख-रखाव Repairs & Maintenance	एल L	30190638	23856065
11.	अन्य व्यय Other Expenses	एम M	31238901	25287895
12.	मूल्य ह्रास Depreciation	क्यू Q	55281442	87858374
	योग TOTAL		**822559543**	**861421357**
III.	**अधिशेष SURPLUS**		**574200852**	**413818011**
IV.	**पेंशनदेयता खाते के प्रावधान में अधिशेष अंतरित Surplus Transferred to Provision for Pension Liability Account**		**574200852**	**413818011**
V.	**कुल अधिशेष Net Surplus**		–	–

अनुसूची एच-उत्पादन SCHEDULE H — PRODUCTION

[राशि रुपयों में Amount in Rupees]

		चालू वर्ष CURRENT YEAR 2005-2006	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 2004-2005
1.	मानक Standards	4375689	2986335
2.	बुलेटिन Bulletin	708223	1256617
3.	अन्य प्रकाशन Other Publications	1420547	1365895
	योग TOTAL	6504459	5608847

अनुसूची आई-परीक्षण SCHEDULE I — TESTING

1.	परीक्षण शुल्क Testing Fees	43432926	45162032
2.	प्रयोगशाला में उपभोज्य सामान और प्रयोगशाला उपकरणों की मरम्मत और रख-रखाव Laboratory Consumables and Repair & Maintenance of Lab Equipment	6881434	5863063
3.	बाजार से खरीदे गए नमूने Market Samples	3248846	2099198
	योग TOTAL	53563206	53124293

अनुसूची जे-प्रचार SCHEDULE J — PUBLICITY

1.	प्रचार Publicity	18265267	27750724

अनुसूची के-कार्यालय व्यय SCHEDULE K — OFFICE EXPENSES

1.	स्टेशनरी Stationery	9488580	9915210
2.	डाक व्यय Postage	6515330	6056392
3.	टेलीफोन और टेलेक्स Telephone and Telex	8964122	8867305
4.	भर्ती Recruitment	4301738	154401
5.	जलपान और मनोरंजन Refreshment and Entertainment	881189	730494
6.	वर्दी Liveries	432035	370447
7.	भाड़ा और ढुलाई Freight and Cartage	2597760	2935440
8.	बीमा और बैंक प्रभार Insurance and Bank Charges	1496900	1476435
9.	विविध Miscellaneous	3686964	3265297
10.	किराया और कर Rent and Taxes	11385900	11695856
11.	बिजली और पानी Electricity and Water	22623847	20608793
	योग TOTAL	72374365	66076070

अनुसूची एल-मरम्मत और रख-रखाव SCHEDULE L — REPAIRS AND MAINTENANCE [राशि रुपयों में Amount in Rupees]

		चालू वर्ष CURRENT YEAR 2005-2006	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 2004-2005
1.	फर्नीचर एवं उपस्कर Furniture and Equipment	2877529	2310174
2.	भवन Building	23145755	17797740
3.	वाहन Vehicles	4167354	3748151
	योग TOTAL	30190638	23856065

अनुसूची एम-अन्य व्यय SCHEDULE M — OTHER EXPENSES

1.	सम्मेलन, परामर्श एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम Conferences, Consultancy and Training Programme	12815281	10439672
2.	इलैक्ट्रॉनिकी आँकड़ा संसाधन Electronic Data Processing	7044000	5031362
3.	पुस्तकालय चंदा और अन्य व्यय Library Subscription and Other Expenses	491162	607698
4.	लेखा परीक्षा शुल्क Audit Fees	1569896	1049450
5.	विधि प्रभार Legal Charges	3210463	2622771
6.	कर्मचारी प्रशिक्षण Staff Training	554683	450975
7.	आवास निर्माण ऋण पर ब्याज/ब्याज पर छूट Interest/Interest Subsidy on House Building Loan	321150	506120
8.	अन्य ऋणों पर ब्याज Interest on Other Loans from :		
	क) केन्द्र सरकार a) Central Government	0	0
	ख) अन्य स्रोत - विश्व बैंक ऋण b) Other Sources—World Bank Loan	19945	77364
9.	डूबा ऋण बट्टे खाते में डाला Bad Debts Written Off	15596	30654
10.	गुणता पद्धति प्रभार Quality System Charges	4216646	3513007
11.	हिन्दी प्रोत्साहन गतिविधियाँ Hindi Promotional Activities	980079	958822
12.	बट्टे खाते से हानि Loss Written Off	0	0
	योग TOTAL	31238901	25287895

अनुसूची ओ–रिजर्व और निधियाँ SCHEDULE O — RESERVES AND FUNDS

[राशि रुपयों में Amount in Rupees]

क्रम सं. Sl No.	विवरण Particulars	अप्रैल 2005 को शेष निधि Fund Balance as on Apr 2005	वर्ष 2005-06 के दौरान प्राप्त अनुदान Grant Received during 2005-06	अन्य प्राप्तियाँ/ विनियोजन/ समायोजन Other Receipts/ Appropriations/ Adjustment	वर्ष 2005-06 के दौरान उपयोग Utilization During the Year 2005-06 पूंजी Capital	राजस्व Revenue	योग Total	31 मार्च 2006 को As on 31 March 2006
3.	उद्दिष्ट निधि **EARMARKED FUNDS**							
क)	विश्व बैंक ऋण प्रतिदान निधि							
a)	World Bank Loan Redemption Fund	4000000	0	0	0	4000000	4000000	0
	उप योग **Sub Total**	**4000000**	**0**	**0**	**0**	**4000000**	**4000000**	**0**
	कुल योग **GRAND TOTAL**	**3155691444**	**6650000**	**760305254**	**921365**	**196706883**	**197628248**	**3725018450**

* कृपया लेखा टिप्पणी संख्या 2.1 को देखें।

* Please refer to Accounting Note No. 2.1.

अनुसूची पी–ऋण SCHEDULE P — LOANS

[राशि रुपयों में Amount in Rupees]

ऋण की प्रकार Nature of Loan	31 मार्च 2005 को स्थिति As on 31 March 2005	वर्ष 2005-06 के दौरान During 2005-06 प्राप्तियाँ Receipts	 भुगतान Repayment	31 मार्च 2006 को शेष Balance on 31 March 2006
i) भारत सरकार से प्राप्त ऋण				
Loans from Govt. of India	0	0	0	0
योग **Total**	0	0	0	0
ii) अन्य स्रोतों से प्राप्त ऋण Loans from other Sources				
विश्व बैंक World Bank आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से Through ICICI Bank	4000000	0	4000000	0
योग **Total**	4000000	0	4000000	0
कुल योग **Grand Total**	**4000000**	**0**	**4000000**	**0**

अनुसूची क्यू-अचल परिसंपत्तियाँ SCHEDULE Q — FIXED ASSETS

क्रम सं. Sl No.	विवरण Description	सकल ब्लाक मूल्य के अनुसार Gross Block at Cost				मूल्यह्रास Depreciation				नेट ब्लाक Net Block	
		31 मार्च 2005 को स्थिति As at 31 March 2005	जमा Addition	घटा बिक्री/बट्टे-खाते Deduction Sale/ Written Off	31 मार्च 2006 को स्थिति As at 31 March 2006	31 मार्च 2005 तक Up to 31 Mar 2005	जमा Addition	घटा बिक्री/बट्टे-खाते Deduction Sale/ Written Off	31 मार्च 2006 तक Up to 31 Mar 2006	31 मार्च 2006 को स्थिति As at 31 Mar 2006	31 मार्च 2005 को स्थिति As at 31 Mar 2005
1.	भवन मुख्यालय (मानक भवन/मानकालय) Building-Headquarters (Manak Bhavan/Mankalaya)	14608101	0	0	14608101	9908065	487190	0	10395255	4212846	4700036
2.	भवन-I चेन्नई Building - I Chennai	1133556	0	0	1133556	838103	27575	0	865678	267878	295453
3.	भवन-II चेन्नई Building - II Chennai	9262130	0	0	9262130	5019016	424311	0	5443327	3818803	4243114
4.	भवन-साहिबाबाद में केन्द्रीय प्रयोगशाला Building - Central Laboratory at Sahibabad	14365960	0	0	14365960	9563698	459483	0	10023181	4342779	4802262
5.	भवन-मुम्बई Building - Mumbai	7574827	99800	0	7674627	3744974	297902	0	4042876	3631751	3829853
6.	भवन-I कोलकता Building - I Kolkata	3112635	0	0	3112635	2238220	68167	0	2306387	806248	874415
7.	भवन-II कोलकता Building - II Kolkata	8698466	1335095	0	10033561	4308287	534624	0	4842911	5190650	4390179
8.	रिहायशी फ्लैट Residential Flats	62296310	0	0	62296310	24266239	1901506	0	26167745	36128565	38030071
9.	प्रयोगशाला उपस्कर, कम्पयूटर और संबंधित उपकरण-योजना निधि Laboratory Equipment, Computers and Associated Equipment — Plan Fund	141743796	0	0	141743796	134450909	914915	0	135365824	6377972	7292887
10.	फर्नीचर और कार्यालय उपस्कर Furniture and Office Equipment	97388079	8102062	909714	104580427	77965306	7811667	842248	84934725	19645702	19422773
11.	वाहन Vehicles	3097450	1015223	831992	3280681	2377193	241794	713122	1905865	1374816	720257
12.	रिप्रोग्राफी और जीरॉक्स उपस्कर Reprographic and Zerox Equipment	653909	0	0	653909	650854	458	0	651312	2597	3055
13.	पुस्तकालय की पुस्तकें Library Books	16937733	2828072	6488	19759317	16937733	2828072	6488	19759317	0	0
14.	मुख्यालय भवन का विस्तार-मानक भवन मे सभागार Ext.of HQ Building—Auditorium in Manak Bhawan	1442902	0	0	1442902	1129462	31749	0	1161211	281691	313440

क्र सं. Sl No.	विवरण Description	सकल ब्लाक मूल्य के अनुसार Gross Block at Cost				मूल्यह्रास Depreciation				नेट ब्लाक Net Block	
		31 मार्च 2005 को स्थिति As at 31 March 2005	जमा Addition	घटा बिक्री/ बट्टे-खाते Deduction Sale/ Written Off	31 मार्च 2006 को स्थिति As at 31 March 2006	31 मार्च 2005 तक Up to 31 Mar 2005	जमा Addition	घटा बिक्री/ बट्टे-खाते Deduction Sale/ Written Off	31 मार्च 2006 तक Up to 31 Mar 2006	31 मार्च 2006 को स्थिति As at 31 Mar 2006	31 मार्च 2005 को स्थिति As at 31 Mar 2005
15.	मुख्यालय भवन का विस्तार-अग्नि शमन परियोजना Ext.of HQ Building—Fire Fighting Project	2801090	0	0	2801090	2326242	55936	0	2382178	418912	474848
16.	विश्व बैंक परियोजना उपस्कर World Bank Project Equipment	25064949	0	0	25064949	17867326	1070713	0	18938039	6126910	7197623
17.	भूमि-जम्मू Land–Jammu	49467	0	0	49467	0	0	0	0	49467	49467
18.	नोएडा में प्रशिक्षण संस्थान-भूमि Training Institute at Noida — Land	47750000	0	0	47750000	0	0	0	0	47750000	47750000
19.	नोएडा बिल्डिंग में प्रशिक्षण संस्थान Training Institute at Noida - Building	63342483	61141	0	63403624	13429236	5018791	0	18448027	44955597	49913247
20.	भवन-भोपाल कार्यालय Building—Bhopal Office	15913621	0	30624	15882997	4922250	1096075	0	6018325	9864672	10991371
21.	प्रयोगशाला उपस्कर - भा मा ब्यूरो निधि Laboratory Equipment—BIS Fund	12390290	3306677	0	15696967	6170975	1836704	0	8007679	7689288	6219315
22.	भूमि-जयपुर Land–Jaipur	15485877	0	0	15485877	0	0	0	0	15485877	15485877
23.	भवन जयपुर (पूंजी-डब्ल्यूआईपी) Building Jaipur (Capital WIP)	10007314	20121392	0	30128706	0	0	0	0	30128706	10007314
24.	भवन फरीदाबाद कार्यालय (परिसज्जा सहित) Building Faridabad Office (including Furnishing)	13388106	0	0	13388106	3315105	1008076	0	4323181	9064925	10073001
25.	अतिरिक्त अग्नि सुरक्षा उपाय Additional Fire Safety Measures	3255717	0	0	3255717	1424376	274701	0	1699077	1556640	1831341
26.	नया केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्र (पूंजी-डब्ल्यूआईपी) New Central AC Plant (Cap.— WIP)	454678	3118890	0	3573568	0	0	0	0	3573568	454678
27.	एनआईटीएस में सीडब्ल्यूएफ से ली गई परिसंपत्तियाँ Assets out of CWF at NITS										
	— Library books पुस्तकालय की पुस्तकें	379507	0	0	379507	379507	0	0	379507	0	0
	— Other Assets अन्य सम्पत्तियाँ	10134836	502712	0	10637548	2638425	1122857	0	3761282	6876266	7496411
28.	मानक भवन बिल्डिंग का आधुनिकीकरण (पूंजी-डब्ल्यूआईपी) Modernization of Manak Bhawan Building (Cap–WIP)	168828	0	0	168828	0	0	0	0	168828	168828
29.	समेकित कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत कम्प्यूटर (एनआईसी) Computer under Integrated Computerization Project (NIC)	52133817	24493071	0	76626888	38868897	27768177	0	66637074	9989814	13264920
	योग TOTAL	655036434	64984135	1778818	718241751	384740398	55281443	1561858	438459983	279781768	270296036

अनुसूची आर-निवेश (लागत पर) SCHEDULE R — INVESTMENTS (AT COST)

[राशि रुपयों में Amount in Rupees]

क्रम सं. Sl No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2005 को स्थिति As on 31 March 2005	जमा Additions	कटौतियाँ (बिक्री/परिपक्वता) Deductions (Sale/Maturity)	31 मार्च 2006 को स्थिति As on 31 March 2006
1.	भा मा ब्यूरो निधि के निवेश (पेंशन देयता खाते के प्रतिनिधि प्रावधान) **Investments of BIS Funds (representing Provision for Pension Liability Account)**	2414508000	2389556179	1880658099	2923406080
2.	कर्मचारी निधियों का निवेश **Investment of Employees Funds**				
	2.1 सामान्य भविष्य निधि G.P. Fund	567985705	103624607	61824115	609786197
	2.2 नई पेंशन योजना निधि New Pension Scheme Fund	0	1619819	496613	1123206
	योग TOTAL (2)	**567985705**	**105244426**	**62320728**	**610909403**
3.	निवेश (अन्य) अल्पावधि की एफ.डी. **Investment (others) in short term FDs**				
	3.1 सिंडीकेट बैंक(एबीओ भवन परियोजना) Syndicate Bank (ABO Building Project)	1300000	0	0	1300000
	3.2 केनेरा बैंक-योजनागत परियोजनाएँ Canara Bank–Plan Projects	1400000	0	0	1400000
	3.3 सिंडीकेट बैंक-उपभोक्ता कल्याण निधि सहायता कोष Syndicate Bank—Consumer Welfare Fund Assistance Account	4000000	0	4000000	0
	योग TOTAL (3)	**6700000**	**0**	**4000000**	**2700000**
	कुल योग GRAND TOTAL	**2989193705**	**2494800605**	**1946978827**	**3537015483**

निवेश के ब्यौरे परिशिष्ट II में दिए गए है।

The details of investment are given in Appendix II.

निधि के निवेश पर टिप्पणियाँ परिशिष्ट I की टिप्पणी सं. 2.3 में दी गई है।

Notes on Investment of Funds are given at Note No. 2.3 of Appendix I.

2.1.2 पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता का निर्धारण : मै. हेविट आऊटसोर्सिंग सर्विसेज इण्डिया लि. को भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों के लिए इसकी पेंशन, उपदान तथा पेंशन के संराशीकृत मूल्य की देयता के निर्धारण के लिए नियुक्त किया गया था। परामर्शदाता बीमांकक ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 15.11.2005 को प्रस्तुत की। उक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत बीमांकन मूल्यांकन रिपोर्ट एफसी के समक्ष 27 जनवरी, 2006 को आयोजित इसकी बैठक में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को एफसी द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा कार्यकारिणी समिति (ईसी) द्वारा 23.3.2006 को आयोजित इसकी 70 वीं बैठक में अनुमोदित कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, पेंशन तथा उपदान राशियों के संबंध में कुल प्रोद्भूत (उपार्जित) देयता 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार 364.22 करोड़ रुपए दी जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

पेंशन तथा उपदान की प्रोद्भूत देयता का बीमांकित मूल्यांकन

(रु. करोड़ में)

1.	सेवारत कर्मचारियों की पेंशन, संराशीकरण के लिए प्रोद्भूत देयता (विगत सेवा के लिए)	132.87 (पेंशन) 48.06 (संराशीकरण)
2.	उपदान के लिए संभूत देयता (विगत सेवा के लिए)	25.01
3.	विद्यमान पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए संभूत देयता	140.38 (पेंशनभोगी) 21.97 (पारिवारिक पेंशनभोगी)
	कुल	**364.22**
घटाएं –	पेंशन देयता खाते के लिए प्रावधान में उपलब्ध निधि	
	31.3.2005 की स्थिति के अनुसार	254.84
	31.3.2006 की स्थिति के अनुसार	306.92
कमी		
	31.3.2005 की स्थिति के अनुसार	109.38
	31.3.2006 की स्थिति के अनुसार	57.30
4(क)	सेवारत कर्मचारियों की भावी सेवा पेंशन देयता का बीमांकित मूल्य	72.98
(ख)	(क) पर देयता को पूरा करने के लिए किया जाने वाला वार्षिक अंशदान	20.4 प्रतिशत
(ग)	कमी सहित (क) पर देयता को पूरा करने के लिए किया जाने वाला वार्षिक अंशदान	50.9 प्रतिशत
(घ)	भावी सेवा उपदान देयता का बीमांकित मूल्य	4.64
(ड.)	(घ) पर देयता पूरा करने के लिए किया जाने वाला वार्षिक अंशदान	1.21 प्रतिशत

2.1.2 Assessment of Liability for Pension/Retirement Benefits: M/s Hewitt Outsourcing Services India Ltd., was appointed for assessing the liability for pension gratuity and commuted value of pension of BIS for its employees. The consultant actuary submitted its final report on 15.11.2005. The actuarial valuation report submitted by the said firm was placed before the FC in its 31st meeting held on 27 January 2006. The report was accepted by FC and, approved by EC in its 70th meeting held on 23.3.2006. According to Report, the total accrued liability in respect of Pension and Gratuity amounts to Rs.364.22 crores as on 31.3.2005 the details of which is given as under:

Actuarial Valuation of Accrued Liability of Pension and Gratuity

Rs. in crores

1.	Accrued liability (for past service) for pension, Commutation of active employees	132.87 (Pension) 48.06 (Commutation)
2.	Accrued liability (for past service) for gratuity	25.01
3.	Accrued liability for existing pensioners/ family pensioners	140.38 (Pensioners) 21.97 (Family pensioners)
	TOTAL	**364.22**
Less-	Fund available in the Provision for Pension Liability Account	
	as on 31.3.2005	254.84
	as on 31.3.2006	306.92
Shortfall		
	as on 31.3.2005	109.38
	as on 31.3.2006	57.30
4. (a)	Actuarial value of future service pension liability of active employees	72.98
(b)	Annual contribution to be made to meet up the liability at (a)	20.4%
(c)	Annual contribution to be made to meet up the liability at (a) together with deficit	50.9%
(d)	Actuarial value of future service gratuity liability	4.64
(e)	Annual contribution to be made to meet up the liability at (d)	1.21%

2.1.3 बीमांकन रिपोर्ट तथा कार्यकारिणी समिति के निर्णय के अनुरूप में, 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार पेंशन देयता के लिए प्रावधान खाते में निम्नलिखित जमा/नामे की व्यवस्था की गई है:

2.1.3.1 अर्हक वेतन के 20.4 प्रतिशत की दर पर परिकलित सेवारत कर्मचारियों की भावी सेवा पेंशन देयता के लिए 535.37 लाख रुपए की राशि तथा अर्हक वेतन के 1.20 प्रतिशत की दर पर परिकलित भावी सेवा उपदान देयता के लिए 37.30 लाख रुपए की राशि, जो कुल मिला कर 572.67 लाख रुपए बैठती है, 'पेंशन देयता के लिए प्रावधान के लिए अंशदान खाता' **[अनुसूची डी-मद (2)]** में प्रभारित कर दी गई है तथा उसे लेखा शीर्ष पेंशन देयता के लिए प्रावधान खाता **[अनुसूची ओ-मद 2 (ग)]** में जमा कर दिया गया है।

2.1.3.2 वर्ष 2005-06 के दौरान पेंशन, उपदान तथा संराशीकरण के कुल भुगतानों की राशि 1 106.74 लाख रुपए थी (प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से 3.98 लाख रुपए की प्राप्तियां घटाकर)। इसे पेंशन देयता के लिए प्रावधान खाते के नामे डाल दिया गया है।

2.1.3.3 आय एवं व्यय खाते में 5 742.01 लाख रुपए की शेष अधिशेष राशि को पेंशन देयता के लिए प्रावधान खाते में अंतरित कर दिया गया है।

2.1.3.4 उक्त लेनदेनों के परिणास्वरूप पेंशन देयता के लिए प्रावधान खाते में शेष राशि इस प्रकार 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार 306.92 करोड़ रुपए बैठती है। इसलिए, बीमांकिक रिपोर्ट के अनुसार 364.22 करोड़ रुपए की संभूत देयता की तुलना में 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार पेंशन देयता के लिए प्रावधान खाते में 57.30 करोड़ रुपए की कमी है (अर्थात् 364.22-306.92 करोड़ रुपए =57.30 करोड़ रुपए)

2.1.4 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार पेंशन देयता के लिए प्रावधान खाते में 57.30 करोड़ रुपए की उक्त कमी के दृष्टिगत, आने वाले वर्षों में पेंशन देयता के लिए प्रावधान खाते में आय एवं व्यय खाते की सम्पूर्ण अधिशेष राशि अंतरित की जानी अपेक्षित होगी जब तक कि बीमांकिक रिपोर्ट के अनुसार पेंशन देयता खाते के लिए अपेक्षित प्रावधान प्राप्त न हो जाए।

2.1.5 पेंशन निधि खाते के लिए भा मा ब्यूरो नियमावली में प्रावधान करने के लिए प्रस्ताव : प्रबंधकों द्वारा गठित एक अधिकारी दल की सिफारिश पर पेंशनभोगियों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित के सुरक्षोपाय के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार कार्यकारिणी समिति (ईसी) ने 29.3.2004 को आयोजित अपनी 62 वीं बैठक में भारतीय मानक ब्यूरो नियमावली, 1987 में निम्नलिखित नियम 17 एच के अंतर्वेशन के लिए वित्तीय समिति की सिफारिश को अनुमोदित कर दिया था :

नियम 17 एच-पेंशन निधि : ब्यूरो पेंशन निधि का अनुसरण करेगा तथा निधि में वार्षिक अंशदान एक बीमांकिकी द्वारा किए गए

2.1.3 In consonance with the actuary report and decision of EC, the following credits/debits have been made to the Provision for Pension Liability Account as on 31.3.2006:

2.1.3.1 An amount of Rs. 535.37 lakhs towards future service pension liability of active employees calculated @ 20.4% of qualifying salary and Rs. 37.30 lakhs towards future service gratuity liability calculated @ 1.20% of qualifying salary, totalling to Rs. 572.67 lakhs has been charged to Income and Expenditure Account under the account head 'Contribution to Provision for Pension Liability Account' **[Schedule D–Item (2)]** and credited to account head 'Provision for Pension Liability Account' **[Schedule O–Item 2 (c)].**

2.1.3.2 The total payments of pension, gratuity and commutation during 2005-06 amounted to Rs. 1 106.74 lakh (net of receipts from deputationists Rs. 3.98 lakh). This has been debited to Provision for Pension Liability Account.

2.1.3.3 The remaining surplus in Income & Expenditure Account amounting to Rs. 5 742.01 lakh has been transferred to Provision for Pension Liability Account.

2.1.3.4 As a result of the above transactions, the balance in the Provision for Pension Liability Account thus amounts to Rs. 306.92 crores as on 31.3.2006. Therefore, there is a short fall of Rs. 57.30 crores in the Provision for Pension Liability Account as on 31.3.2006 as compared to accrued liability of Rs. 364.22 crores as per the actuary report (that is Rs. 364.22–306.92 crores = 57.30 crores).

2.1.4 In view of the above shortfall of Rs.57.30 crores in the Provision for Pension Liability Account as on 31.3.2006, the entire surplus in the Income & Expenditure Account will be required to be transferred to Provision for Pension Liability Account in coming years till the required provision for Pension Liability Account is achieved as per the actuary report.

2.1.5 Proposal for making a Provision in BIS Rules for Pension Fund Account: As decided by the Competent Authority in order to safeguard the interest of pensioners and retiring employees on the recommendation of a group of officers constituted by the management, the Executive Committee (EC) in its 62nd meeting held on 29.3.2004 had approved the recommendation of the Financial Committee for insertion of Rule 17H in the BIS Rules, 1987 as under:

Rule 17H – Pension Fund: Bureau will maintain the pension fund and the annual contribution to the fund may be made on the basis of actuarial valuation by an actuary

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् किया जाएगा। निधि का प्रयोग केवल पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा अर्थात् इस निधि से निवेश नियम 17 ई के अनुसार किया जाएगा।

ईसी ने एफसी की इस सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया कि भा. मा. ब्यूरो पेंशन निधि को आयकर आयुक्त से अनुमोदित करवाएगा ताकि पेंशन निधि से निवेश पर अर्जित/प्रोद्भूत ब्याज पेंशन निधि खाते में जमा हो जाए। पेंशन निधि खाता भा. मा. ब्यूरो की आय के क्षेत्राधिकारांतर्गत नहीं आता।

तदनुसार, भा. मा. ब्यूरो नियमावली, 1987 में यथोक्तानुसार नियम 17 एच को अंतर्वेशित करने के लिए हमारे प्रशासनिक मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है। इसके प्रत्युत्तर में, मंत्रालय ने निम्नलिखित पहलुओं नामत: सृजन, अभिरक्षा, प्रचालन, अंशदान, अभिलेख अनुरक्षण, उपयोग, हित इत्यादि का विस्तृत वर्णन करते हुए प्रस्तावित संशोधन को रूपान्तरित करने की सलाह दी।

तदनुसार, हमारे मंत्रालय द्वारा ऊपर यथा सुझाई गई रूपरेखा पर प्रस्तावित संशोधन को आशोधित किया गया तथा उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया। प्रशासनिक मंत्रालय ने प्रत्युत्तर में भा मा ब्यूरो को समरुप व्यवस्था वाले सरकारी संगठनों में 'पेंशन निधि के संगत प्रावधान की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए कहा है ताकि विभाग में मामले पर आगे और विचार विमर्श सुसाध्य हो सके। मंत्रालय द्वारा सुझाई गई रुपरेखा पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

2.1.6 नई पेंशन योजना : 4.2.2004 के का. ज्ञा. सं. 1 (7) (2)/2003/टीए/67-74 के साथ पठित भारत सरकार के आदेश सं. जीआईएमएफ (सीजीए) का. ज्ञा. सं. 1 (7) (2)/2003/टीए/11 दि. 7.1.2004 के अनुसार 1.1.2004 से आगे (केन्द्रीय सरकारी विभागों से आए कर्मचारियों के मामलों को छोड़कर) भा. मा. ब्यूरो में सभी नए भर्ती किए गए कर्मचारियों पर भारत सरकार की नई पेंशन योजना प्रयोज्य है। 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार अंशदायी नई पेंशन योजना में आरम्भिक शेष की कुल राशि 2.31 लाख रुपए थी। वर्ष के दौरान योजना निधि में कर्मचारियों के अंशदान तथा भा. मा. ब्यूरो अंशदान की राशि क्रमश: 5.46 लाख रुपए तथा 3.70 लाख रुपए थी। ब्याज आय को घटाकर भा. मा. ब्यूरो का अंशदान 0.37 लाख रुपए है। इस प्रकार 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार अंशदायी नई पेंशन योजना निधि में शेष राशि 11.84 लाख रुपए थी **[देखें अनुसूची ओ-मद 2 (घ)]**। इस निधि में से किए गए निवेश की कुल राशि 11.23 लाख रुपए थी **(अनुसूची आर-मद 2.2)**।

2.2 नोएडा में प्रशिक्षण संस्थान भवन के लिए अवसंरचना सुविधाओं हेतु सरकार की उपभोक्ता कल्यांण निधि से वित्तीय सहायता [अनुसूची ओ-मद 1.2 (क)]

2.2.1 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार सहायता की अव्ययित शेष राशि 40.60 लाख रुपए थी। वर्ष 2004-05 के उपयोगिता प्रमाणपत्र में इसे वर्ष 2005-06 में अग्रेनीत करने की अनुमति प्रशासनिक मंत्रालय से मांगी गई। प्रशासनिक मंत्रालय ने दिनांक 2.11.2004 के अपने पत्र सं. 2 (9)/2003-सीपीयू

after every three years. The fund will be utilized only for the purpose of pension and retirement benefits *viz.* investment from this fund may be made in accordance with the Rule 17E.

EC also accepted the recommendation of the FC that BIS should get the pension fund approved by the Commissioner of Income-tax so that the interest earned/accrued on investment against Pension Fund stands credited to Pension Fund Account does not come under the purview of BIS income.

Accordingly, a proposal had been sent to our Administrative Ministry to insert Rule 17H in BIS Rules, 1987 as mentioned above. In response, the Ministry advised to modify the proposed amendment elaborating the following aspects namely, creation, custody, operation, contributions, maintenance of records, utilization, interests etc.

Accordingly, the proposed amendment was modified on the lines as suggested above by our Ministry and the same was sent to them for necessary action. The Administrative Ministry in response had asked BIS to provide copies of the relevant provision of the "Pension Fund" in the similarly placed Government organizations to facilitate further consideration of the matter in the Department. Action is under process on the lines as advised by the Ministry.

2.1.6 New Pension Scheme: The New Pension Scheme of Government of India is applicable to all recruits in BIS from 1.1.2004 (except in cases of employees who joined from Central Government Departments) onwards as per GOI Order No. GI.M.F.(CGA) O.M. No. 1 (7)(2)/2003/TA/11 dated 7.1.2004 read with O.M. No. 1 (7)(2)/2003/TA/67-74 dated 4.2.2004. The opening balance in Contributory New Pension Scheme Fund as on 1.4.2005 amounted to Rs. 2.31 lakh. The contribution of employees and BIS contribution to the Scheme Fund during the year amounted to Rs. 5.46 lakh and Rs.3.70 lakhs respectively. The BIS contribution is net of interest income of Rs. 0.37 lakhs. The balance in the Contributory New Pension Scheme Fund as on 31.3.2006 thus amounted to Rs. 11.84 lakhs [**Refer Schedule O– item 2(d)]** . The investment against this fund amounted to Rs. 11.23 lakhs [**Schedule R–Item 2.2]**.

2.2 Financial Assistance from Consumer Welfare Fund of Government for the Infrastructure Facilities for the Training Institute Building at Noida **[Schedule O–Item 1.2(a)]**

2.2.1 The unspent balance of the assistance as on 1.4.2005 amounted to Rs. 40.60 lakhs. The permission to carry over to 2005-06 was sought from Administrative Ministry in the Utilization Certificate of 2004-05. The Administrative Ministry vide its letter No. 2(9)/2003-CPU

के तहत अव्ययित राशि का उपयोग उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कार्यदलों के समिति सदस्यों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के भुगतान हेतु करने के लिए स्वीकृति दी। वर्ष के दौरान यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के रुप में 2.44 लाख रुपए की राशि अदा की गई तथा इसे उपभोक्ता कल्याण निधि सहायता खाते में प्रभारित किया गया। उपभोक्ता कल्याण निधि द्वारा निधिपोषित भा. मा. ब्यूरो की प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा गठित कार्यकारिणी समिति ने 11.5.2005 को आयोजित अपनी पहली बैठक में यह निर्णय किया कि 31.7.2005 तक संचालित राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों संबंधी 10 प्रशिक्षण परियोजनाओं पर व्यय को उपभोक्ता कल्याण निधि सहायता खाते में प्रभारित किया जाए। तदनुसार, 31.7.2005 तक उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 36.16 लाख रुपए के बिल वर्ष 2005-06 के दौरान उपभोक्ता कल्याण सहायता निधि खाते की अव्ययित शेष राशि में से समायोजित कर दिए गए है।

2.2.2 वर्ष 2003-04 के दौरान मै. एनबीसीसी लि. को प्रशिक्षण संस्थान भवन/होस्टल कक्षों को सुसज्जित करने के लिए उपभोक्ता कल्याण निधि सहायता खाते में से 50.00 लाख रुपए की अग्रिम राशि अदा की गई। एनबीसीसी ने वर्ष 2004-05 के दौरान 47.12 लाख रुपए का समायोजन बिल प्रस्तुत किया था जिसमें से 42.41 लाख रुपए की राशि को समायोजित, पूंजीकृत किया गया तथा उपभोक्ता कल्याण निधि सहायता खाते में प्रभारित कर दिया गया तथा 4.71 लाख रुपए की राशि लम्बित दोषों के सुधार के लिए प्रतिधारित रखी गई। वर्ष 2005-06 के दौरान, लम्बित अग्रिम राशियों के प्रति 2.50 लाख रुपए का समायोजन किया गया। इस प्रकार 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार लम्बित अग्रिमों की राशि 5.09 लाख रुपए है (अर्थात् 50.00-42.41-2.50 लाख रुपए)।

2.2.3 अव्ययित निधि की अल्पावधि जमाराशि पर अर्जित ब्याज तथा इस निधि के बचत बैंक खाते में बैंक द्वारा जमा ब्याज, जो कुल मिलाकर 1.36 लाख रुपए है, उपभोक्ता कल्याण निधि खाते में ही जमा कर दिया गया है। 5.09 लाख रुपए की अग्रिम राशियों को हिसाब में लेने के पश्चात् 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ता कल्याण निधि खाते में निवल अव्ययित शेष राशि 0.83 लाख रुपए है **[अर्थात् अनुसूची ओ-मद 1.2 (क)]** के अनुसार 5.93 लाख रुपए - 5.10 लाख रुपए के अग्रिम जिन्हें अभी समायोजित किया जाना है **[अनुसूची एस-मद 3 (ग) (iv)]**। वर्ष 2005-06 के लिए उपयोगिता विवरण प्रशासनिक मंत्रालय को लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात् भेजा जाएगा। वर्षवार उपयोगिता विवरण निम्न प्रकार है:

dated 2.11.2004 had sanctioned utilization of unspent amount for the payment of TA/DA to the Committee members of working groups on Consumer Protection. A sum of Rs.2.44 lakhs was paid as TA/DA during the year and charged to Consumer Welfare Fund Assistance Account. The Executive Committee constituted by the Administrative Ministry for BIS Training Projects funded from CWF, in its first meeting held on 11.5.2005 had decided to charge to CWF Assistance Account, the expenditure towards 10 training on State & District level officers conducted upto 31.7.2005. Accordingly the bills of Rs. 36.16 lakhs for training programmes conducted on behalf of Consumer Affairs Department upto 31.7.2005 have been adjusted during 2005-06 from the unspent balance of Consumer Welfare Assistance Fund Account.

2.2.2 An advance of Rs. 50.00 lakh was paid to M/s. NBCC Ltd. during 2003-04 for furnishing of TI Building/Hostel Rooms out of Consumer Welfare Fund Assistance Account. NBCC had submitted adjustment bill of Rs. 47.12 lakh during 2004-05 out of which Rs. 42.41 lakh was adjusted, capitalized and charged to Consumer Welfare Fund Assistance Account and an amount of Rs. 4.71 lakhs was retained for rectification of pending defects. During 2005-06, adjustment of Rs. 2.50 lakhs was made against the pending advances. The advances pending as on 31.3.2006 thus amounts to Rs. 5.09 lakhs (that is 50.00–42.41–2.50 lakhs).

2.2.3 The interest earned on short–term deposit of the unspent fund and interest credited by bank in the Saving Bank Account of this fund totalling to Rs. 1.36 lakhs has been credited to Consumer Welfare Fund Account itself. The net unspent balance in Consumer Welfare Fund Account as on 31.3.2006 after taking into account the advances of Rs. 5.09 lakhs amounts to Rs. 0.83 lakhs [that is Rs. 5.93 lakhs as per **Schedule O–Item 1.2(a)** less Rs. 5.10 lakhs of advances yet to be adjusted **[Schedule–S item 3(c)(iv)]**. The utilization statement for the year 2005-06 shall be sent to the Administrative Ministry after the receipt of Audit Certificate. The yearwise utilization statement is as under:

(रु. लाखों में/Rs. in lakhs)

		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1.	उपभोक्ता कल्याण निधि सहायता खाते में प्रारम्भिक शेष Opening Balance in C.W.F. Assistance Account	0	150.00	42.21	40.60
2.	मंत्रालय से प्राप्त सहायता Assistance received from Ministry	150.00	0	0	0
3.	सहायता खाते में डाला गया अर्जित ब्याज Interest earned credited to Assistance Account	0	4.95	0.38	1.36
4.	**कुल** (1+2+3) **Total** (1+2+3)	150.00	154.95	42.59	41.96
5.	प्रयुक्त सहायता Assistance utilized				
5.1	पूंजी Capital	0	62.74	42.41	5.03
5.2 5.2.1	राजस्व Revenue उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कार्यकारी दल को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता TA/DA to Working Groups on Consumer Protection	0	0	1.99	2.44
5.2.2	प्रशासनिक मंत्रालय के लिए 31.7.2005 तक उपभोक्ता संरक्षण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम Training Programme upto 31.7.2005 on Consumer Protection for the Administrative Ministry	—	—	—	36.16
5.3.	एनबीसीसी को अग्रिम Advances to NBCC	0	50.00	(42.41) (अग्रिमों का समायोजन) Adjustment of Advances	(2.50) (अग्रिमों का समायोजन) Adjustment of Advances
	प्रयुक्त कुल सहायता (5.1+5.2+5.3) **Total Assistance Utilized** (5.1+5.2+5.3)	0	112.74	1.99	41.13
6.	उपभोक्ता कल्याण निधि सहायता खाते में वर्षांत पर अव्ययित शेष(4-5) Unspent balance in C.W.F. Assistance Account at the end of the year (4-5)	150.00	42.21	40.60	0.83

2.3 निधियों का निवेश

2.3.1 कुल निवेश : भा मा ब्यूरो निधियाँ (अनुसूची आर-मद 1) - 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के कुल निवेशों, जो पेंशन देयता के लिए प्रावधान खाते के द्योतक है, की राशि 29 234.07 लाख रुपए थी। वर्ष 2005-06 के दौरान निवल लेनदेन निम्न प्रकार है :

(रुपए लाखों में)

1.4.2005 की स्थिति के अनुसार निवेश	24 145.08
वर्ष 2005-06 के दौरान सकल वर्धन	23 895.56
वर्ष 2005-06के दौरान सकल परिपक्वताएँ	(-)18 806.58
वर्ष 2005-06 के दौरान निवल वर्धन	5 088.98
31.3.2006 की स्थिति के अनुसार निवेश	29 234.06

2.3.2 वर्ष 2005-06 के दौरान निवेशों की सकल परिपक्वता राशियों में 15 668.98 लाख रुपए के निवेशों की बैंक सावधि जमा राशियां

2.3 Investment of Funds

2.3.1 Total Investments: BIS Funds(Schedule R–Item 1)–The total investments of BIS Fund as on 31.3.2006 representing Provision for Pension Liability A/c amounted to Rs. 29 234.07 lakhs. The net of transaction during 2005-06 is as under:

(Rs. in lakh)

Investments as on 1.4.2005	24 145.08
Gross Additions during 2005-06	23 895.56
Gross Maturities during 2005-06	(-)18 806.58
Net Additions during 2005-06	5 088.98
Investments as on 31.3.2006	29 234.06

2.3.2 The gross maturities of Investments during 2005-06 includes bank fixed deposits of Rs. 15 668.98 lakhs of

पर भा मा ब्यूरो तथा भा मा ब्यूरो सामान्य भविष्य निधि के लिए ब्याज में 1.34 करोड़ रुपए की कमी में परिणामी होगा। भा मा ब्यूरो ने 28.5.2003 को आयोजित वित्तीय समिति की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आई एफ सी आई के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तथा उन्हें सूचित किया कि वे देय तिथियों को सम्मत ब्याज दर तथा परिपक्वता राशि अदा कर दें। आईएफसीआई ने भा मा ब्यूरो के निवेशों पर ब्याज की अदायगी 9 प्रतिशत घटी दर पर की थी। भा मा ब्यूरो ब्याज की अंतरराशि की अदायगी के लिए आईएफसीआई से अनुरोध करता रहा है तथा इसने कानूनी नोटिस भी जारी किए हैं।

आईएफसीआई ने 13 दिसम्बर 2004 के इसके पत्र के तहत केवल 15 सितम्बर 2004 तक दस्तावेज दर पर भा मा ब्यूरो के 5 करोड़ रुपए तक के निवेश के पूर्व भुगतान की पेशकश की (सा. भवि. निधि के ब्याज समाहित 2.85 करोड़ रुपए सहित) बशर्ते कि शेष सभी निवेशों पर ब्याज को 1.4.2003 से 9 प्रतिशत पर परिपक्वता अवधि में 5 वर्ष की बढ़ोतरी के साथ या उसके बिना पुन:निर्धारित कर दिया जाए। भा मा ब्यूरो के निधि प्रबंधक मै. आईडीबीआई कैपिटल ने परिपक्वता के बढ़ाए बिना प्रस्ताव को स्वीकृत करने की अनुशंसा की थी। आईएफसीआई के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से ब्याज की कमी 1.34 करोड़ रुपए से घटकर 1.04 करोड़ रुपए हो जाती। कार्यकारिणी समिति के दिनांक 3.5.2005 को आयोजित अपनी 66वीं बैठक में निर्णय किया कि भा मा ब्यूरो इस विषय पर वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करने का अनुरोध प्रशासनिक मंत्रालय से करे तथा सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए।

मंत्रालय के दिनांक 8.5.2005 के पत्र में दिए गए निदेश पर, मामला पुन: भा मा ब्यूरो की वित्तीय समिति की समक्ष 4.10.2005 को आयोजित उसकी 30वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया। वित्तीय समिति ने अनुशंसा की है कि भा मा ब्यूरो ब्याज दर के पुन: निर्धारण के कारण ब्याज में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए प्रशासनिक मत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय से सम्पर्क करे। वित्तीय समिति ने यह अनुशंसा भी की कि यदि वित्त मंत्रालय सहमत नहीं होता तो भा मा ब्यूरो पेंशन निधि देयता के प्रावधान में भारी घाटे के कारण ब्याज में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय में गठित सरकार की उच्च शक्ति प्राप्त समिति को अपील कर सकता है, एफ सी के निर्णय के अनुरूप, दिनांक 14.11.2005 के पत्र सं. लेखा/1:8 (आईएफसीआई) के तहत एक प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा गया कि वह 14.65 करोड़ रुपए के निवेश पर आईएफसीआई द्वारा 1.4.2003 से ब्याज दर से 9 प्रतिशत पर पुन: निर्धारित करने के कारण ब्याज में 1.34 करोड़ रुपए की कमी की क्षतिपूर्ति के लिए वित्त मंत्रालय के साथ मामला उठाएँ। प्रशासनिक मंत्रालय ने दिनांक 8.2.2006 के अपने पत्र सं. 11/22/2005 के तहत सूचित किया है कि उन्होंने 1.34 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक कार्य विभाग के साथ मामला उठाया है। आर्थिक कार्य विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है।

आईएफसीआई में किए गए कुल निवेश, परिपक्व हो चुके निवेश तथा बकाया निवेशों की 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार स्थिति निम्नानुसार है:-

interest by Rs. 1.34 crore to BIS and BIS GPF on all investments till maturity. BIS did not accept the IFCI's offer as per the decision taken in the meeting of 20th FC held on 28.5.2003 and informed them to pay to BIS the agreed rate of interest and maturity amount on due dates. IFCI had paid the interest on all investments of BIS at the reduced rate of 9 percent. BIS has been requesting IFCI for payment of the difference of the interest and also issued legal notices.

IFCI vide its letter dated 13 December 2004 gave an offer for prepayment of investment of BIS upto Rs. 5 crore at document rate upto 15th September 2004 only (including Rs. 2.85 crore of GPF with interests) subject to resetting of interest on all the remaining investment at 9% w.e.f. 1.4.2003 with or without extension of maturity by 5 years. The Fund Manager of BIS, M/s. IDBI Capital had recommended to accept the proposal without extension of maturity. Acceptance of this IFCI proposal would have reduced the shortfall of interest from Rs. 1.34 crore to Rs. 1.04 crore. The Executive Committee in its 66th meeting held on 3.5.2005 decided that BIS may approach the administrative Ministry for consultation with the Finance Ministry on the subject and the proposal may be accepted only when the approval of the Government is received.

On the direction of the Ministry in its letter dated 8.5.2005, the matter was again placed before the Financial Committee of BIS in its 30th meeting held on 4.10.2005. The Financial Committee has recommended that BIS may approach the Ministry of Finance through the Administrative Ministry for the compensation of the shortfall in the interest due to re-setting of the interest rate. The FC also recommended that in case the Ministry of Finance do not agree, BIS may make an appeal to the High Power Committee of the Government set up in the Cabinet Secretariat for compensation of the shortfall in interest owing to huge deficit in the provision of pension fund liability. In consonance with the decision of the FC, a proposal vide letter No. Accts/1:8(IFCI) dated 14.11.2005 was sent to Administrative Ministry to take up the matter with Ministry of Finance for compensation of the shortfall of Rs. 1.34 crore in the interest due to re-setting of the interest rate to 9 percent w.e.f. 1.4.2003 by IFCI on investment of Rs. 14.65 crore. Administrative Ministry vide their letter No. 11/22/2005 dated 8.2.2006 has informed that they have taken up the matter with the Department of Economic Affairs for compensation of the shortfall of Rs. 1.34 crores. Response is awaited from Department of Economic Affairs.

The status regarding total investments made in IFCI, investments matured and investments outstanding as on 31.3.2006 is given as under :

(राशि करोड़ रुपए में)

निधि	किया गया निवेश	परिपक्व निवेश	बकाया निवेश	बकाया निवेशों की परिपक्वता तिथि
भा मा ब्यूरो	11.80	11.00	0.80	जून 2009 में परिपक्व
भा मा ब्यूरो : भविष्य निधि कोष	2.85	1.60	1.25	जुलाई 2006 में परिपक्व
कुल	**14.65**	**12.60**	**2.05**	

2.3.6 निवेश पर अर्जित ब्याज : निवेश पर प्रतिभूति आधार पर अर्जित सकल ब्याज की 1767.82 लाख रुपए की राशि आय एवं व्यय लेखा में जमा करा दी गई है। ब्याज आय को मान्य करने की लेखाकरण नीति के अनुसार, यूपीसीएसएमएफएल, एमपीएसईबी तथा एमपीएमआईडीसी में बकायदार निवेशों पर प्रतिभूत संचयी ब्याज को आय नहीं माना गया है। इसे ब्याज के वस्तुत: प्राप्त होने वाले वर्ष में ही आय माना जाएगा। आईएफसीआई निवेश के संबंध में, बकाया निवेशों पर दिनांक 1.4.2003 से प्रतिभूत ब्याज को 9 प्रतिशत पर किया गया है। परिपक्व हो चुके तथा साथ ही चालू निवेशों पर 1.4.2003 से संविदात्मक दर तथा 9 प्रतिशत के बीच ब्याज के अंतर को यदि वह प्राप्त हो जाता है, वास्तविक प्राप्ति वर्ष की आय में जमा कर दिया जाएगा। यूपीसीएसएमएफएल, एमपीएसईबी तथा एमपीएसआईडीसी के मामले में निवेश की परिपक्वता प्राप्त नहीं हुई हैं।

2.4 केन्द्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/आकलन केन्द्रों की स्थापना की योजना : भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग ने दिनांक 30.9.2005 के अपने पत्र 8/2/2004 भा मा ब्यूरो के तहत भारत में केन्द्रीय सहायता से स्वर्ण हॉलमार्किंग/आकलन केन्द्रों की स्थापना के लिए योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा साथ ही वर्ष 2005-06 के दौरान योजना आरम्भ करने के लिए भा मा ब्यूरो को 50 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त भी कर दी है। इस राशि में से, 6.46 लाख रुपए का व्यय वर्ष 2005-06 के दौरान किया गया। अत: 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार अव्ययित शेष राशि 43.54 लाख रुपए है **[अनुसूची ओ-मद 1.2 (ख)]**

2.5 अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से अनुदान : भारत सरकार, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने दिनांक 31.3.2006 के अपने पत्र सं. 7/6/2005 एस टी के तहत भा मा ब्यूरो की दो प्रयोगशालाओं अर्थात बैंगलोर तथा मोहाली में सौर लैट प्लेट संग्राहकों के लिए परीक्षण सुविधा स्थापित करने हेतु 16.50 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है। यह अनुदान दिनांक 7.4.2006 के पत्र सं. जीआईए/14/05-06/05.00.31/नकद के साथ संलग्न दिनांक 31.3.2006 के चैक के तहत प्राप्त हुआ था **[अनुसूची ओ-मद 1.1 (ग)]**

2.6 मुम्बई में खाली कर दिए गए भा मा ब्यूरो के बिक्री कार्यालय के किराया मामले के संबंध में लघुवाद न्यायालय, मुम्बई को भुगतान : भा मा ब्यूरो का नावल्टी सिनेमा भवन, ग्रांट रोड, मुम्बई

(Amount in crores)

Fund	Investment made	Investment matured	Investment outstanding	Maturity date of outstanding investments
BIS	11.80	11.00	0.80	Maturing in June 2009
BIS: GPF	2.85	1.60	1.25	Maturing in July 2006
TOTAL	**14.65**	**12.60**	**2.05**	

2.3.6 Interest Earned on Investment : The gross interest earned on investment on accrual basis amounting to Rs.1 767.82 lakhs has been credited to Income and Expenditure Account. As per the Accounting Policy for recognition of the interest income, the cumulative interest accrued on default investments in UPCSMFL, MPSEB and MPSIDC has not been considered as income. It shall be considered as income in the year when the interest is actually received. As regards, the IFCI investment, the accrued interest on outstanding investments has been taken @ 9 percent w.e.f. 1.4.2003. Difference of interest between contractual rate and 9 percent w.e.f. 1.4.2003 on matured as well as current investments, if received, shall be credited to income in the year of actual receipt. The maturity proceeds of investment has not been received in case of UPCSMFL, MPSEB and MPSIDC.

2.4 Scheme for setting up of Gold Hall Marking/Assaying Centres in India with central assistance: The Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs, vide its letter No. 8/2/2004-BIS dated 30.9.2005 had conveyed the sanction to the Scheme for setting up of Gold Hallmarking/ Assaying Centres in India with central assistance and also released Rs. 50 lakhs to BIS to commence the scheme during 2005-06 Out of this, Rs. 6.46 lakhs was spent during 2005-06. Therefore, the unspent balance as on 31.3.2006 amounts to Rs. 43.54 lakhs **[Schedule O–Item 1.2(b)].**

2.5 Grant from Ministry of Non-Conventional Energy Sources : The Government of India, Ministry of Non-Conventional Energy Sources vide its letter No. 7/6/2005-ST dated 31.3.2006 had sanctioned a grant of Rs. 16.50 lakhs for setting up of test facility for Solar Flat Plate Collectors at two laboratories of BIS that is Bangalore and Mohali. The grant was received vide cheque dated 31.3.2006 with letter No. GIA/14/05-06/05.00.31/Cash dated 7.4.2006 **[Schedule O–Item 1.1(c)].**

2.6 Payments to Small Causes Court, Mumbai Regarding the Rent Case of Vacated BIS Sales Office in Mumbai: BIS was having its Sales Office in a rented

(रुपये लाखों में)	
जयपुर भवन - पूँजीगत डब्ल्यूआईपी	
31.03.2006 तक निर्माण लागत के लिए एनबीसीसी को समायोजित भुगतान	225.95
31.03.2006 को एनबीसीसी में लंबित समायोजन अग्रिम राशि	56.05
31.03.2006 तक परियोजना प्रबंध परामर्श और आरेखन आदि के लिए प्रभार	15.03
31.03.2006 तक जेडीए को विविध व्यय और पट्टा राशि	4.26
कुल	301.29

2.11 भारतीय मानक ब्यूरो की निधियों में से पूंजीगत व्यय : वर्ष 2005-06 के दौरान अग्रिम राशियों के समायोजन सहित भा मा ब्यूरो की निधियों में से पूंजीगत व्यय की राशि 640.62 लाख रुपए **(अनुसूची क्यू)** थी। ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

(रुपये लाखों में)

परिसम्पत्ति समूह	2005-06	2004-05
एकीकृत कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत कम्प्यूटर तथा संबद्ध उपकरण एनआईसी (अग्रिम राशियों का समायोजन)	244.93	521.34
फर्नीचर एवं फिक्सचर, कार्यालय उपकरण तथा कम्प्यूटर	81.02	82.99
उपकरण- विश्व बैंक परियोजना अग्रिमों का समायोजन	0.00	67.36
प्रयोगाशाला उपकरण - भा मा ब्यूरो निधियाँ	33.07	25.22
विद्यमान मुम्बई कार्यालय भवन में वर्धन	1.00	23.00
भवन-प्रशिक्षण संस्थान नोएडा	0.61	10.00
पुस्तकालय पुस्तकें	28.28	7.16
वाहन	10.15	0.22
जयपुर भवन का निर्माण (पूंजीगत डब्ल्यू आई पी)	201.21	95.79
नया केन्द्रीय एसी संयंत्र मानक भवन (पूंजीगत डब्ल्यू आई पी)	31.19	3.00
मानक भवन का आधुनिकीकरण (पूंजीगत डब्ल्यू आई पी)	0.00	1.69
भवन-II-कोलकाता (अग्रिम राशियों का समायोजन)	9.16	0.00
कुल	640.62	837.77

Rs. in Lakhs	
Jaipur Building-Capital WIP	
Payments to NBCC adjusted for construction cost upto 31.3.2006	225.95
Advances to NBCC pending adjustment as on 31.3.2006	56.05
Project Management Consultancy and charges for drawing etc. paid upto 31.3.2006	15.03
Miscellaneous Expenses & Lease Money to JDA upto 31.3.2006	4.26
Total	**301.29**

2.11 Capital Expenditure out of BIS Funds - The capital expenditure out of BIS Funds including adjustment of advances during 2005-06 amounted to Rs. 640.62 lakhs **(Schedule Q).** The details are as under:

(Rupees in lakhs)

Assets group	2005-06	2004-05
Computer & Associated Equipments under Integrated Computerization Project-NIC (adjustment of advances)	244.93	521.34
Furniture & Fixtures, Office Equipments & Computers	81.02	82.99
Equipments-World Bank Project-Adjustment of Advances	0.00	67.36
Laboratory Equipments-BIS Funds	33.07	25.22
Addition to existing Building - Mumbai Office	1.00	23.00
Building - Training Institute Noida	0.61	10.00
Library Books	28.28	7.16
Vehicles	10.15	0.22
Construction of Jaipur Building (Cap. WIP)	201.21	95.79
New Central AC Plant Manak Bhawan (Cap. WIP)	31.19	3.00
Modernization of Manak Bhawan Building (Cap. WIP)	0.00	1.69
Building - II - Kolkatta (adjustment of advances)	9.16	0.00
TOTAL	**640.62**	**837.77**

2.12 विविध आय (अनुसूची बी-मद 2) : वर्ष 2005-06 के दौरान 205.55 लाख रुपए की विविध आय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

(रुपये लाखों में)

i)	प्राकृतिक गैस पाइप लाइन बिछाने तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए मानकों के निर्धारण के लिए गेल (इण्डिया) लि. से सहायता	63.00
ii)	पुस्तकालय सदस्यता शुल्क	31.74
iii)	वाहन ऋण से ब्याज	11.02
iv)	गृह निर्माण ऋणों से ब्याज	12.65
v)	सी जी एच एस अंशदान	5.68
vi)	स्टैंडर्ड्स इण्डिया अभिदान	4.04
vii)	स्टाफ क्वार्टरों में लाइसेंस शुल्क	3.43
viii)	अन्य विविध प्राप्तियाँ मुख्यालय	26.85
ix)	क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों तथा प्रयोगशालाओं में विविध आय	47.14
	कुल	**205.55**

क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों तथा प्रयोगशालाओं की 47.14 लाख रुपए की विविध आय में 11.14 लाख रुपए की राशि शामिल है जिसे केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा बहियों में एस पी एम इण्डिया की परियोजना निष्पादन सुरक्षा के प्रतिसंहरण के कारण विविध आय के रूप में दर्शाया गया है, इसमें सुरक्षित हेलमेट परीक्षण उपकरणों के लिए 7.01 लाख रुपए सुरक्षित ग्लास परीक्षण उपकरण के लिए 4.11 लाख रुपए शामिल हैं।

2.13 परोपकारी निधि [अनुसूची ओ-मद 2 (क)] : 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार परोपकारी निधि में 7.56 लाख रुपए का नामे शेष दर्शाया गया है जो भा मा ब्यूरो के खाते से परोपकारी निधि - में राशि के अस्थायी अंतरण के कारण है। 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार, परोपकारी निधि द्वारा भा मा ब्यूरो के 8.05 लाख रुपए देय है जो लेखे वसूलनीय (अन्य) है। **[अनुसूची एस-(3) (घ) (iii)]** तथा विविध ऋणदाता **[अनुसूची टी-मद (1) (क)]।**

2.14 मानकों की बिक्री पर रायल्टी : शीर्ष बिक्री भारतीय मानक **(अनुसूची ए-मद 1)** के अंतर्गत आय में सीडी रोम संबंधी मानकों की बिक्री के लिए मै. बुक सप्लाई ब्यूरो से प्राप्त 141.09 लाख रुपए की रायल्टी शामिल है। 96.54 लाख रुपए की विदेशी कमीशन **[अनुसूची ए-मद 2]** में आईएसओ/आईईसी से मानकों की बिक्री के संबंध में रायल्टी के लिए प्राप्त 90.56 लाख रुपए की राशि शामिल है।

2.15 अनुसूची एस -'वर्तमान परिसम्पत्तियां ऋण तथा अग्रिम' के अंतर्गत वसूली योग्य लेखे (अन्य) में स्वर्गीय श्री डी. के. चड्ढा, उच्च श्रेणी लिपिक, कानपुर शाखा कार्यालय द्वारा अपविनियोजित किए गए 5,17,450 रुपए शामिल हैं। ब्यूरो ने मृत्यु उपदान तथा अवकाश नकदीकरण का भुगतान रोक लिया है। जाँच पड़ताल की जा रही है।

2.16 अनुसूची एस के अंतर्गत वसूलनीय लेखों में श्री मोहन सिंह, उच्च श्रेणी लिपिक द्वारा कथित रूप से की गई धोखेधड़ी/गबन के 12000 रु. शामिल है। मामले की पुलिस द्वारा जाँच पड़ताल की जा रही है तथा श्री मोहन सिहं, उच्च श्रेणी लिपिक निलम्बनाधीन है।

2.17 यूएनडीपीसी सहायता (अनुसूची टी-मद 6) : हेलन विकल्पों पर भारतीय मानकों के निर्धारण के लिए यूएनडीपी से भारतीय मानक ब्यूरो को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी, 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार यूएनडीपी सहायता लेखे के अंतर्गत आरंभिक शेष 488 318 रुपए था।

2.12 Miscellaneous Income (Schedule B–Item 2): The detail of Miscellaneous Income of Rs 205.55 lakh during the year 2005-06 is as under:

(Rs. in lakhs)

i)	Assistance for formulation of Standards for natural gas pipe line laying and associated activities from GAIL (India) Ltd.	63.00
ii)	Library Membership Fee	31.74
iii)	Interest from Conveyance Loan	11.02
iv)	Interest from House Building Loans	12.65
v)	CGHS contribution	5.68
vi)	Standards India Subscription	4.04
vii)	Licence Fee from Staff Quarters	3.43
viii)	Other Miscellaneous Receipts HQ	26.85
ix)	Misc. Income at ROs/BOs & Laboratories	47.14
	Total	**205.55**

The Miscellaneous Income of Rs. 47.14 lakhs of ROs/BOs and Labs includes Rs. 11.14 lakhs shown by Central laboratory in their books as Miscellaneous Income on account of revocation of project execution security of SPM INDIA consisting of Rs. 7.01 lakhs for Safety Helmets Test Equipments and Rs. 4.11 lakhs for Safety Glass Test Equipment.

2.13 Benevolent Fund [Schedule O–Item 2(a)] : The Benevolent Fund as on 31.3.2006 shows a debit balance of Rs. 7.56 lakh which is due to the temporary transfer of amount to the Benevolent Fund from BIS Account. As on 31.3.2006, the Benevolent Fund owes Rs. 8.05 lakh to BIS which has been included under Accounts Recoverable (others) **[Schedule S–Item (3) (d)(iii)]** and Sundry Creditors **[Schedule T–Item (1) (a)].**

2.14 Royalty on Sale of Standards: The income under the head Sales Indian Standard **[Schedule A–Item–(1)]** includes Royalty of Rs.141.09 lakhs received from M/s. Book Supply Bureau for sale of standards on CD ROM. The overseas commission of Rs.96.54 lakh **[Schedule A–Item 2]** includes Rs. 90.56 lakhs received from ISO/IEC towards royalty on sale of standards.

2.15 The Accounts Recoverable (Others) under Schedule S – 'Current Assets, Loans & Advances' includes Rs. 5,17,450 misappropriated by Late Shri D.K. Chadha, UDC, KBO. Bureau has withheld the payment of death gratuity and leave encashment. The enquiry is under progress.

2.16 Accounts Recoverable (Employees) under Schedule S includes Rs. 12000 towards forgery/ embezzlement allegedly committed by Shri Mohan Singh, UDC. The case is under investigation by police and Shri Mohan Singh, UDC is under suspension.

2.17 UNDP Assistance [Schedule T–Item 6] : BIS had received financial assistance from UNDP for formation of Indian standards on Halen Alternatives. The opening balance

वर्ष 2005-06 के दौरान व्यय की गई राशि 121 273 रुपए थी जिसमें 367 045 रुपए का अव्ययित शेष बच जाता है जिसे अनुसूची टी के तहत दर्शाया गया है।

2.18 अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अशोध्य ऋणों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा बट्टे खाते डाल दिए जाने के बाद आय एवं व्यय लेखे में प्रभारित किया जाता है। वर्ष 2005-06 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों द्वारा 15 596 रुपए के अशोध्य ऋण बट्टे खाते डाले गए तथा उन्हें **[अनुसूची एम-मद 8]** में दर्शाया गया है।

2.19 आवेदन की दरें, नवीनकरण शुल्क तथा वार्षिक लाइसेंस शुल्क संशोधित करने के कार्यकारिणी समिति के निर्णय को कार्यान्वित न किए जाने के कारण प्रमाणनकर्ता नकददार [अनुसूची एस मद-2 (ग)] : कुल वसूली योग्य राशि 242.13 लाख रुपए में से 197.51 लाख रुपए वसूल कर लिए गए है। 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार शेष वसूली योग्य राशि 44.62 लाख रुपए थी जिसमें से 43.76 लाख रुपए को अशोध्य माना गया है जिसका निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी किया जाना है।

2.20 आय-कर छूट : भा मा ब्यूरो को निर्धारण वर्ष 2004-05 में 2006-07 तक के लिए अधिसूचना सं. 85/2006 दिनांक 28 मार्च 2006 के तहत आयकर अधिनियम की धारा 10 (23 सी) (iv) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था तथा इसकी आय आयकर मुक्त है। भारतीय मानक ब्यूरो ने आयकर विभाग से निर्धारण वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के लिए समरूप छूट के लिए आवेदन किया है जो विचाराधीन है। भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) वित्त मंत्रालय से स्थायी कर छूट हेतु भी अनुरोध किया है। निर्णय प्रतीक्षित है।

2.21 हॉलमार्किंग प्रमाणन शुल्क तथा रायल्टी को वर्ष 2005-06 को लेखों में पृथक दर्शाया गया है। इसे वर्ष 2004-05 के लेखों में उत्पाद प्रमाणन से आय के अंतर्गत शामिल किया गया था।

2.22 विगत वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक पाया गया, पुन: समूहबद्ध किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

as on 1.4.2005 under the UNDP Assistance Account amounted to Rs. 488 318. The expenditure during 2005-06 amounted to Rs121 273 leaving an unspent balance of Rs. 367 045 which has been shown under Schedule T.

2.18 Provision for Bad and Doubtful Debts: No provision is made for Bad and doubtful Debts. The Bad debts are charged to Income & Expenditure Account after the same are written off by the competent authority. During 2005-06 bad debts of Rs. 15 596 were written off by ROs/BOs and have been shown at **[Schedule M–Item 8]**.

2.19 Certification Debtors due to non-implementation of EC's decision to revise the rates of Application, Renewal Fee and Annual Licence Fee[Schedule S Item 2(c)]: The total recoverables amounted to Rs. 242.13 lakhs out of which Rs. 197.51 lakhs have been recovered. The remaining amount recoverable as on 31.3.2006 amounted to Rs. 44.62 lakhs out of which Rs.43.76 lakhs is considered to be doubtful which is yet to be decided by competent authority.

2.20 Income-tax Exemption: BIS was notified under Section 10(23C)(iv) of the Income-tax Act 1961, vide Notification No. 85/2006 dated 28 March 2006 for the Assessment Years 2004-05 to 2006-07 and its income is exempted of Income-tax. BIS has applied to the Income Tax Department for similar exemption for the assessment year 2007-08 to 2009-10 which is under consideration. BIS has also requested to Central Board of Direct Taxes (CBDT), Ministry of Finance through its administrative ministry for a permanent tax exemption. Decision is awaited.

2.21 The Hallmarking Certification Fee & Royalty have been shown separately in the Accounts of 2005-06. This was included under Income from Product Certification in the Accounts of 2004-05.

2.22 The previous year figures have been re-grouped wherever found necessary to make them comparable with current year figures.

परिशिष्ट-II

APPENDIX-II

31.3.2006 की स्थिति के अनुसार निवेश के ब्यौरे
DETAILS OF INVESTMENT AS ON 31.3.2006

(लाख रुपयों में / Rupees in Lakhs)

1. भा मा ब्यूरो की निधियों का निवेश (पेंशन देयता खाते का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रावधान)
INVESTMENT OF BIS FUNDS (Representing Provision for Pension Liability Account)

1.1 बैंकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं में बांडों तथा जमा राशियों में निवेश
Investment with PSUs & Financial Institution Other than Banks in Bonds & Deposits

क्र. सं. SI No.	संस्था का नाम Name of Institution	लागत पर निवेश (लाख रुपए) Investment at Cost (Rs. in lakh)	निवेश का निर्दिष्टात्मक बाजार मूल्य* Indicative Market Value of Investment*
i)	हाउसिंग अरबन डेवलपमेंट कार्पोरेशन (हुडको) Housing Urban Development Corporation (HUDCO)	52.93	56.38
ii)	आईडीबीआई बैंक IDBI Bank	250.00	255.95
iii)	इंडस्ट्रियल फायनेंस कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (आईएफसीआई) Industrial Finance Corporation of India Ltd. (IFCI)	80.00	80.00
iv)	महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम लि. (एमकेवीडीसी) Maharashtra Krishna Valley Dev. Corpn. Ltd (MKVDC)	25.00	25.84
v)	मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड (एमपीएसईबी) Madhya Pradesh State Electricity Board (MPSEB)	100.00	100.00
vi)	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एमपीएसआईडीसी) M.P. State Indl. Dev. Corpn. (MPSIDC)	300.00	300.00
vii)	राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं निवेश निगम लि. (आरआईसीसीओ) Rajasthan State Indl. & Investment Corp. Ltd. (RICCO)	120.00	120.00
viii)	उ.प्र. कताई मिल संघ लि. (यूपीसीएसएमएफएल) U.P. Spg. Mills Fed. Ltd. (UPCSMFL)	200.00	200.00
xv)	यूटीआई (कर मुक्त बांड) UTI (Tax Free Bond)	10.55	10.48
	योग **TOTAL**	**1138.48**	**1148.65**
1.2	बैंकों में निवेश (सावधि जमाराशियाँ) **Investment with Banks in Fixed Deposits**	**28095.58**	**28095.58**
	योग **TOTAL (1)**	**29234.06**	**29244.23**
2	कर्मचारी निधियों का निवेश **INVESTMENT OF EMPLOYEES FUNDS**		
2.1	सामान्य भविष्य निधि **General Provident Fund**		
	i) विशेष जमाराशियों में निवेश (भा. रि. बैं.) Investment in Special Deposit (RBI)	3127.09	3127.09
	ii) भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ Government of India Securities	750.07	716.24

	iii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ State Government Securities	613.92	581.13
	iv) बैंकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं में बांडों एवं जमाराशियों में निवेश Investment with PSUs & Financial Institutions other than Banks in Bonds & Deposits		
	क) आईडीबीआई a) IDBI	588.34	567.69
	ख) आईएफसीआई b) IFCI	125.00	125.00
	ग) मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. (एमपीएसआईडीसी) c) M.P. State Indl. Devp. Corp. Ltd. (MPSIDC)	45.00	45.00
	v) सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के बांड Public Sector Bank Bonds	697.44	634.83
	vi) बैंकों में सावधि जमाराशियाँ Fixed Deposits with Banks	151.00	151.00
	योग TOTAL	**6097.86**	**5947.98**
2.2	नई पेंशन योजना कोष-बैंक में सावधि जमा (अल्पावधि जमा) New Pension Scheme Fund–Fixed Deposit with Banks (Short-term)	11.23	11.23
	योग TOTAL (2)	**6109.09**	**5959.21**
3	**निवेश (अन्य) अल्पावधि सावधि जमा में** **INVESTMENT (OTHERS) IN SHORT–TERM FDs**		
3.1	एबीओ भवन परियोजना-सावधि जमा सिंडिकेट बैंक ABO Building Project–Syndicate Bank	13.00	13.00
3.2	केनरा बैंक-योजना परियोजनाएँ Plan Projects–Canara Bank	14.00	14.00
	योग TOTAL (3)	**27.00**	**27.00**
	कुल योग GRAND TOTAL (1+2+3)	**35370.15**	**35230.44**

टिप्पणियाँ: 1) *निवेशों का बाज़ार मूल्य भा मा ब्यूरो के निधि प्रबंधक मैसर्स आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि., मुम्बई द्वारा उपलब्ध कराया गया है। आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. द्वारा बताया गया है कि बाज़ार की परम्पराओं के अनुसार, प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्य पर किया गया जहाँ बाजार मूल्य उपलब्ध थे अथवा यदि बाज़ार मूल्य उपलब्ध नहीं है वहाँ अंकित/क्रय मूल्य पर किया गया। आईएफसीआई, एमकेवीडीसीएल एमपीएसईबी, एमपीएसआईडीसी, आरआईसीसीओ और यूपीसीएमएफएल के संदर्भ में बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं थे। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

समुच्चय उद्धत निवेश	= 2988.25 लाख रुपए (बाजार मूल्य 2848.54 लाख रुपए)
समुच्चय अनुद्धत निवेश (सावधि जमा सहित)	= 32381.90 लाख रुपए
कुल निवेश	= 35370.15 लाख रुपए

Notes: 1) **Market Value of investments have been made available by BIS Fund Manager M/s. IDBI Capital Market Services Ltd., Mumbai . It has been stated by IDBI Capital Market Services Ltd that as per the market conventions, the securities have been valued at market price where market quotes were available or at face value/purchase price if the market quotes are not available. The market quotes were not available in respect of IFCI, MKVDCL, MPSEB, MPSIDC, RICCO and UPCSMFL*

The break-up is as follows:

The aggregate quoted investment	= *Rs. 2988.25 lakh (Market value Rs.2848.54 lakh).*
The aggregate unquoted investment (including fixed depsoits)	= *Rs. 32381.90 lakh*
Total Investment	= Rs. *35370.15 lakh*

2) क्रम संख्या 2.2 और 3 क अलावा सभी निवेश दीर्घ अवधि निवेश है।

2) All the investments except at Sl No.2.2 and 3 are long–term investments.

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, ए.जी.सी.आर. भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002

लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र

मैंने 31 मार्च 2006 को भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय–व्यय लेखा की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में 20 शाखा कार्यालयों, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं एक केन्द्रीय प्रयोगशाला के लेखे सम्मिलित हैं। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व भारतीय मानक ब्यूरो के प्रबंधन का है। मेरा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

मैंने अपनी लेखापरीक्षा लागू नियमों और भारत में समान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक गलत बयानियों से मुक्त है, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए मैं योजना बनाता हूँ और लेखापरीक्षा करता हूं। लेखापरीक्षा में नमूना आधार पर जाँच, रकमों के समर्थन में साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी लेखापरीक्षा मेरी राय के लिए एक उचित आधार मुहैया करती है।

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर मैं सूचित करता हूँ कि:

1. मैंने सभी सूचना और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के लिए हमारे लेखापरीक्षा प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे, को प्राप्त कर लिया है।
2. संलग्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विस्तृत अभ्युक्तियों के अध्यधीन मैं सूचित करता हूँ कि इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलन पत्र, आय–व्यय लेखा उपर्युक्त रूप से तैयार किए गए हैं और लेखाओं की बहियों से मेल खाते हैं।
3. मेरी राय में और मुझे दी गई सर्वोत्तम सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार:
   (i) लेखे निर्धारित फार्मेट के अंतर्गत अपेक्षित सूचना देते हैं।
   (ii) कथित तुलन पत्र लेखाकरण नीतियाँ और उन पर टिप्पणियों के साथ पठित आय–व्यय लेखा और इसके साथ संलग्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित अन्य विषय सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं।
   (क) जहाँ तक यह 31 मार्च 2006 का भारतीय मानक ब्यूरो के कार्य की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है; और
   (ख) जहाँ तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के अधिशेष के आय–व्यय लेखा से संबंधित है।

हस्ता/-

(के. आर. श्रीराम)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 अक्तूबर, 2006

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT ECONOMIC & SERVICE MINISTRIES, A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

AUDIT CERTIFICATE

I have audited the attached Balance Sheet of the Bureau of Indian Standards, New Delhi as at 31st March 2006 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date. These financial statements include the accounts of 20 branch offices, 4 regional offices and a Central Laboratory. Preparation of these financial statements is the responsibility of the BIS management. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.

I have conducted my audit in accordance with applicable rules and the auditing standards generally accepted in India. These standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

Based on our audit, I report that

1. I have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
2. Subject to the detailed observations in the Separate Audit Report annexed herewith, I report that Balance Sheet and the Income and Expenditure Account dealt with by this report are properly drawn up and are in agreement with the books of accounts.
3. In my opinion and to the best of my information and according to the explanations given to me:
   (i) The accounts give the information required under the prescribed format of accounts.
   (ii) The said Balance Sheet, Income and Expenditure Account read together with the Accounting Policies and Notes thereon, and other matters mentioned in the Separate Audit Report annexed herewith, give a true and fair view.
   (a) In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of the BIS as at 31 March 2006; and
   (b) In so far as it relates to the Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

Sd/-

(K.R. SRIRAM)
Principal Director of Audit Economic & Service Ministries

Place: New Delhi
Date: 25 October 2006

वर्ष 2005-06 के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के लेखों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. परिचय

भारतीय मानक ब्यूरो (भा मा ब्यूरो) की स्थापना 1 अप्रैल, 1987 को भारतीय मानक अधिनियम, 1986 के अधिनियम के साथ, सांविधिक निकाय के रूप में हुई। इसने पूर्ववर्ती भारतीय मानक संस्थान की सभी गतिविधियाँ जैसे गुणता आश्वासन पर उत्पाद प्रमाणन, परामर्श सेवाएँ, परीक्षण आदि को संभाला। ब्यूरो के पास बीस शाखा कार्यालय, चार क्षेत्रीय कार्यालय और साहिबाबाद (उ.प्र.) में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला है।

ब्यूरो के कार्यकालापों का निधिकरण प्रमाणन मुहर से प्राप्त शुल्क, लाइसेंस शुल्क, प्रकाशनों की बिक्री और केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान से किया जाता है।

ब्यूरो का लेखा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाता है। ब्यूरो के लेखों की लेखा परीक्षा भारतीय मानक अधिनियम, 1986 की धारा 22 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की खंड 19(2) के अंतर्गत की गई।

2. लेखों पर टिप्पणियाँ

2.1 तुलनपत्र

2.1.1 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम-अनुसूची 'एस'

(i) वसूली योग्य लेखा (अन्य) -1.54 करोड़ रु.

इसमें वर्ष 1995-96 के दौरान भा मा ब्यूरो क्लब कैंटीन को वसूली योग्य आधार पर ब्यूरो द्वारा भुगतान किए गए 4.77 लाख रु. (ईआरओ क्लब कैंटीन के साथ संबंधित 1.01 लाख रु. के अतिरिक्त) शामिल हैं, जो अब "ब्यूरो" का ही भाग है अत: अब वसूली योग्य नहीं है। इसके फलस्वरूप उस सीमा तक चालू परिसम्पत्तियों की अत्युक्ति हुई।

(ii) विविध देनदान-शुल्क की बकाया राशि में संशोधन-44.62 लाख रु.

इसमें वर्ष 2000-01 से प्रभावी आवेदन शुल्क, नवीकरण शुल्क और वार्षिक लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि के खाते में वसूली योग्य राशि होने के कारण 43.76 लाख रु. शामिल है। इस राशि की वसूली संदिग्ध हो गई है और इसे बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव है। इस प्रकार, उस सीमा तक परिसम्पत्तियों की अत्युक्ति हुई है।

2.2 आरक्षित और निधियाँ-अनुसूची ओ

2.1.2 हितकारी निधि-(-)7.56 लाख रु.

उपरोक्त में से ऋण शेष भा मा ब्यूरो के मुख्य खाते से पूर्व वर्षों में किए गए भुगतान दर्शाता है, वर्ष के दौरान जिनकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। पिछले लेखा परीक्षण में ध्यान दिलाने के बावजूद वर्ष के दौरान कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऋणात्मक शेष के फलस्वरूप आरक्षित और निधियों की इस सीमा तक न्यूनोक्ति हुई है।

3. सामान्य

3.1 परिसंपत्तियों के रजिस्टर का रख-रखाव न करना

ब्यूरो द्वारा परिसम्पत्तियों का एक उचित रजिस्टर नहीं बनाया गया, इस संबंध में वर्ष के दौरान जोड़ने/हटाने की परिसम्पत्तिवार स्थिति, प्रग्रामी

AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF BUREAU O INDIAN STANDARDS FOR THE YEAR 2005-06

1. INTRODUCTION

The Bureau of Indian Standards (BIS) was established as statutory body with effect from 1st April, 1987 with th enactment of Bureau of Indian Standards Act, 1986. It too over all activities, viz. product certification on qualit assurance, consultancy services, testing etc., of the erstwhil Indian Standards Institution. The Bureau has twenty branc offices, four regional offices and one Central Laboratory a Sahibabad (U.P.).

The activities of the Bureau are financed from receipt of fee from Certification Mark, Licence Fees, Sale of Publication and grant from Central Government. During 2005-06, no gran was received from the Central Government.

The accounts of the Bureau are presented in the forn prescribed by the Government in consultation with th Comptroller & Auditor General of India. The audit of th accounts of the Bureau was conducted under Section 19(2 of Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers an Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 22(2) o Bureau of Indian Standards Act, 1986.

2. COMMENTS ON ACCOUNTS

2.1 Balance Sheet

2.1.1 Current Assets, Loans and Advances—Schedule

(i) Accounts Recoverable (others)- Rs. 1.54 crores

This includes Rs. 4.77 lakh (excluding Rs. 1.01 lakh relating to ERO Club Canteen) paid by the Bureau o recoverable basis to the BIS Club Canteen during 1995-9 which are now part of "Bureau" and therefore not recoverabl This has resulted in over statement of current assets that extent.

(ii) Sundry Debtors– Revision arrears of fee –Rs. 44.62 lak

This includes Rs. 43.76 lakhs being the amount recoverab on account of arrears of application fee, renewal fee ar annual licence fee w.e.f. 2000-01. The recovery of th amount has become doubtful and is proposed to be writte off. Thus, assets to that extent is overstated.

2.2 Reserve and Funds–Schedule O

2.2.1 Benevolent Fund–Rs. (-) 7.56 lakhs

The above minus balance represents payment in earlier yea from BIS main account which has not been recouped durin the year. Despite being pointed out during last audit, r action has been taken during the year. Minus balance als resulted in understatement of Reserves and Funds to th extent.

3. GENERAL

3.1 Non-Maintenance of Register of Assets

A proper register of assets was not maintained by the Burea records maintained in this connection does not indicate th asset wise position of addition/deletion during the yea progressive depreciation and net block of each asset at th